खण्ड-284, अंक-3
बुधवार, 20 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(10 जून, 1970 ई0)

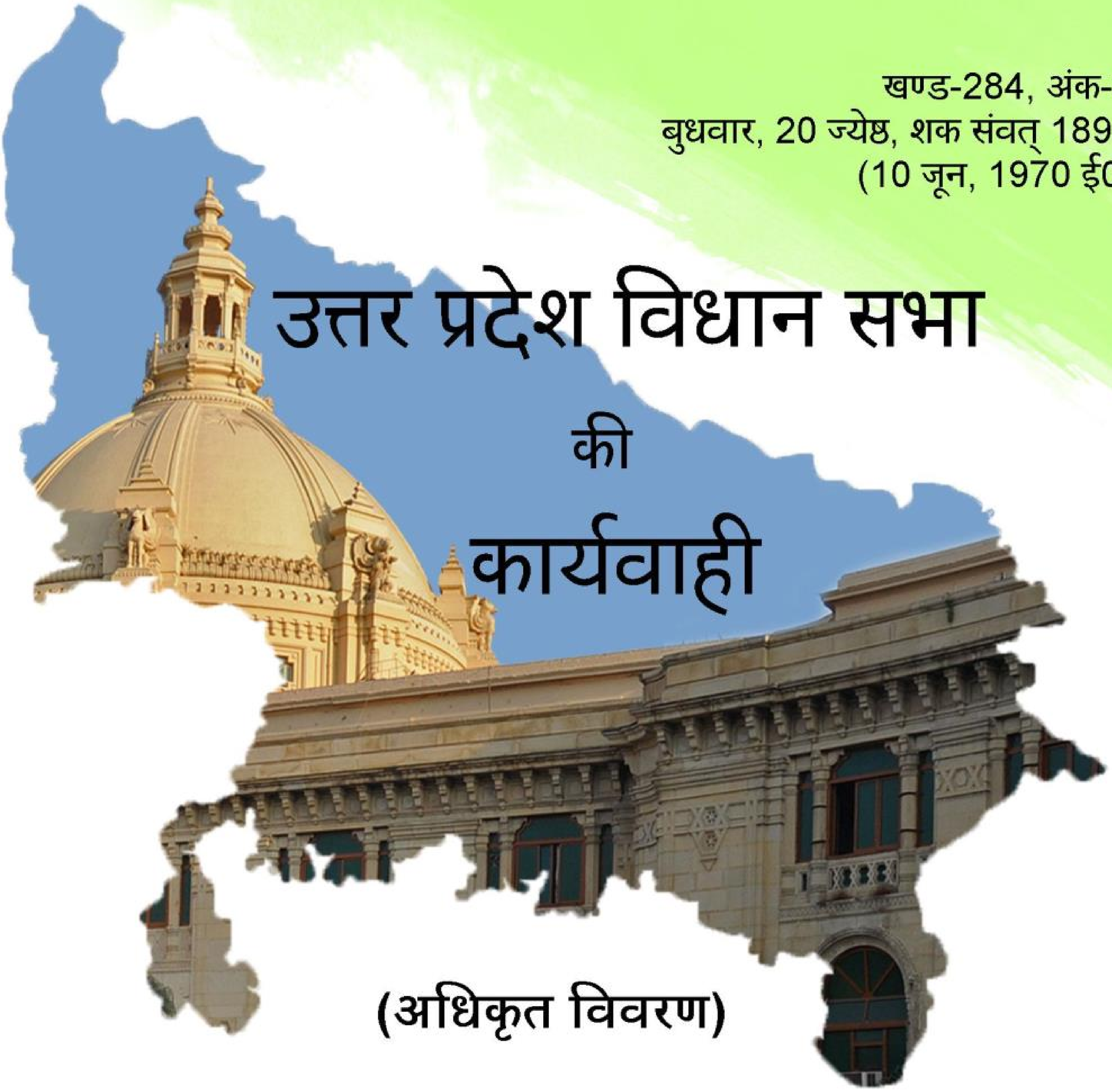

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४२

अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री, देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सिंह ,श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त,श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेन सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बेवरिया)

बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री

रामविलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवमहेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
श्यामलाल, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० जून, १९७०

अल्प सचित तारांकित प्रश्न

नगर महापालिका, इलाहाबाद का चुनाव कराने की घोषणा

**१—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या १२ जुलाई, १९७० को जो नगर महापालिका, इलाहाबाद का चुनाव कराने की घोषणा सरकार ने की थी उसे सरकार ने अन्य तिथि पर कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्यों तथा नगर महापलिका, इलाहाबाद का चुनाव कब तक करा दिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जी नहीं ।

टिंचर जिंजर पर रोक लगाने की मांग

**२—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिंचर जिंजर जैसे हानिकर और मादक पेय पर रोक लगाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

यह प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन है । टिंचर जिंजर एक औषधि है जिसका निर्माण एवं नियंत्रण ड्रग ऐक्ट १९४० तथा मेडिसिनल ऐण्ड ट्वायेल्ट प्रिप्रेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) ऐक्ट, १९५५, जोकि केंद्रीय अधिनियम है, के अन्तरर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के समय-समय पर इसकी बिक्री इत्यादि पर नियंत्रण लगाने के लिये नियम बनाये परन्तु विधिक कठिनाइयों के कारण उनको लागू न किया जा सका । राज्य सरकार ने भारत सरकार से अब यह संस्तुति की है कि वह टिंचर जिंजर जेसी औषधियों पर समय-समय पर उसी दर से ड्यूटी लगायें जो प्रदेश में भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर लागू हो। भारत सरकार से यह भी संस्तुति की गई है कि वह नियमों में ऐसा प्राविधान करें कि इन औषधियों की फुटकर बिक्री केवल डाक्टरों के नुस्खों पर ही हो सके तथा इन औषधियों में अल्कोहल के प्रतिशत की मात्रा भी घटा दी जाय । भारत सरकार का निर्णय उपरोक्त संस्तुतियों पर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन-सी वैधानिक कठिनाइयां थीं जिनके कारण वे इसको लागू नहीं कर पाए ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इस संबंध में यह जो ड्रग ऐक्ट और मेडिसिनल ऐक्साइज ड्यूटी ऐक्ट है यह दोनों सेंट्रल ऐक्ट्स हैं और उन्हीं ऐक्ट्स से यह चीज गवर्न होती है। इस सरकार ने तीन बार कानून बनाये, सन् १९५४ में, फिर १९५६ में, फिर १९६० में मगर हाईकोर्ट ने उनको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया। यही कठिनाइयां थीं कि हम उसको नहीं कर सके।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

अंतिम कानून आपने सन् १९६० में बनाया, फिर उसके बाद से आज तक आपने क्या किया इस संबंध में और अब आप क्या करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने निवेदन किया कि यह दोनों ऐक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट हैं। हमने इस बात की कोशिश की कि लीकर की डेफिनीशन के अन्दर मेडिसनल प्रोडक्ट्स भी रख दिये जाएं, हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। हमने केंद्रीय सरकार को लिखा है कि वे अपने ऐक्ट में संशोधन करके इस मिक्सचर को ९० परसेंट की जगह २० परसेंट कर दें। और केवल डाक्टर ही अपने प्रिस्क्रिप्शन में उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर केंद्र ने हमारे संशोधन मान लिये तो यह समस्या हल हो जायगी।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास अपनी संस्तुति कब भेजी है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

हमने १९६०, १९५६ तथा १९५४ में तीन बार नियम बनाये, मगर तीनों बार हाई कोर्ट ने नहीं माना इस संस्तुति की डेट तो नहीं है किन्तु हमने संस्तुति भेजी है। इतना ही नहीं एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, मेडिकल सेक्रेटरी व एक्साइज सेक्रेटरी थे, इनकी एक कांन्फ्रेन्स हुई।

श्री अध्यक्ष—

यह कान्फ्रेंस कब हुई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

२४ अप्रैल, ६७ को।

श्री अध्यक्ष—

वह चाहते हैं कि आप उसे करवाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को दिल्ली जाने के लिए कहा है और वह वहां जाकर खुद नियमों में परिवर्तन आदि करायें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी ने जो पत्र केन्द्र को लिखा है, क्या वह उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसमें ऐसा आभास नहीं था। यह कहा गया था कि यदि संशोधन कर दिया जाये २० परसेन्ट अल्कोहल मिक्सचर का। यह संस्तुति मैंने श्रीमन् के सामने रख दी है और उसी आधार पर मैंने केन्द्र को लिखा है। तो सारी बात बता दी है। फिर भी यदि आप चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि कानून में खामी होने के कारण उत्तर प्रदेश में और खासकर कानपुर में अवैध टिंचर जिंजर तैयार किया जाता है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह कानून की खामी की वजह से है या कहां कोई क्या करता है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसका फायदा उठाने वाले उठाते हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मेरे प्रश्न में साफ-साफ लिखा है कि—टिंचर जिंजर जैसे हानिकर और मादक पेय पर रोक लगाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने उत्तर में यह कहीं पर नहीं दिया है कि यह विचार कर रहे हैं या नहीं। इसकी वजह से इसकी शराब बन कर उसको सारे उत्तर प्रदेश में अवैध ढंग से बिक्री होती है और इतने अहम मसले पर १० साल से योंही चल रहा है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विचार कर रही है और यदि हां तो कब तक वह रोक लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित यह मसला है।

श्री इन्द्रमणी (टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी टिंचर जिंजर को हानिकर समझते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो डिफिनीशन की बात है। जो सबसे अच्छी चीज है, उसमें भी हानि का कुछ परसेंटेज रहता है। कहीं पर मोस्ट यूजफुल, कहीं पर नुकसान भी करती है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

क्या इस विषय को प्राथमिकता देकर मंत्री जी प्रयास करेंगे कि केन्द्र सरकार जल्द से जल्द उनकी संस्तुति पर विचार कर ले ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को कह दिया गया है कि वह विचार-विमर्श करके इसको कार्यान्वित करवायें।

छोटे कृषकों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों के उत्थान हेतु योजना

**३—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि कृषि मंत्री ने दिनांक २५ मई, १९७० को उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुये इस बात की शिकायत की कि केन्द्रीय सरकार ने सब मार्जिनल स्टेट्स की स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को उसके हिस्से से कहीं कम जिले दिये हैं ? यदि हां, तो वे कितने और कौन से जिले हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में कृषि मंत्री केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य या प्रधान मंत्री से मिले थे और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

यह सही है कि २४ मई, १९७० को नई दिल्ली में मैंने भारत सरकार के कृषि तथा खाद्य मंत्री जी से मिल कर उनसे विशेष रूप से अनुरोध किया था कि भारत सरकार कृपया ऐसे बहुत छोटे काश्तकार जिनके पास अढ़ाई एकड़ से भी कम भूमि हो तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों के

लिए केन्द्रीय योजना में से कम से कम १० योजनायें उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों तथा भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्याधिक्य के कारण स्वीकृत कर दें। केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा है। उसी दिन शाम को नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन में मैंने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में किये गये अनुरोध के बारे में सूचित किया था।

अब तक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये दो ऐसी योजनायें देने के लिये लिखित रूप से स्वीकृति भेजी है। मांगी गई शेष योजनाओं के सम्बन्ध में निर्णय उनके विचाराधीन है। यह योजनायें किन जिलों में कार्यान्वित की जायेंगी इस सम्बन्ध में शासन ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि यह जो स्कीम का इसमें जिक्र किया गया है, दो स्कीम्स का, क्या यह स्माल फार्म्स स्कीम के अलावा है जिसमें चार जिले लिये गये हैं?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दो प्रकार की योजनाओं का समावेश किया गया है। एक योजना है, उसका नाम है मार्जिनल कृषक तथा खेतिहर मजदूर उन्नति योजना। मार्जिनल कृषक का तात्पर्य है एक हेक्टर से छोटे किसान। इस योजना के अन्तर्गत ढाई एकड़ से कम जोत के किसानों और खेतिहर मजदूरों की उन्नति के सम्बन्ध में एक योजना चलायी जायगी। यह वह योजना है इस प्रश्न के अन्दर जिसका जिक्र किया गया है। दूसरी योजना है लघु कृषक उन्नति योजना। लघु कृषक का तात्पर्य है एक हेक्टर से तीन हेक्टर तक यानी ढाई एकड़ से सात एकड़ तक जोत के किसानों से सम्बन्धित योजना। यह दूसरी योजना है जिसके सम्बन्ध में आपने यह निर्देश दिया है कि आज शाम को उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाय।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि इस स्कीम के द्वारा जो एजेंसी बतायी गयी है उसमें वित्त का वितरण किस आधार पर और किस तरीके से होगा?

श्री शिवराज सिंह—

इस एजेंसी के माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग द्वारा निर्दिष्ट की गयी है और वह इस प्रकार है—इस एजेन्सी के ऋण तथा वित्तीय सहायता देने का निम्न प्रकार होगा—

(१) सहकारी संस्थाओं को छोटे किसानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु उनके रिस्क फंड में निम्न मापदंड से अनुदान दिये जायेंगे:

(१) प्रारम्भिक ऋण समितियां, दुग्ध पूर्ति समितियां, मुर्गी पालन समितियां, श्रमिक समितियां, इत्यादि—प्रारम्भिक स्तर पर—८ प्रतिशत उस अतिरिक्त धन का जो इन समितियों द्वारा अतिरिक्त धन छोटे किसानों को दिया जायगा छोटे किसानों को यह समितियां जितना ऋण देती हैं उससे जितना अधिक ऋण देंगी उसका ८ प्रतिशत अनुदान के रूप में इन समितियों को इस एजेंसी के माध्यम से दिया जायगा।

(२) केन्द्रीय...

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल —

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

यह तो पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह पूछा कि किस बेसिस पर मदद की जायगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मगर वह तो डिटेल बता रहे हैं, ऐग्रीकल्चर सोसाइटी, मुर्गी सोसाइटी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सवाल मेरा है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री जी अपने किसी सदस्य से प्रश्न क नाम पर प्रश्न करवा कर कोई लम्बा-चौड़ा वक्तव्य सदन में देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यहां हर व्यक्ति को प्रश्न करने का अधिकार है। यह मान कर नहीं चलना पड़ता है कि किसी ने कराया है। खुद उनके यहां ऐसे लोग मौजूद हैं। जिनकी मदद वह चाहते हैं तो वे प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह तो जबरदस्ती का आरोप लगाया गया है ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

जायसवाल साहब से शब्द वापस करवाइये। यह आक्षेप है कि किसी मंत्री विशेष के कहने से प्रश्न करवाया गया है।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है। अगर आज्ञा हो तो पूरा कर दूं वर्ना बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में उत्तर दे दीजिये।

श्री शिवराज सिंह—

संक्षेप में ही उत्तर दूंगा। राजकीय व केन्द्रीय संस्थायें हैं तथा लैंड डेवलपमेंट बैंक आदि जो संस्थायें हैं जो किसानों को अब तक कर्जा देती आई हैं उनसे अतिरिक्त कर्जा जो चाहेंगे उसके सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्नों पर उनको ग्रान्ट दे दी जायगी। इसी प्रकार से किसानों को लौंग टर्म और मीडियम टर्म लोन दिया जायगा और उसके लिये ग्रान्ट देने की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बेसिस के बारे में उन्होंने पूछा था, वह आपने बतला दिया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उनको रोकने की क्या जरूरत है। मैंने सवाल किया है तो मेरे मतलब का जवाब आना चाहिये। मैंने जो बातें पूछी हैं मंत्री जी को उनको बतलाना होगा। यह तो मेरा अधिकार छीन रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई सदस्य सदन में प्रश्न करते हैं तो हाउस में आ जाने के बाद वह प्रापर्टी आफ दी हाउस हो जाती है, एक व्यक्ति से सम्बन्धित वह प्रश्न नहीं रह जाता है । माननीय असरार साहब किस आधार पर कहते हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

जैसी मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं जो व्यक्ति प्रश्न करता है उसे दो-तीन प्रश्न करने की इजाजत दी जाती है वह इजाजत मैंने दे दी । दूसरों को इजाजत न दी जाय ऐसी बात नहीं है । सदन में प्रश्न आने पर वह सदन का प्रश्न हो जाता है, दूसरे लोग प्रश्न कर सकते हैं । माननीय सदस्य को खुश होना चाहिये कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया जिसके पीछे और लोग भी हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्नकर्ता को हमेशा प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी जानकारी हो जाय । अगर आप उसे इतनी भी इजाजत नहीं देंगे तो अन्दर की चीज कैसे निकलेगी । फिर जब प्रश्न का उत्तर चल रहा था तो दूसरी तरफ से व्यवस्था कहां से पैदा हो गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि संक्षेप में उत्तर दे दिया जाय ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, तीन मर्तबे आपने मेरा नाम लिया और तीन मर्तबे मैं यहां पर खड़ा रहा । श्रीमन, आपको आज आभास हो गया होगा कि विरोधी दल के सदस्य बड़ी गम्भीरता के साथ इस सदन में व्यवहार करते हैं किन्तु सरकारी दल विह्वल होता चला जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने उन्हें रोक दिया ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, हम लोग यह चीज कहां तक बरदास्त करेंगे । मोहम्मद असरार जी ने पूरे २० मिनट सदन के ले लिये । इतना समय सदन का व्यर्थ गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्ति रखें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मार्जिनल स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को क्यों कम जिले दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, जब सवाल का जवाब मेरा चल रहा है तो ये लोग बीच में कौन बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जब यहां पर माननीय कृष्णानन्दजी राय बोल रहे थे तो बीच में ये मोहम्मद असरार साहब भी बोलने लगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि सदन में शांति रखने के लिये आप कभी-कभी मोहम्मद असरार साहब को नेम कर दीजिये। बार-बार सदन का वातावरण खराब हो जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मेरा जिक्र आया है....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष जी, आप असरार साहब से कह दीजिये कि वे इस प्रकार से बोलेंगे तो कोई भी मंत्री यहां पर नहीं रहेगा और असेम्बली टूट जायेगी। क्योंकि वे बहुत हल्ला करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब आप प्रश्न कीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सब मार्जिनल स्टेट्स की स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे जनपदों की लिस्ट मांगी थी? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किन-किन जनपदों की लिस्ट बना कर केन्द्रीय सरकार को भेजी है?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया सब मार्जिनल स्टेट्स की स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उन जिलों की केन्द्रीय सरकार ने एक लिस्ट मांगी थी। इन जिलों के चयन के सम्बन्ध में हमने उसके आधार पर जो जिले लिये हैं उनमें फतेहपुर, मथुरा, आगरा आदि भेजे गये हैं और शेष भेजे जा रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या माननीय कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र ने कितने जिलों की मांग की थी और उनमें अधिक जिलों के नाम क्यों भेज दिये गये?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का मुकदमा यह है कि उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या सारे भारत के किसानों की संख्या के २४·३ प्रतिशत हैं। मार्जिनल कृषक की एजेन्सीज देश के अन्दर चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल ४० स्थापित करनी हैं। अतः श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का कोटा १० का आता है। इनकी संख्या १० आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में ऐसी एजेन्सीज के लिये। तो श्रीमन्, मैंने केन्द्रीय खाद्य मंत्री से कहा है कि उत्तर प्रदेश में १० एजेन्सीज इस योजना के अन्तर्गत दी जायं इसीलिये हम १० एजेन्सीज का नाम भेजेंगे।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो २०-२१ जिले पिछड़े हुये हैं जिसे प्लानिंग कमीशन ने अपनी श्रेणी में बतलाया है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन से जिले इस श्रेणी में हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह जो प्रश्न है तथा आज शाम को जिस पर डिस्कशन होने वाला है उससे सम्बन्धित नहीं है। यह सब मार्जिनल स्टेट्स की स्कीम के अन्तर्गत आता है और जिसे हमने लिया है वह पिछड़े हुये जिलों के सम्बन्ध में है। उसे हम नियम ५१ के अन्तर्गत आज शाम को ले रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो २१ जिले पिछड़े हुये हैं और जो डेवलपमेंट स्कीम्स चालू हैं वह किस जिले में होंगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड तथा पहाड़ी इलाकों का जिक्र नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें बदायूं नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह स्कीम कब से चालू होगी, इन जिलों का चुनाव कब तक हो जायगा और जो आपने मांग की है उसमें आपको कितने जिले और मिलने की आशा है ?

श्री शिवराज सिंह—

यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना का एक भाग है। इस समय योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है, इसलिये यह शीघ्र ही लागू की जायगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ४० जिलों में से ३६ जिलों का आबंटन कर दिया है, ४ जिले शेष रह गये हैं। इस प्रकार का भी प्रयास किया जा रहा है कुछ और जिले उत्तर प्रदेश को मिल जायं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं सारे देश में टेहरी-गढ़वाल औसत जोत और औसत आमदनी दोनों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। क्या सरकार इस स्कीम में इस जिले को भी शामिल करने की कृपा करेगी ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रश्न का पहला जो भाग है उसके बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जहां तक चमोली जिले को इसमें शामिल करने की बात है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि पहले इस योजना के बारे में माननीय सदस्यों को समझ लेना चाहिये। इस योजना का उद्देश्य, चौथी पंचवर्षीय योजना में, योजना काल के अन्दर देहाती क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है, उसमें छोटे किसानों को मदद पहुंचाने का है। उस वर्ग की जो अब तक उन्नति नहीं हो पायी है, उसकी उन्नति की जाय। केन्द्रीय सरकार का निर्देश यह है कि इस प्रोजेक्ट को उन जिलों में लागू किया जाय, जहां उन्नति के साधन हों, सिंचाई के साधन हों, सड़कें हों, जिससे योजना पूरी तरह से सफल हो जाय तथा छोटे किसानों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। जहां इस प्रकार के उन्नति के साधन न हों, वहां इस योजना को न चलाया जाय, नहीं तो योजना विफल हो सकती है।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

उन जिलों में काश्तकारों को किस आधार पर छांटा जायगा और किस आधार पर उनको रुपया मिलेगा ?

श्री शिवराज सिंह—

जिस जिले विशेष में यह योजना चालू की जायगी उसमें इसके अन्तर्गत मार्जिनल कृषकों को जिनकी परिभाषा ढाई एकड़ तक है, के किसानों को छांटा जायगा। प्रारम्भ में जिन लोगों के पास १ एकड़ तक जमीन है, उन छोटे किसानों को छांटा जायगा और अगर २० हजार की तादाद उनसे पूरी नहीं होती तो शेष संख्या ढाई एकड़ तक के किसानों में से पूरी की जायगी। उनको सहायता देने का जो रूप योजना में है जिसके अनुसार उन लोगों को हम सहायता देना चाहते हैं, आपने उसको पूरा पढ़ने की मुझे इजाजत नहीं दी, नहीं तो मैं पूरा रूप पढ़ कर सुना देता।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

२१ जिले ऐसे हैं जो सारे प्रदेश में अविकसित माने जाते हैं। तो क्या माननीय कृषि मंत्री जी सब-मार्जिनल स्कीम को इन जिलों में से किसी एक जिले में चालू करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, प्रश्न गत योजना के अन्तर्गत चयन करने के लिये मापदंड केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये गये हैं और उस मापदण्ड के अनुसार यह प्रतिबन्ध है कि ऐसे पिछड़े हुये जिले जहां इनफ्रा स्ट्रक्चर न हो उनका चयन किया जाय तो इस योजना के अन्तर्गत पहाड़ी अंचल और बुन्देलखंड के जिले नहीं लिये जा सकते। जब और जिले हम मांगेंगे उनमें अवश्य पूर्वी जिलों को सम्मिलित किया जायगा।

श्री राम करण (जिला गोरखपुर)—

इतना अहम सवाल है इसको देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी एक सर्वदलीय कमेटी बनायेंगे और उन २२ जिलों के बारे में सोच विचार और केन्द्र से सहायता लेकर उनकी तरक्की की बात सोचेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

इस योजना से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप इजाजत देंगे और सदन का ऐसा मत होगा तो सदन में आप किसी रोज भी इस पर बहस करा लें और सदन का जो भी फैसला होगा वह मुझे मान्य होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हमारे प्रदेश में १९ ऐसे जिले हैं जो कि देश के ५१ सबसे पिछड़े हुये जिलों में हैं और यह १९ जिले ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इन्कम १७० से कम है। जो माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक बार बार कह रहे हैं कि उसमें इस प्रकार प्रतिबन्ध हैं कि जो पिछड़े जिले हों उनमें यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो तो यह स्कीम लागू न की जाय तो यह उनके पास कोई केन्द्र का पत्र है या कोई सूचना है? यदि है तो कृपापूर्वक उसको सदन में पढ़ कर सुना दें।

श्री शिवराज सिंह—

मैंने जो भी उत्तर दिया है रेकार्ड के आधार पर दिया है। मैंने कहीं पर अपनी राय नहीं जाहिर की है।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास पत्र है?

श्री शिवराज सिंह—

मेरे पास इस समय पत्र तो नहीं है। आप कहेंगे तो शाम को दिखा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, शाम को दिखा दीजियेगा।

श्री विश्वनाथ कपूर। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) अब इस पर बहुत प्रश्न हो चुके।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपने पूरा राउन्ड लिया और जब मैं खड़ा हुआ तो बीच में हमको छोड़ दिया। हमको भी एक सवाल पूछ लेने दीजिये।

श्री रामकरन (जिल गोरखपुर)—

माननीय कृषि मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है। जब यह प्रश्न मैंने किया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर चर्चा करा दी जाय। मैं आपकी इजाजत से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि वह कौन सी तिथि होगी जिस दिन इस इश्यू पर वह चर्चा करेंगे। कृपा करके यह घोषणा करा दीजिये मामला हल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं निश्चित करूंगा इसको।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रधान मंत्री से मुलाकात के समय वह अकेले थे या उनके साथ मुख्य मंत्री भी थे और उनसे आपने क्या निश्चित शिकायत की और प्रधान मंत्री ने क्या निश्चित उत्तर दिया?

श्री शिवराज सिंह—

प्रधान मंत्री से जब मैं मिला तो अकेले मिला। मैंने उस समय राज्य के लिये मार्जिनल कृषक और खेत मजदूर की उन्नति योजनाओं और लघु कृषक उन्नति योजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संख्या के आधार पर संख्या देने के लिये उनसे प्रार्थना की थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रधान मंत्री ने क्या उत्तर दिया?

श्री शिवराज सिंह—

उन्होंने आश्वासन दिया कि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायगा।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

बुन्देलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बहुत पिछड़े हुये क्षेत्रों में से है और माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि केन्द्रीय सरकार से जो निर्देश मिले हैं उन निर्देशों के हिसाब से एक गलतफहमी हो सकती है माननीय मंत्री जी को कि बुन्देलखंड की जो जमीन है उसका मूल्यांकन दुगना हुआ है श्रीमन् तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी यह मार्जिनल स्टेट्स स्कीम में बुन्देलखंड का कोई जिला दिये जाने का विचार कर रहे हैं?

श्री शिवराज सिंह—

जो माप दण्ड इस एजेंसी के अन्तर्गत चयन करने के लिए निश्चित किये गये हैं उनके अनुसार बुन्देलखंड के किसी जिले को सम्मिलित करना संभव नहीं है। यदि सदन निश्चय करेगा तो केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में रिक्वेस्ट की जा सकती है।

श्री महीलाल—

जिन १० योजनाओं में से केवल दो योजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत होकर आयी हैं वह कौन सी योजनाएं हैं और उनको किस-किस जिले में लागू किया जा रहा है?

श्री शिवराज सिंह—

मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया है कि संख्या अभी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत होकर आयी है, कौन से जिले होंगे, उनका अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसलिये कि मेरठ को झुनझुना पहले मिल गया है।

श्री कृष्णानन्द राय---

उत्तर से संबंधित माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने जो माप-दंड बताया है कि ऐसे हैं, जिसकी वजह से बुन्देलखंड या पूर्वी जिले जहां पर विकास नहीं हो सका है और केन्द्रीय सरकार के विचार के अनुसार ऐसे जिले इतने पिछड़े हुए हैं कि साधन नहीं हैं विकास के लिए तो वह रुपया नहीं दे सकते, तो माननीय शिवराज सिंह जब प्रधान मंत्री जी से मिलने गये थे और मुख्य मंत्री जी गये थे प्राइवेटली तब प्रधान मंत्री जी ने उनसे यह बात कही थी या कोई उन्होंने लिखित कागज भेजा है? क्योंकि हम लोगों को ऐसा विश्वास हो रहा है कि प्रधान मंत्री या केन्द्रीय सरकार का ऐसा पत्र नहीं हो सकता कि गरीब जिलों को छोड़ दो, तो क्या उस पत्र को आज रख देंगे शाम के वक्त सदन की मेज पर?

श्री अध्यक्ष--

शाम के वक्त उन्होंने यह कहा कि जो पत्र आया है केन्द्र से, यह नहीं कि प्रधान मंत्री ने भेजा है।

श्री राम कुमार शास्त्री---

जब प्रधान मंत्री से और उनसे बातचीत हो गयी थी और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा था तो यह २५ मई को एक कानफ्रेन्स आयोजित करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी और दिल्ली में खास तौर से?

श्री शिवराज सिंह---

कान्फ्रेन्स का उद्देश्य तो यही हुआ करता है कि प्रदेश का मुकदमा और ज्यादा चमकाया जाय, उसके संबंध में और तर्क दिये जायं ताकि पब्लिक ओपीनियन उसके फेवर में आ जाय, उन्हीं उद्देश्यों से कांफ्रेंस की गयी थी।

श्री इन्द्रमणी---

क्या विकास मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रधान मंत्री से मिले हैं तो उन्होंने यह भी उनसे बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जो २२ जिले पिछड़े हुये हैं या जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेन्ट की है उन्हीं के संबंध में बातचीत की है? क्या आप ने प्रधान-मंत्री जी से यह नहीं कहा कि उन डायरेक्शंस को हटा कर इस तरह के दिये जायं ताकि पिछड़े हुये जिले ---पर्वतीय जिले, पूर्वी जिले और बुन्देलखण्ड के, वह भी उसमें सम्मिलित किये जायं?

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, उस बातचीत में जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है केवल इन जिलों की संख्या के बारे में बातचीत की थी कि पर्याप्त संख्या में उत्तर प्रदेश को इस प्रकार के जिले दे दें। और कोई बात नहीं की गई थी।

सहकारी समितियों द्वारा देय आडिट शुल्क में वृद्धि

**४---श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समितियों द्वारा देय आडिट शुल्क बढ़ाने का आदेश सरकार ने दिया है? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर शुल्क बढ़ाया गया है? क्या जिला सहकारी बैंकों का आडिट शुल्क लगभग दस गुना कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

जी हां, सरकार ने प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा देय आडिट शुल्क की दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि सरकारी समितियों से सर्वेक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त आय तथा सहकारी सम्प्रेक्षा संगठन पर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय के अन्तर को कम करने के उद्देश्य से की गई है। जिला सहकारी बैंकों द्वारा देय आडिट शुल्क की नई दरें उनको वांछित पूंजी के अनुपात में निर्धारित की गई है। उनके द्वारा नई दरों पर देय आडिट शुल्क प्रत्येक दशा में पुरानी दरों पर लगने वाले आडिट शुल्क का दस गुना नहीं होता।

श्री विश्वनाथ कपूर—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। किस आधार पर शुल्क बढ़ाया गया है यह उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कोआपरेटिव फ़ेड्रेशन और बैंक और जो सोसाइटीज़ हैं उनका शुल्क बढ़ाने का आधार नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आप प्रश्न कर दें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायंगे कि जिला सहकारी बैंक जो अब तक १००० रुपया आडिट शुल्क देते थे, उसको बढ़ा कर ५,०००, १०,००० और १५,००० रु० कर दिया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, जो जिला सहकारी बैंकों पर नई दरें लगाई गई हैं वह इस प्रकार है —

			रु०
५० लाख कार्यशील पूंजी तक	..	..	५,०००
५० लाख से १ करोड़ तक	..	..	१०,०००
१ करोड़ से २ करोड़ तक	..	..	१५,०००
२ करोड़ से अधिक कार्यशील पूंजी पर		..	२०,०००

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, यह तो १ हजार से बढ़ कर २०,००० हो गया है। यह जो बढ़ाया गया है, किस आधार पर बढ़ाया गया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कार्यशील पूंजी पर पहले ३७ पैसे प्रति सौ रुपया फीस थी। उसको बढ़ा कर ४० पैसे प्रति सौ रुपया कर दिया गया है। बुनियादी रूप से केवल ३ पैसे प्रति सौ रुपया बढ़ाये गये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जिला सहकारी बैंकों पर पहले १,००० रु० फीस थी। वह किन कारणों से बढ़ाई गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आडिट फीस से जो आय होती थी वह व्यय होने के अनुपात में कम थी इस-लिये बढ़ाई गई है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

अब तक ५५ हजार रुपया देते थे और जब फीस बढ़ाई गई है तो ६ लाख रुपया सरकार को देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कार्यशील पूंजी पर फीस मिलेगी।

श्री दीपनारायण मणि—

१९६८-६९ में सरकार को जो आडिट फीस से आय हुई वह है ३७ लाख रुपया और उन्होंने खर्च ज्यादा दिखा कर बढ़वा लिया है। तो क्या इसके घटाने पर सरकार पुनः विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१९६८-६९ में आय हुई ३७,०६,००० रु० की और खर्च हुआ ६२,१९,००० रु० जो माननीय सदस्य ने बात कही है उस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंकों का आडिट शुल्क जो बढ़ा कर १० गुना कर दिया गया है उसके बढ़ाने के कारण क्या हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सुनाई नहीं दिया।

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न में यह कहा गया कि सहकारी बैंकों के आडिट के सिलसिले में १० गुना शुल्क बढ़ा है। मेरी जानकारी यह है कि १५ से २० गुना के बीच बढ़ा है तो आखिरकार इतना बढ़ा देना क्यों उचित समझा गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने जैसा निवेदन किया कि प्रतिवर्ष आडिड व्यय बढ़ता चला जा रहा था और आमदनी आडिट फीस से उसके अनुपात में बहुत कम थी और ४८ लाख रुपये तक का घाटा होता था इस मद में तो उसे थोड़ा कम करने के लिए यह शुल्क बढ़ाया गया है।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं यह जानना चाहता हूं, मान्यवर, कि यह जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं इनकी फीस कम है। तो अगर कोआपरेटिव बैंक इन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स से खुद जांच करावें तो इसमें क्या सरकार को कोई आपत्ति है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

१९५० से पूर्व कुछ मुख्य मुख्य सहकारी संस्थाओं और बैंकों के लेखे का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट करते थे लेकिन इस पद्धति को बदल कर राज्य सरकार के संगठन द्वारा इसलिये कराया जाने लगा कि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था और वह सहकारिता आन्दोलन के कार्य में प्रशिक्षित नहीं थे इस कारण वह कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देते थे।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आमदनी होती थी वह खर्चे के अनुपात से कितने परसेन्ट कम होती थी और जो यह बढ़ाया गया है यह कितने परसेन्ट बढ़ाया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह जो आंकड़े हैं वह परसेंट के आधार पर नहीं हैं। यह अलग-अलग जो सहकारी समितियां हैं उन पर निर्धारित किया गया है जैसे जो उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक हैं उस पर ६० हजार रुपया अधिकतम शुल्क रखा गया और प्रादेशिक सहकारी संघ के लिये ६० हजार रुपया अधिकतम शुल्क रखा गया। इस प्रकार अलग-अलग श्रेणी की समितियों के लिए अधिकतम सीमा रखी गई है। इतना होने के बाद भी यह अनुमान है कि इस वर्ष ४० लाख रुपया घाटा होगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर डिपार्टमेन्ट से आडिटर लेकर स्वयं सहकारी बैंक आडिट करा ले तो सरकार शुल्क नहीं लेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

समझा नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जो सहकारी बैंक है वह आप से आडिटर ले लें और अपने यहां उनको परमानेन्टली एप्वाइंट कर ले और उनसे आडिट करा लें क्योंकि उनको वेतन जो देना पड़ेगा वह चार, पांच सौ रुपया ही देना पड़ेगा तो क्या सरकार उन बैंकों से शुल्क नहीं वसूल करेगी?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, वर्तमान परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ के अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय से फाइलों का गायब होना

*१—श्री बांके लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या लखनऊ कमिश्नरी कचहरी से माल अपीलों की ४६ फाइलें गायब होने की ओर सरकार का ध्यान गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त घटना के तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये बतायेगी कि क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जी नहीं। केवल अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मंडल के न्यायालय सम्बन्धी माल की ४ अपीलें अपनिहित हैं जिनकी खोज की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत छोड़ी गई भूमि

*१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि भूमि अधिग्रहण के सेक्शन ४ के बाद गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत कितनी-कितनी और किन-किन सज्जनों की भूमि छोड़ी गई है?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

†सूचना संलग्न है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि यह भूमि छोड़ने का उनका आधार क्या रहा है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिस भूमि की जरूरत नहीं थी उसको छोड़ दिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह जो भूमि छोड़ी गयी जिसके लिये कहा गया कि जरूरत नहीं थी यह क्या एक जगह पर छोड़ी गई या सारी योजना के अन्दर बिखरी हुई छोड़ी गई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

बिखरी भी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन नहीं पाया आपने क्या जबाव दिया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, बिखरी हुई हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्ट उत्तर दें । उन्होंने पूछा कि एक जगह छोड़ी गई है या कई जगह पर छोड़ी है ।

श्री अतीकुर्रहमान—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप पहले कह देते ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों की भूमि छोड़ी गई है वह उनकी दरख्वास्तों के ऊपर छोड़ी गई है या सरकार ने स्वयं कोई नीति बनाकर अपनी ओर से छोड़ा है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

अध्यक्ष महोदय, जो जमीनें छोड़ी गई हैं उनमें कब्रिस्तान है, मसजिद है, मंदिर है, चर्च हैं और स्कूल हैं । उनकी जमीनें छोड़ी गई हैं । जो आधी सरकारी या सरकारी इमारतें हैं उनकी जमीनें छोड़ी गई हैं । साथ ही लेबर डिपार्टमेंट, यू० पी० इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन की जमीन छोड़ी गई है । जो कन्सट्रक्टेड एरिया था उनकी जमीनें छोड़ी गई हैं । आबादी वाला एरिया भी इसके लिये मौजूं नहीं था इसलिये उसको भी छोड़ दिया गया जो एरिया डेवलपमेन्ट के लिये मौजूं नहीं था उसे छोड़ दिया गया है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मंत्री महोदय ने बताया फलां फलां जमीनें छोड़ी गई हैं । उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं थी इसलिये छोड़ दी गई । यदि जरूरत नहीं थी तो पहले उनके ऊपर रिक्लेमेशन की कार्यवाही क्यों की गई और फिर कह दिया कि जरूरत नहीं थी । उनको किस आधार पर छोड़ा गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

पहले अन्दाजा लगाया गया था कि ८४४८ एकड़ जमीन की आवश्यकता है और अन्डर सेक्शन ४ के नोटिफिकेशन हुआ था वह हुआ कि ३६०३ एकड़ को एक्सक्लूड कर दिया गया और ४८४५ एकड़ लिया गया ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि मंदिर, मसजिद और कब्रिस्तान की जमीन को छोड़ा गया है यह गलत है। जो जमीने छोड़ी गई हैं वे हैं श्री कैलाश प्रकाश जी के दोस्त की, चौधरी साहब के अजीज, श्री बनवारी लाल की, मंगला प्रसाद जी के दोस्त टाटा आयल मिल वालों की और मेरठ के कमिश्नर तथा मुसद्दीलाल जी के दोस्तों और साथियों की जमीनें छोड़ी गई हैं। ये जमीनें उन्हीं लोगों की छोड़ी गई हैं जिनकी पहुंच या तो स्वायत्त शासन मंत्री तक या मुख्य मंत्री तक थी उन्हीं लोगों की जमीनें छोड़ी गई हैं और जिनकी पहुंच नहीं थी उनकी जमीनें ले ली गयी हैं। मान्यवर, आज भी हजारों परिवारों के लोगों को इसी कारण रात में नींद नहीं आती है कि न मालूम किस समय उनसे वह जमीन खाली करवा ली जाय। मान्यवर, किस आधार पर यह जबाव दे रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन लोगों के बारे में माननीय प्यारे लाल ने बताया है, उनकी जमीनें छोड़ी गई हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। जिन लोगों के नाम बतायें गये हैं क्या उनकी जमीन छोड़ी गई हैं।

श्री अतीकुर्रहमान—

अगर उन व्यक्तियों के नाम उस लिस्ट में हैं जो संलग्न है तो उनकी जमीनें छोड़ी गई हैं। वह लिस्ट उनको दे दी गई है और वह उसको देख सकते हैं।

श्री शंकर लाल जायसवाल—

श्रीमन्, यह कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है जो मालूम होना चाहिये था....

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन जमीनों की आवश्यकता नहीं थी वह छोड़ दी गयीं। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीनें किसानों की ली गयीं वह किस आवश्यकता के लिये ली गयीं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मान्यवर, आवश्यकतायें थी कि गाजियाबाद दिल्ली के बिलकुल करीब है और जो नेशनल कैपिटल रीजन स्कीम है उसके अन्तर्गत तमाम एरिया आता है। तो यहां प्लान्ड डेवलपमेन्ट की जरूरत है। उस डेवलपमेन्ट को करने के लिये यह जमीनें एक्वायर की गयी थीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कुछ जमीनों की आवश्यकता नहीं थी, कुछ स्कीमें गलत ले ली गयी थीं। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने या सरकारी कर्मचारियों ने गलत स्कीमें देकर गरीबों को उजाड़ा था उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

किसी गलत स्कीम की सरकार को इत्तला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

सिर्फ वही बेंचेज नहीं रह गयी हैं, हम चिल्लाते रहते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जो जमीनें छोड़ी गयीं उनकी जरूरत नहीं थी। मैंने प्रश्न किया था कि यदि आवश्यकता नहीं थी तो एक्वीजीशन की कार्यवाही क्यों की गयी ? धारा ४ की कार्यवाही क्यों की गयी ? उसके उत्तर में भी उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं थी। अब तो मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूं कि उनके मंत्रित्व काल में, अब या इसके पहले, कौन-कौन जमीनें और किस-किस की छोड़ी गयी और निश्चित रूप से उनका आधार क्या था, जरूरत क्यों नहीं थी ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन, आप मेरे सवाल का जवाब तो दिलवा नहीं पाते . . . .

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

जहां तक मुझे खयाल है, मेरे मंत्रित्व काल में कोई जमीन नहीं छोड़ी गयी। वैसे नोटिस की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्यारे लाल जी ने जब अनशन किया था तो उस समय यह वायदा किया गया था कि इन जमीनों के बारे में जो कार्यवाही होगी उसमें उनसे भी परामर्श किया जायगा। ऐसा मालूम होता है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह आश्वासन दिया गया था ?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था।

श्री अतीकुर्रहमान—

मुझे उस आश्वासन की इत्तिला नहीं है।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्यारे लाल जी ने जो आरोप लगाये हैं कि इन लोगों के दोस्तों और रिश्तेदारों की जमीनें छोड़ी गयी हैं, क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और उसकी रिपोर्ट सदन में रखेंगे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

पूरी लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट में यह नहीं लिखा है कि कौन किसका रिश्तेदार है। कौन किसका दोस्त है।

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

(सरकारी पक्ष से) माननीय मंत्री आपके पक्ष के ही मंत्री हैं। आप उनसे दफ्तर में पूछकर वैसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतना ज्यादा शोर कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह अनुचित है।

आपको अपने मन्त्री से जानकारी कर लेनी चाहिये। आप सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, यह अनुचित है। एक-एक करके आपको खड़ा होना चाहिये। उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि मुझे मालूम नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैंने जनाबवाला, यह प्रश्न किया था कि गलत तरीके से जो जमीन ले ली गई और गरीब लोगों को परेशान किया तो जिन अधिकारियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इसका जवाब दे दिया।

(व्यवधान)

आजमगढ़ जिले में सिकरी कोल माइनर नहर का निर्माण तथा भूमि का मुआविजा देना

*२—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत दोहरीघाट ब्लाक में सिकरी कोलमाइनर नहर शासन द्वारा कब स्वीकृत हुई है और उसका निर्माण-कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

इस नहर का निर्माण सन् १९६१ में स्वीकृत हुआ था परन्तु जनता के विरोध के कारण इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सका।

*३—श्री लालसा—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सिकरी कोल माइनर नहर के निर्माण हेतु जो जमीनें सरकार ने किसानों से ली हैं उनका मुआवजा कितने किसानों को दिया गया है ? तथा क्या मुआवजा सभी किसानों को दे दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस नहर के निर्माण हेतु २९ ग्रामों में भूमि ली गई थी, जिनमें से १८ ग्रामों के किसानों को पूर्ण रूप से तथा ३ ग्रामों के किसानों को आंशिक रूप से मुआविजा दिया जा चुका है। शेष ८ ग्रामों के किसानों को मुआविजा अभी वितरित नहीं किया जा सका है।

पूर्ण सूचना एकत्रित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*४—श्री जयराम यादव—

[८वें सोमवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :— तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्मोड़ा जिले की सरकारी भूमि में रहने वाले मवाशों को भूमिधरी अधिकार का प्राप्त न होना

*५—श्री डूंगरसिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जिला के कौसानी, ग्वालदम, बजूला, मैंगढ़ी, तलवाड़ी, डूमलाट ग्रामों की सरकारी भूमि में कितने मवाशे रहते हैं जिन्हें भूमिधरी अधिकार दिये गये हैं यदि हां ? तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला अल्मोड़ा के कौसानी, बजूला, मैंगढ़ी तथा डूमलाट के राजकीय आस्थानों में मवाशों की संख्या क्रमशः २१३, १७९, १७४ तथा ३३ है। जिला चमोली के राजकीय आस्थान तलवाड़ी तथा ग्वालदम में क्रमशः ८६ तथा १४४ मवाशे हैं। ग्वालदम राजकीय आस्थान की कुछ भूमि सरकारी विभागों के पास है।

उपरोक्त ६ राजकीय आस्थानों में बसे हुए मवाशों को अभी तक भूमिधरी अधिकार नहीं दिए गए हैं क्योंकि इन राजकीय आस्थानों में अभी तक कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० लागू नहीं किया गया है।

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१० वें बुधवार के प्र० सं० १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद में सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

*७—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के सिंचाई विभाग में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं जिनको पांच वर्ष की अवधि से लगातार कार्य करने पर भी स्थाई नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसे २०२ कर्मचारी हैं।

बस्ती जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि

*८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने २८ फरवरी, १९७० से ३१ मार्च, १९७० तक ठेकेदारों की अदायगी के लिये अपने विभाग से कितने चेक जारी किये और कितनी धनराशि के ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)—

बस्ती जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो खन्ड हैं—(१) अस्थायी खन्ड तथा (२) अस्थायी मार्ग एवं सेतु निर्माण खंड १ उनके द्वारा में निर्दिष्ट अवधि में ठेकेदारों की अदायगी के लिए जारी किये गये चेकों की संख्या तथा धनराशि इस प्रकार है :—

अस्थायी खन्ड

२३५ चेक	..	..	..	रु०	१२,२९,२९८.२९

अस्थायी मार्ग एवं सेतु निर्माण खण्ड

११२ चेक	रु०	२,०२,९५८.५९
योग ३४७ चेक	रु०	१४,३२,२५६.८८

बस्ती जिले की बांसी तहसील में राप्ती नदी के बहाव को मोड़ने हेतु ठोकरें

*९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बांसी तहसील में राप्ती नदी पर नरकटहाव बंजरहा बुजुर्ग स्थानों पर पिछले ५ वर्षों में कितनी बार पानी का बहाव मोड़ने के लिये ठोकरें बनी और उन वर्षों में कौन-कौन ठेकेदार थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बस्ती जिले की बांसी तहसील में राप्ती नदी पर केवल बंजरहा बुजुर्ग ग्राम के समीप पिछले पांच वर्षों (अर्थात् वर्ष १९६५-६६ से वर्ष १९६९-७० तक) में दो बार ठोकर बनाये गये थे ।

ठेकेदारों के नाम संलग्न तालिका में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में चकबन्दी कार्य

*१०—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में कितने गांवों के चकबन्दी का कार्य समाप्त हो गया है ? उन गांवों के नाम क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला गोरखपुर की तहसील, बांसगांव के किसी भी ग्राम में चकबन्दी समाप्त नहीं हुई है ।

गोरखपुर जिले के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*११—श्रीमती मसाली देवी—

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि स्कूल हरिजन बस्ती एवं सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये चकबन्दी अधिकारियों द्वारा जमीन न छोड़ने की १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस सम्बन्ध में ७ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिन पर कार्यवाही का विवरण संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६३-३६४ पर)

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्वागित]

लेटरल रोड पर व्यय तथा भिन्न २ जिलों से इस रोड का निकाला जाना

*१३---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लेटरल रोड पर अनुमानित व्यय सरकार द्वारा कितना स्वीकृत किया गया है तथा उनमें से अब तक कितना व्यय किया गया और कितना बाकी है?

श्री धर्मसिंह---

इस प्रदेश में लेटरल रोड के निर्माण के लिये २,६३२.८० लाख रुपये की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है और मार्च, १९७० तक इसपर लगभग २,००४.१६ लाख रुपये व्यय हो चुका है तथा लगभग ६२८.६४ लाख रुपये अभी व्यय होना बाकी है।

*१४---श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में लेटरल रोड निकाली गई है तथा किन-किन जिलों में कितनी-कितनी जमीन सरकार ने सड़क निर्माण हेतु किसानों से ली है ?

श्री धर्मसिंह---

लेटरल रोड, उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर व देवरिया जिलों से होकर निकाली गई है। इस सड़क के निर्माण के लिये विभिन्न जिलों में ली गई भूमि की सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

*१५-१६---श्री श्याम लाल---

[८वें सोमवार के प्र० सं० ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बाराबंकी के सुमैया आरगैनिक्स द्वारा चरागाह आदि पर कब्जा

*१७---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम सनेही पुरवा मजरा खंधौली, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के कतिपय किसानों ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक, १४ अप्रल, १९७० द्वारा शासन से शिकायत की है कि सुमैया आरगैनिक्स, बाराबंकी उनकी परती चरागाह, खलिहान, कब्रिस्तान और रास्ते आदि की जमीन को लेकर उनको उनके गांव से उजाड़ देने की चेष्टा कर रही है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां। जांच के बाद आरोप सत्य नहीं पाया गया।

आजमगढ़ जिले की तहसील, फूलपुर के परगनाधीश द्वारा मुकदमों का फैसला

*१८---श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)---

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में तहसील, फूलपुर के भूतपूर्व परगनाधीश, श्री नागेश्वरसिंह ने ३० मई, १९६९ से ३० जून, १९६९ के बीच कितने पट्टे के मुकदमों का फैसला किया ? क्या उन सब पट्टों के मुकदमों के विवरण की एक सूची सदन में पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्री नागेश्वर सिंह ने ३० मई, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक पट्टा सम्बन्धी २८४ मुकदमों का फैसला किया जिनकी सूची माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

आजमगढ़ जिले की तहसील, फूलपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा नियुक्तियां

*१९—श्री दलसिंगार—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में तहसील फूलपुर में चकबन्दी विभाग में कितने चपरासी, लेखपाल व लिपिक की नियुक्ति सन् १९६९ व १९७० में की गई है? क्या इन लोगों का नाम सेवायोजन कार्यालय में मांगा गया था। यदि हां, तो किस तारीख में और किन-किन लोगों का, उनमें हरिजनों की संख्या क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में चकबन्दी विभाग में वर्ष १९६९ व १९७० में कुल ४५ लेखपाल, २ लिपिक और ३२ चपरासी नियुक्त किये गये। केवल ६ सितम्बर, १९६९ के पत्र द्वारा एस० ओ० सी०, आजमगढ़ ने लेखपालों के लिये सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे। कुल ८४ नाम प्राप्त हुए जिनमें १० हरिजन थे। नामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। लिपिकों और चपरासियों की नियुक्ति अन्य जिलों से स्थानान्तरण द्वारा की गयी, अतः सेवायोजन कार्यालय से नाम नहीं मांगे गये।

बांदा जिले की तहसील, नरैनी में ग्राम समाज की जमीनों के पट्टे

*२०—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के काजीपुर तथा स्योढ़ा गांव में हाल में ग्राम समाज की जमीनों के कितने पट्टे हुये हैं तथा क्या वे पट्टे वैधानिक हैं? क्या अवैधानिक कार्य के लिये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हाल ही में नरैनी तहसील के ग्राम, काजीपुर में ५४ पट्टे किये गये। ग्राम स्योढ़ा (निहालपुर) में कोई पट्टा नहीं किया गया।

(ख) जांच के पश्चात् ग्राम काजीपुर के ५४ पट्टों में से १६ पट्टे अवैध पाये गये।

(ग) दोषी लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद के बजट में घाटा

*२१—श्री श्यामसूरत उपाध्याय तथा श्री राजचन्द्र विकल—

क्या स्वशासन मंत्री जी बतायेंगे कि नगर महापालिका, इलाहाबाद का १९६९-७० का बजट कितने रुपये के घाटे का था? और उक्त घाटे की पूर्ति किस प्रकार की गई तथा नगर महापालिका, इलाहाबाद का १९७०-७१ का बजट कितने रुपये के घाटे का है? और क्या सरकार ने उक्त घाटे की पूर्ति हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगर महापालिका, इलाहाबाद का वर्ष, १९६९-७० का मूल बजट ५५,१०,१९४ रु० के घाटे का दिखाया गया था किन्तु उसी वर्ष संशोधित बजट में ४७,७७,५३८ रु० का घाटा दिखाया गया। उक्त घाटे की पूर्ति विकास निधि से कुछ धन लेकर तथा बिलों के भुगतान

को रोक कर की गई थी। १९७०–७१ का मूल बजट, जिसमें में २३,२१,०२५ रु० का घाटा बताया गया है, नगर महापालिका से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। नगर महापालिका के बजट में कथित घाटे की पूर्ति हेतु शासन द्वारा कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[८वें सोमवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[दि० १० जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला बलिया में गांव सभाओं की भूमि पर अवैध कब्जा तथा जमीनों का पट्टा

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया तहसील और जिला के अन्तर्गत गांव सभा, करनई बसन्तपुर चेरुइयां, मिड्ढा, डुबहड़ और भरखोखा के अन्तर्गत कौन–कौन-सी आराजी गांव सभा की है और इन पर कितने लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला बलिया, तहसील बलिया के गांव सभा, करनई, बसन्तपुर, चेरुइयां, मिड्ढा, डुबहड़ तथा भरखोखा के अन्तर्गत गांव सभाओं की भूमि का कुल क्षेत्रफल तथा उसमें से कुछ भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम-सं०	नाम ग्राम सभा			गांव सभा की समस्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों की संख्या	अवैध कब्जों के अन्तर्गत क्षेत्रफल ((एकड़)
१	करनई	..	..	१६७.२०	५४	१२.८५
२	बसन्तपुर	..	..	२६६.०२	९३	२८.८१
३	चेरुइयां	..	..	३२.१२	४	२.२०
४	मिड्ढा	..	..	५०.१८	—	—
५	दुबहड़	..	..	८९.० ९१/२	५४	३.३८
६	भरखोखा	..	..	५३.०१	३४	४.०४

उपर्युक्त ग्राम समाओं की भूमि का खसरा नम्बरवार विवरण माननीय सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

*२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त मौजों में सभापतियों ने १ जनवरी, १९६४ से लगायत ३१ अक्तूबर, १९६९ तक गांव सभा की कितनी आराजी का पट्टा लोगों को किया है और इन में कितने भूमिहीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त ग्राम सभाओं में सम्मिलित गांवों में १ जनवरी, सन् १९६४ से ३१ अक्तूबर, सन् १९६९ तक पट्टा की गई आराजी तथा भूमिहीनों को दी गई भूमि का विवरण निम्नलिखित है:—

क्रम सं०	गांव सभा का नाम		पट्टा किया गया क्षेत्रफल	पट्टों की संख्या	पट्टेदारों की संख्या	पट्टेदारों में भूमिहीन की संख्या
१—	करनई	..	२४.५४	२९	४२	—
२—	बसंतपुर	..	२.९०	१	२	—
३—	चेरुइया	..	—	—	—	—
४—	मिड्ढा	..	—	—	—	—
५—	धुबहड़	..	१९.६२	७	८	१ डिग्री कालेज
६—	भरखोखा	..	—	—	—	—

ग्राम गढ़ी बीरबल, जिला अलीगढ़ में कुलाबा के स्थान पर माइनर का निकालना

*३—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम गढ़ी बीरबल, श्रीनगर नगला दली, रामनगरिया तथा हेता रघुनाथपुर, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में खेतों की सिंचाई रजबहा महो पर कुलाबा नम्बर १०,१३,२६ व ३० से निकली—३—३ मील लम्बी गूलों में पानी न पहुंचने के कारण नहीं हो पाती ? क्या सरकार रजबहा महो पर कुलाबा नम्बर १० के स्थान से एक माइनर निकालने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं । इन कुलाबों से जितनी सिंचाई प्रस्तावित है, उससे अधिक हो रही है। अतः कुलाबा नं० १० के स्थान पर कोई माइनर निकालने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अलीगढ़ के रजबहा, लोदीपुर से कुलाबा निकालना

*४—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम कोड़रा मजरा बकायन, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सिंचाई का कोई स्थायी साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार रजबहा लोदीपुर नम्बर ४ पर एक ६ इंची कुलाबा लगाने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ग्राम कोंड़रा मजरा बकायन के २१५ कृषि योग्य क्षेत्र में १५० एकड़ क्षेत्र नहरी कमांड से बाहर है । लेकिन इस क्षेत्र में भी माइनर जाऊ की टेल से फालतू पानी उपलब्ध होने पर कुछ सिंचाई हो जाती है।

पानी की कमी के कारण वर्तमान नहरी कमांड के बाहर के क्षेत्र की सींच के लिये कोई स्थायी कुलाबा नहीं दिया जा सकता ।

*५–६—श्री रामलाल राही तथा श्री श्याम किशोर—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९–१०—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ४–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

बांदा जिले की नरैनी टाउन एरिया में हुई अनियमितताओं की जांच

*११—श्री दुर्जन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी टाउन एरिया की अनियमितताओं एवं धांधली के विरुद्ध हाकिम परगना नरैनी, श्री मिश्र ने अगस्त-सितम्बर, सन् १९६९ में क्या कोई जांच की थी ? क्या तत्संबंधी अभियोगों की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी, बांदा ने राज्य सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां । रिपोर्ट क्या है, यह बताना जनहित में नहीं है ।

*१२—श्री दुर्जन—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१३—श्री रामनिहोर राय—

[८वें सोमवार के प्र० सं० १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद जिले में जोतबहियों का वितरण

*१४—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले की किन तहसीलों में ३० अप्रैल, १९७० तक किसानों को पास बुकें नहीं वितरित की गई हैं और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इलाहाबाद जिले में ऐसी कोई तहसील नहीं है जिसमें ३०–४–१९७० तक किसानों को पास बुकें (जोतबहियां) बिलकुल वितरित न की गई हों ।

*१५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१६—श्री बांकेलाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर शहर में जल-व्यवस्था

*१७—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर में जल सप्लाई व्यवस्था ठप्प हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उसको अविलम्ब ठीक कराने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को सहायता

*१८—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं नगर में १८ अप्रैल की सायं को आग लग जाने से एक महिला एवं एक बच्चे की मृत्यु हो गई ? शासन द्वारा आग को बढ़ने से रोकने के लिये क्या पग उठाये गये ? तथा मृत परिवार एवं आग से प्रभावित परिवारों की सरकार द्वारा क्या सहायता की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आग लगने की घटना १८ को नहीं बल्कि १७ अप्रैल, १९७० को घटित हुई जिसमें एक स्त्री और एक बच्चे की मृत्यु हो गई ।

मुहल्ले वालों ने नगरपालिका के भिश्तियों की सहायता से आग को बढ़ने से रोका और आग बुझा ली ।

प्रभावित परिवारों को १२५ रु० निःशुल्क सहायता और ५०० रुपये गृह निर्माण के लिये अनुदान के रूप में वितरित किये गये ।

कृषि विभाग में तहसीलदारों की नियुक्ति

*१९—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रेगुलर तहसीलदारों में से कृषि विभाग में तहसीलदार नियुक्त करने का क्या आधार है ? तथा क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में काम करने वाले तहसीलदारों से अनेक जूनियर तहसीलदार रेगुलर तहसीलदारों के पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कृषि देयों की वसूली के लिये सृजित तहसीलदारों के अस्थायी पद तहसीलारों के नियमित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि है । अतः राजस्व परिषद् द्वारा इन पदों पर किसी भी तहसीलदार का स्थानान्तरण जनहित में किया जा सकता है । अतएव, सरकार द्वारा इस बात की जांच करने कि इन पदों पर वरिष्ठ एवं रेगुलर पदों पर कनिष्ठ अधिकारी काम कर रहे हैं, का प्रश्न नहीं उठता ।

*२०—श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

मऊरानीपुर तहसील में रानीपुर नहर के कुलाबे पर गूल का निर्माण

*२१—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीपुर नहर, मऊरानीपुर तहसील में कुलाबा नम्बर ५१ पर गूल का निर्माण नहीं किया गया है जबकि गूल खुदाई का पैसा काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है? क्या सरकार जल्दी गूल बनवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह सही नहीं है कि रानीपुर नहर के कुलाबा नं० ५१ पर गूल का निर्माण नहीं किया गया है बल्कि ६ फर्लांग १६५ फीट लम्बी गूल बना दी गई है और गरौठा सड़क पर गूल कलवर्ट भी बना दिया गया है। इसके आगे गूल इसलिये नहीं बनाई जा सकी क्योंकि कृषक न तो भूमि देने को तैयार थे और न उन्होंने स्वयं ही गूल बनाने का काम किया। अब नार्दर्न इण्डिया केनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि प्राप्त कर गूल को आगे बनाने के आदेश दे दिये गये हैं।

*२२—श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी की वसूली

*२३—श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर) तथा श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि सीतापुर जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में माह जनवरी, १९७० में शासन द्वारा आदेश हुआ था कि प्रत्येक प्रकार की वसूली रबी फसल तक स्थगित की जावें? यदि हां, तो मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस आदेश का पालन जिलाधिकारी द्वारा कब किया गया? क्या सीतापुर जिलाधिकारी ने कोई ऐसे आदेश किये थे कि खरीफ तथा रबी फसल की मालगुजारी की वसूली एक साथ खरीफ फसल में कर ली जावे? यदि हां, तो किस कारण?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। जिलाधिकारी, सीतापुर को सर्वप्रथम शासनादेश दिनांक २३-१२-६९ द्वारा तहसील सिधौली के परगना कोढ़री दक्षिणी तथा परगना बदरेपुर और तहसील बिसवां के परगना तम्बौर नं० १ व २ तथा परगना कोढ़री उत्तरी में जहां फसलों को बाढ़ से क्षति हुई हो, शासन के अगले आदेश तक वसूलयाबी रोकने तक शासन को रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। जिलाधिकारी ने तदनुसार संबंधित तहसीलदारों को ५-१-७० को निर्देश जारी करके उक्त शासनादेश का पालन किया। तत्पश्चात् स्थिति की जानकारी होने पर शासनादेश दिनांक ४-२-७० द्वारा उक्त तहसीलों के जिन २५५ गांवों में खरीफ १३७७ फ० की बाढ़ से ५० प्रतिशत या अधिक की हानि हुई केवल उन्हीं ग्रामों में मालगुजारी एवं तकाबी की वसूली नियमानुसार मुल्तवी रखने तथा शेष स्थानों में सरकारी देयों के वसूली आरम्भ करने के आदेश जारी किये गये जिसका पालन जिलाधिकारी ने तदनुसार दिनांक १२-२-७० को संबंधित तहसीलदारों को आदेश जारी करके किया।

जिलाधिकारी ने अक्तूबर, १९६९ में खरीफ १३७७ फ० की वसूली आरम्भ होने से पूर्व खरीफ तथा रबी की मालगुजारी एक साथ खरीफ में उन खातेदारों से वसूल करने के आदेश दिये थे जोकि स्वेच्छा से भुगतान करना चाहें क्योंकि खरीफ में साधारणतया किसानों को फसल से पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है।

*२४—श्री धूम प्रसाद—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५—श्री कल्यान सिंह—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२६—श्री बिहारी लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२७—श्री सन्तराम—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा जिले की बठैन ड्रेन का रिमाडलिंग करना

*२८—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि मथुरा जिले की बठैन ड्रेन केवल नक्शे में बनी तथा ग्राम बठैन, जाव खायरा, कमई पलसों आदि गांवों में पानी भरा रहता है? और पीछे से नियोजित ढंग से आता हुआ इन्हें डुबाता रहता है? क्या सरकार इस ड्रेन की रिमोडिलिंग करा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बठैन नाले की वर्तमान क्षमता कम होने के कारण वह नाला हरियाना की ओर से आते हुये बरसाती पानी तथा इस क्षेत्र की सुचारु रूप से जल निकासी नहीं कर पाता है। इस समस्या के निवारण हेतु बठैन नाले के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है जो गोवर्द्धन नाले से सम्बद्ध है। गोवर्द्धन नाले की रिमाडलिंग की योजना की अनिश्चितता एवम् आर्थिक कारणों से बठैन नाले की योजना पर कार्य नहीं किया जा सका है।

गोवर्द्धन नाले की रिमाडलिंग का व्यय भार साझीदार राज्यों द्वारा वहन किये जाने के प्रश्न पर निर्णय हो जाने पर बठैन नाले पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास सम्भव हो सकेगा।

मथुरा जिले की छाता तहसील के ग्रामों में बरसाती पानी

*२९—श्री तेजपाल—

क्या सरकार को मालूम है कि मथुरा जिले की हरियाना से लगी छाता तहसील के गांव गढ़ी बरबारी व सिरथला तथा कामर व लालपुर में होकर हरियाना प्रान्त का बरसाती पानी बह कर बेरोक आता रहता है और छाता तहसील के इन गांवों में तबाही मचाता है? यदि हां, तो क्या दहगांव माइनर के टेल से एक पटरी को बांध के रूप में तीन मील आगे बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है जिससे उस बांध से पानी रुक कर पूठरी गांव से महराना होकर गोवर्द्धन ड्रेन में अलग से चला जाय?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र हरियाणा प्रान्त से आने वाले बरसाती पानी से जल मग्न हो जाता है।

प्रश्न का दूसरा भाग—

जी नहीं।

*३०-३१—श्री मोतीलाल यादव—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद जिले के सिराथू, दारानगर तथा अझुआ बाजार को टाउन एरिया बनाना

*३२—श्री रामचरण—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सिराथू, दारानगर तथा अझुआ बाजार को टाउन एरिया बनाने का निश्चय किया गया है, यदि हां, तो कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इलाहाबाद जिले के दारानगर और अझुवा बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के उपयुक्त नहीं समझा गया है। सिराथू में टाउन एरिया बनाये जाने का विषय विचाराधीन है। इसमें निर्णय आगामी जनगणना सम्पूर्ण होने के बाद लिया जा सकेगा।

*३३–३४—श्री महरम सिंह—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३५—श्री श्यामलाल रावत—

[८वें सोमवार के प्र० सं० १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले में अग्निकांड तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

*३६—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में मार्च-अप्रैल, १९७० में किन-किन स्थानों पर आगजनी की घटनायें हुई हैं और इनसे क्या-क्या नुक्सान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मार्च व अप्रैल, १९७० में आगजनी की घटनायें १६२ स्थानों पर हुईं जिनकी सूची संलग्न है। इन आगजनी की घटनाओं के फलस्वरूप कुल ७९९ परिवार प्रभावित हुए। एक व्यक्ति तथा नौ पशुओं की मृत्यु हुई और सम्पत्ति की क्षति अनुमानतः १४,७२,०१६ रुपये की हुई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६६–३६७ पर)

*३७—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकर कृपया बतायेगी कि उपरोक्त अग्नि-पीड़ित लोगों को क्या-क्या सहायता और और कब-कब दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रभावित असहाय ५०६ परिवारों को अब तक कुल १०,१८५ रुपये की नकद अहेतुक सहायता बांटी जा चुकी है तथा २,१७० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में और वितरित करने की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त १५,००० रुपये आपदा तकाबी बांटी गई तथा १०,००० रुपये आपदा तकाबी बांटने की व्यवस्था की जा रही है। जिन व्यक्तियों के खलिहान में रखी रबी की फसल जल गई उनसे समस्त सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा मालगुजारी में सहायता देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़ के सराय इन्द्रावत के किसानों द्वारा लिफ्ट सिंचाई से सम्बन्धित कठिनाइयों के निवारण हेतु प्रार्थना-पत्र

*३८—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़), श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला प्रतापगढ़ के सराय इन्द्रावत के किसानों ने सिंचाई मंत्री को लिफ्ट सिंचाई से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये ३ अप्रैल, १९७० को एक पत्रक दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में कथित पत्रक उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के बैलाछ ताल के निकट बांध बनाने की योजना

*३९—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के बहादुरपुर ब्लाक में मनवर नदी ने काट कर एक बैलाछ ताल बना लिया है और उस ताल में नदी का पानी भर कर करीब (४०) चालीस गांव डूब जाते हैं फलस्वरूप सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कई गांव के कई हजार आदमियों के जीवन रक्षा के लिए उपरोक्त मनवर नदी तथा बेलाछ ताल के बीच कोई बांध बनाने की कृपा करेगी जिससे नदी का पानी ताल में जाना बन्द हो जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

बस्ती जिले में बहादुरपुर ब्लाक में मनवर नदी के दक्षिण तट पर नीचान में स्थित कुछ ग्रामों का क्षेत्रफल बैलाछ ताल के नाम से जाना जाता है । यह प्राकृतिक नीचा क्षेत्र है तथा इसे मनवर नदी ने काट कर नहीं बनाया है । वर्षाकाल में मनवर नदी का पानी फैल कर इस क्षेत्र में अवश्य भर जाता है जिससे गांव जल मग्न हो जाते हैं और इन गावों के लगभग ६०० एकड़ क्षेत्रफल में लगी फसल नष्ट हो जाती है ।

उक्त जल प्लावन विस्तार को रोकने के लिए ६ फर्लांग लम्बा एक तटीय बांध प्रस्तावित है ।

रोड फण्ड स्कीम के अन्तर्गत जिला रामपुर में नई सड़कों का निर्माण

*४०—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर को रोड फण्ड स्कीम के अन्तर्गत कितने मील नई सड़कें प्रदान की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन-सी सड़कें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

पक्की सड़कों के मामले में जिला रामपुर की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है । अतः सड़क निधि से इस जिले में इस वर्ष कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं की गई ।

*४१—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४२—श्री शान्तिचरण पिड़ारा, श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली), श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री इन्द्रमणि तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४३—श्री मैनेजर सिंह—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४—श्री नेतराम सिंह—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १६ के अन्तर्गत स्थानन्तरित]

*४५–४६—श्री रामनिहोर राय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इटावा स्टम्प तथा कानपुर स्टम्प की सफाई न होना तथा परिणाम स्वरूप कानपुर व इटावा की नहरों में पानी की कमी

*४७—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि अपर गंगा से निकलने वाले इटावा स्टम्प जो जेड़ा के पास लोअर गंगा कैनाल में मिलता है तथा कानपुर स्टम्प जो लोअर गंगा से गोपालपुर के पास मिलता है इन ६१ मील लम्बे दोनों टुकड़ों की सफाई कई साल से बन्द है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अपर गंगा से निकलने वाले इटावा स्टम्प जो जेड़ा के पास लोअर गंगा नहर में मिलता है, की आवश्यक सफाई जनवरी, ५८ से मार्च, ६० के मध्य में तथा पुनः १९६७–६८ में की गयी थी। कानपुर स्टम्प की सफाई की आवश्यकता इसके निर्माण से अब तक नहीं पड़ी है। अतः इसकी कोई सफाई नहीं की गयी है।

*४८—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री जी को पता है कि उक्त दोनों ६१–६१ मील के टुकड़ों की सफाई न होने के कारण भोगनीपुर इटावा व कानपुर कैनाल में पानी कम आता है जिससे उक्त क्षेत्रों की सिंचाई कम हो पाती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह कथन सत्य नहीं है कि उपरोक्त स्टम्पों की नियमित वार्षिक सफाई न होने के कारण भोगनीपुर, इटावा व कानपुर शाखा नहरों में पानी कम आता है जिससे उक्त क्षेत्रों की सिंचाई कम हो जाती है।

रायबरेली में सीवर लाइन की योजना

*४९—श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली नगर में सीवर लाइन की योजना सरकार के एल० एस० जी० डी० विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक यह योजना पूरी हो जायेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। योजना के प्रथम चरण का कार्य, जिसकी अनुमानित लागत १४.८९ लाख रु० है और जिसके अन्तर्गत शहर में भूमिगत (under ground) सीवर बिछाये जाने हैं, आरम्भ हो गया है। इस कार्य के सन् १९७२ के अंत तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

*५०-५१—श्री कल्यान सिंह—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*५२—श्री इन्द्रमणी—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*५३—श्री इन्द्रमणि—

[११वें गुरुवार के प्र० सं० ९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जौनपुर जिले में स्वीकृत राजकीय नलकूपों की संख्या तथा नलकूप लगाने हेतु स्थानों का चयन

*५४—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १९६९-७० में जौनपुर जनपद के लिये कितने नलकूप सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये और उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर कराया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जौनपुर जिले के लिये वर्ष, १९६०-७० में ३० नलकूप स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध ३१ नलकूपों की बोरिंग की गई।

नलकूपों के निर्माण स्थल की सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ ३६८ पर)

*५५—श्री जंगबहादुर यादव—

क्या उक्त नलकूप के स्थान जिला सिंचाई सलाहकार समिति के परामर्श से चयन किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। जिला स्तर पर राजकीय नलकूपों के स्थानों का चयन जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नलकूप चयन समिति के द्वारा किया जाता है न कि जिला सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा। परिशिष्ट 'क' के ३१ नलकूपों में से क्रमांक १ से २२ तक नलकूपों का चयन उक्त समिति द्वारा तथा शेष ९ नलकूपों के (पेयजल योजना के अन्तर्गत) स्थानों का चयन जिलाधीश, जौनपुर तथा अधिशासी अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने किया था।

देवरिया कलेक्टरी के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बने क्वार्टरों में पानी तथा बिजली की अधूरी व्यवस्था

*५६—श्री दीपनारायण मणि—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ ई० के पूर्व देवरिया कलेक्टरी में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये बने आवास स्थान (क्वार्टर्स) में कितनों में बिजली एवं पानी की व्यवस्था नहीं है ? सरकार इसकी व्यवस्था कब तक करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बने सभी २० क्वार्टर्स में पानी की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था १४ क्वार्टरों में नहीं है। इनमें बिजली की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बने सभी ८ क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था है तथा उनके लिये पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

जिला देवरिया की रतनापुरा व भैंसा डावर ग्राम सभाओं द्वारा भूमिहीनों में भूमि का वितरण

*५७—श्री दीपनारायण मणि—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम सभा रतनपुरा तथा भैंसा डावर तथा शाहजहांपुर तहसील सदर (देवरिया) में गांव समाज की कितनी भूमि पर सन् १९६९ ई० के बाद भूमिहीनों को पट्टे दिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्ष १९६९ के बाद ग्राम सभा रतनपुरा तथा भैंसा डावर, परगना शाहजहांपुर में भूमिहीनों को पट्टे पर कोई भूमि नहीं दी गई।

*५८–५९—श्री राजितराम पांडेय—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १८–१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६०–६१—हरीसिंह विष्ट—

[९वें मंगलवार के प्र० सं० २७–२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पीलीभीत नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की सेवा वृद्धि

*६२—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी की सेवा में वृद्धि (extension) प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री अतिकुर्रहमान—

जी हां, उक्त अधिकारी को सेवा वृद्धि कार्य के हित में दी गई है।

*६३—श्री रामचन्द्र विकल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले के ग्रामों में अग्निकांड से क्षति तथा पीड़ित परिवारों को सहायता

*६४—श्री शीतलाप्रसाद सिंह तथा श्री दीप नरायन वन (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में तहसील तरबगंज के परास पट्टी प्रखार तथा परास पट्टी मझवार में दिनांक १ मई, १९७० को भीषण अग्निकांड में कितने मकान जले और कितने मनुष्य जलकर मरे और कितने पशु जले तथा खलिहान के जलने से अनुमानतः कुल कितने धनराशि की क्षति हुई ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ५ मई, १९७० तक अग्नि-पीड़ित व्यक्तियों को किस-किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुल २९४ मकान जले। एक मनुष्य व २१ जानवरों की मृत्यु हुई। मकान, खलिहान आदि के जलने के कारण नौ लाख रुपये की अनुमानित क्षति हुई। अग्निकांड से पीड़ितों को १,७०० रु० नकद, २३९ अदद कपड़ा तथा मिल्क पाउडर दिनांक ५ मई, १९७० तक वितरित किया गया।

महेवा-निवारी सड़क को पक्का न कराना

*६५—श्री घासीराम (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इटावा की महेवा से अहेरीपुर, छोटी निवारी, बड़ी निवारी तक जाने वाली सड़क खराब हालत में है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक पक्की करायेगी ?

श्री धर्मसिंह—

प्रश्नगत सड़क को पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

*६६—श्री छेदालाल चौधरी, श्री तेजनरायन, श्री सेवाराम तथा श्री माखनलाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६७-६८—श्री मुहम्मद नबी—

[११व बुधवार के प्र० सं० १०२-१०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६९—श्री गोविन्द सिंह—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला देवरिया के नदावर घाट पर पक्का पुल बनाने की योजना

*७०—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत छोटी गंडक में नदावार घाट पर पक्का पुल बनाने के लिये २० लाख रुपया स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक शुरू होगा ?

श्री धर्मसिंह—

सलीमपुर मझौली मार्ग पर छोटी गंडक के नदावर घाट पर पुल निर्माण के लिये प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रस्तावित है। चूंकि अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है अतः यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण कब तक शुरू होगा।

कल्याणी तथा रारी नदियों पर पुल बनाने की योजना

*७१—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम कोटवा सड़क से कोटवा धाम जाने वाली जिला परिषद् की सड़क के बीच में कल्याणी नदी पर पुल न होने के कारण बरसात में आना-जाना बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर उक्त नदी पर पुल बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

*७२—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेही घाट, परगना सूरजपुर के ग्राम देवीगंज चौराहे से जो जिला परिषद् की सड़क सुबहा को जाती है उसके बीच में रारी नदी पर पुल न होने के कारण बरसात में आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर उक्त नदी पर पुल बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—

प्रश्नगत पुलों के अभाव में बरसात में आवागमन में कुछ कठिनाई अवश्य हो जाती है किन्तु इन स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलों का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*७३—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मेरठ के ग्राम पतला को टाउन एरिया बनाने की योजना

*७४—श्री ईश्वर दयाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट पतला, जिला मेरठ को टाउन एरिया बनाने की योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मेरठ जिले के ग्राम पतला को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, मेरठ से सीमा का विवरण मांगा गया है और उनसे इस बात की पुष्टि करने के लिये कहा गया है कि प्रस्तावित सीमा में खेतिहर ग्राम का कोई भाग तो शामिल नहीं है। जिलाधिकारी को प्रस्ताव पंचायत राज निदेशक को उनके विचारार्थ भी भेजना है।

खागा तहसील में चकबन्दी का कार्य

*७५—श्री उमाकांत बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खागा तहसील की चकबन्दी कब प्रारम्भ हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

खागा तहसील के बचे हुए ३०९ गांवों में चकबन्दी अभी प्रारम्भ करना संभव नहीं है।

फतेहपुर में जोतबहियों का वितरण

*७६—श्री उमाकांत बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर में अभी तक जोतबहियों को प्रत्येक किसान को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में टौंस नदी पर पुल तथा निजामाबाद—फूलपुर सड़क को पक्का बनाने की योजना

*७७—श्री रामबचन यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा निजामाबाद में टौंस नदी पर पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

*७८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़, कस्बा निजामाबाद से पूर्व फूलपुर तक की सड़क को पक्की करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—

७७—जी नहीं ।

७८—जी नहीं ।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने की योजना

*७९—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी विभाग में लगभग १५ वर्षों से काय करने वाले राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों को स्थायी करने अथवा उन्हें अन्य विभागों में समकक्ष पदों पर विलयन हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य सम्पन्न हो जायगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चकबन्दी विभाग के अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । छंटनी के बाद अन्य विभागों में खपाने की दिशा में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

*८०—श्री कल्पनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देवरिया नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तथा नगरपालिका को सुपरसीड करने का विचार

*८१—श्री दीपनारायण मणि—

क्या शासन को ज्ञात है कि देवरिया नगरपालिका की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है तथा दिनांक १८ अप्रैल, १९७० ई० को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो चुका है एवं इसके एक वर्ष पूर्व दूसरे अध्यक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाये गये थे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका देवरिया की हालत बिगड़ने के संबंध में शासन को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । दिनांक १८ अप्रैल, १९७० को श्री भागवत किशोर, तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, देवरिया के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो चुका है और उसे उसके पूर्व दिनांक ७ अक्टूबर, १९६८ को श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के कारण ही श्री चतुर्वेदी अध्यक्ष पद से हटे थे ।

*८२—श्री दीपनारायण मणि—

क्या सरकार अध्यक्ष ने त्याग-पत्र देते समय जिलाधिकारी देवरिया द्वारा शासन से यह भी मांग की है कि नगरपालिका का प्रबन्ध जिलाधिकारी अपने हाथ में ले लेवें ? यदि हां, तो शासन को इसे सुपरसीड करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४७-ए के प्राविधान के अनुसार किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के बाद या तो उसको अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देना होता है या बोर्ड को सुपरसीड करने के लिये शासन को एक रिप्रेजेन्टेशन देना होता है देवरिया नगरपालिका के आउट वोटेड अध्यक्ष ने बोर्ड को सुपरसीड करने के लिये निर्धारित समय के अन्दर शासन को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था जो शासन के विचाराधीन है ।

फतेहपुर जिले में रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनने वाली नहर

*८३—श्री उमाकांत बाजपेयी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की रामगंगा नहर कब बन कर पूरी होंगी व कब तक पानी देगी ? इस नहर की माइनर व अन्य सिंचाई की नालियां कब तक पूरी होगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

फतेहपुर जिले में रामगंगा नाम की कोई नहर न तो बन रही है और न प्रस्तावित है। रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत बनने वाली प्रस्तावित पच्छिमी इलाहाबाद ब्रांच नामक नहर बन रही है जो फतेहपुर जिले से गुजरती हुई इलाहाबाद जिले में समाप्त होती है। इस नहर का निर्माण कार्य मार्च १९७१ तक पूरा हो जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि इस नहर से वर्ष १९७३–७४ में पानी दिया जा सकेगा ।

फतेहपुर जिले में इस नहर से निकलन वाले राजबहों व माइनरों का निर्माण कार्य भी वर्ष १९७३ तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति नैनीताल की बैठकें

*८४—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सिंचाई मंत्री बतावेंगे कि जिला सिंचाई सलाहकार समिति नैनीताल की मीटिंग, विधान सभा बैठकों के अवसर पर ही बुलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिला सिंचाई परामर्शदात्री समिति को वर्ष १९७० से प्रथम बैठक शनिवार दिनांक २१ फरवरी, १९७० को हुई जिस दिन विधान सभा की कोई बैठक नहीं थी। इसकी दूसरी बैठक सोमवार ११ मई, १९७० को हुई जिस दिन विधान सभा की बैठक थी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि समिति की बैठक विधान सभा बैठकों के अवसर पर ही नहीं बुलाई गई। इसलिये कोई विशेष कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता।

भविष्य के लिए ऐसे निदेश जारी कर दिये जायेंगे कि समिति की बैठकें ऐसी तिथियों में रक्खी जायें जिसमें विधायकगण भाग ले सकें ।

इलाहाबाद जिले की कोकोहडार तथा धनावल पेयजल योजना

*८५—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद तहसील मेजा में कोकोहडार और धनावल पेयजल योजना कब चालू की गई ? और अभी तक कार्य पूरा न होने का क्या कारण था ? तथा इन योजनाओं द्वारा कब पेयजल की पूर्ति की जायेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

कोकोहडार और धनावल पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन जनवरी, १९६७ में प्रारम्भ किया गया था । कार्य में प्रगति धीमी होने के निम्नलिखित कारण हैं:—

१—पाइपों का समय से उपलब्ध न होना।

२—आवागमन के समुचित साधन न होने के कारण वर्षा ऋतु में कार्य का बन्द हो जाना।

[श्री अतीकुर्रहमान]

३---खेतों में फसल होने पर स्थानीय निवासियों द्वारा पाइप लाइन बिछाने तथा पाइपों का लाने पर विरोध किया जाना तथा फसल कटने तक प्रतीक्षा करना ।

धनावन ग्राम समूह योजना में इस वर्ष के अन्त तक तथा कोकोहडार ग्राम समूह योजना में मार्च, १९७१ के अन्त तक पानी दिये जाने की आशा है ।

*८६-८७---श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री शेरसिंह दानू---

[१० वें गुरुवार के प्र० सं० ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई जिले में रामगंगा के रुख बदलने से बरार शुदा जमीन को पुनः नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र

*८८---श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनको ग्राम कहरई नकटोरा, तहसील शाहाबाद, जिला हरदोई के हरिजनों का कोई प्रार्थना-पत्र अगस्त, १९६९ में प्राप्त हुआ है जिसमें रामगंगा नदी के कटाव से उसकी पुश्तैनी जमीन काटने और पांच साल के बाद पुनः राम गंगा द्वारा उक्त जमीन छोड़े जाने के बाद अपनी पुश्तैनी में पुनः नाम दर्ज करने की प्रार्थना की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां ।

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में स्थित ग्राम कहरई नकटारा में रामगंगा के रुख बदलने से बरार शुदा जमीन पर पुनः नाम दर्ज कराने विषयक दिनांक १८-८-६८ का श्री डालचन्द, पुत्र श्री एचा, श्री ज्योति पुत्र, श्री बद्री व श्री सुक्खा, पुत्र ललई का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

*८९---श्री नौनिहाल सिंह---

[११ वें बुधवार के प्र० सं० २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९०---कुंवर तेजभान सिंह---

[११ वें बुधवार के प्र० सं० २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९१---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण---

[११ वें बुधवार के प्र० सं० ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर जिले के नायब तहसीलदार का निलम्बन तथा निलम्बन आदेश की वापसी

*९२---श्रीमती मसाली देवी---

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील के उरुवा सर्किल के नायब श्री एस० डी० राय के विरुद्ध १ दिसम्बर, १९६९ से ३० अप्रैल, १९६९ तक जनता की ओर स कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? और उन शिकायतों पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उक्त अवधि में श्री एस० डी० राय, नायब तहसीलदार के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं । इस शिकायती-पत्र पर जांच कराई गयी तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है ।

*९३—श्रीमती मसाली देवी—

क्या यह सही है कि उक्त नायब तहसीलदार को अप्रैल, १९७० में मुअत्तल किया गया था और पुनः उसे बहाल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त नायब तहसीलदार को जिलाधिकारी, गोरखपुर ने अपने आदेश दिनांक २८-३-७० के द्वारा निलम्बित किया था बाद में अपने आदेश दिनांक १९-४-१९७० द्वारा उक्त निलम्बन का आदेश वापस ले लिया। बहाल करने का कारण जिलाधिकारी ने यह बताया है कि श्री राय के विरुद्ध आरोप-पत्र में आरोप इतने गंभीर नहीं थे कि उनके पदावमुक्त की सम्भावना हो। विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण होने की भी सम्भावना नहीं पाई गई व उनके कार्य पर बने रहने से कार्यवाही पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना भी नहीं पाई गई।

सीतापुर जिले के तम्बौर टाउन एरिया का चुनाव तथा सेउता ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाने की योजना

*९४—श्री कृष्ण कान्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के तम्बौर टाउन एरिया का जिसकी घोषणा शासन द्वारा जुलाई, १९६८ को की गई कब तक चुनाव करने का विचार है ? क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सेवता तथा खरौहां ग्राम सभाओं के टाउन एरिया बनाने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये हैं ? उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सीतापुर जिले में बनाई गई टाउन एरिया, तम्बौर एवं अहमदाबाद, का चुनाव संभवतः आगामी सितम्बर अक्तूबर में हो सकेगा।

केवल सेउता ग्राम सभा का टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*९५—श्री चेतराम गंगवार —

[११ वें बुधवार के प्र० सं० २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९६—श्री कृष्णकान्त—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद जिले की तहसील, मंझनपुर में लिफ्ट, इरीगेशन तथा राजकीय नलकूप की योजना

*९७—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर (इलाहाबाद) में नहरों में पानी नहीं पहुंच पाता और सारा क्षेत्र असिंचित रह जाता है जिसे सिंचित बनाने के लिये किसुनपुर (फतेहपुर) में लिफ्ट इरीगेशन की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

निचली गंगा नहर प्रणाली की फतेहपुर शाखा के धाता राजबहे पर, जो इलाहाबाद जनपद की सिराथू और मंझनपुर तहसीलों में सींच करता है, पानी की कमी दूर करने के लिये किसुनपुर

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

पम्प नहर परियोजना प्रस्तावित है जो अभी शासन के विचाराधीन है। परियोजना के वित्तीय स्वरूप की पूरी जांच कर लेने के पश्चात् ही योजना पर कार्य प्रारम्भ होने के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

*९८—श्री धर्मवीर—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर के जिन क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां राजकीय ट्यूबवेल लगाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक कर्य शुरू होगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर से जखौरा तक सड़क का निर्माण न होना

*९९—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगातार तीन चार वर्षों से सूखा व ओला से ग्रस्त जनता को काम देने और बुंदेलखंड के विकास हेतु जिला झांसी की तहसील ललितपुर में सड़कों के निर्माण की योजना है? क्या और इस हेतु ललितपुर से जखौरा वाया देलवारा सड़क का निर्माण भी होगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री धर्म सिंह—

जिला झांसी में ललितपुर से जखौरा वाया देलवारा सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

*१००—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

[९ वें सोमवार के प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०१-१०२—श्री रामनिहोर राम तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

[११वें बुधवार के प्र० सं० २९-३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०३—श्री उमाकान्त बाजपेयी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१०४—श्री इन्द्रलाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में कैनाल सर्विस रोड्स को पक्का करके सार्वजनिक सड़कों का रूप देना

*१०५—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या सरकार प्रदेश के विकास के लिये पक्की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कोई ऐसी योजना बनायेगी जिसके अन्तर्गत कैनाल की सर्विस रोड्स को पक्का करके सार्वजनिक सड़कों का रूप दिया जाय? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

राज्य सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना प्रस्तावित या विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

[११ वें बुधवार के अता० प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोंडा में लगाये गये राजकीय नलकूप

२—श्री सन्त राम (जिला गोंडा) श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

२—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला गोन्डा के प्रत्येक विकास खंड में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने सरकारी नलकूप कहां-कहां लगाये गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित †विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

३–४—श्री कल्यान सिंह—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

५—श्री अनीसुर्रहमान—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले में लहरपुर-से तम्बौर तथा तम्बौर से महमूदाबाद तक पक्की सड़कों का निर्माण कार्य

६—श्री कृष्ण कान्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले म लहरपुर से तम्बौर जाने वाली सड़क का ७ मील जो कच्चा भाग है उसको पक्का करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह—

लहरपुर तम्बौर मार्ग के शेष कच्चे भाग (८.६५ किलोमीटर) का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है । विस्तृत आगणन बनने तथा उसकी प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ होगा ।

७—श्री कृष्ण कान्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तम्बौर से महमूदाबाद जाने वाली कच्ची सड़क को चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में पक्का करन का विचार है ?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत मार्ग के तम्बौर से, रेवसा तक भाग का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

जिला सीतापुर में पुल का न बनना

८—श्री कृष्ण कांत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में जहांगीराबाद के पास के वानी तथा ककरहिया नदियों पर पुल बनाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

---

† छापा नहीं गया

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

९—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

१०—श्री तेजपाल—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

११—श्री मदनमोहन मिश्रा—

[९वें मंगलवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१२—श्री मदन मोहन मिश्र—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१३—श्री इन्द्र मणी—

[११ वें बुधवार के प्र० सं० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बरेली की तहसील, नवाबगंज में सड़कों के निर्माण की योजना

१४—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चौथी योजना में तहसी : नवाबगंज, जिला बरेली में कौन सी सड़कें तथा पुल बनाने का विचार किया है ?

श्री धर्म सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिला बरेली की तहसील, नबावगंज में निम्नलिखित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है—

(१) नबावगंज—दलेलनगर—बहरजागीर सड़क ।

(२) हाफिजगंज—सेंथल सड़क ।

उक्त तहसील में किसी भी पुल के निर्माण का प्राविधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अभी तक नहीं है ।

जिला कानपुर में सड़कों का निर्माण

१५—श्री राम कुमार (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद में कितने मील पक्की सड़कें हैं तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किन-किन सड़कों को पक्की करने की योजना है ?

श्री धर्म सिंह—

जिला कानपुर में मार्च, १९६९ तक स्वीकृत कार्यों के पूर्ण हो जाने पर ६२७ किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कें हो जायेंगी । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस जिले में जिन सड़कों को पक्का किये जान का प्रस्ताव है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

राजकीय नलकूपों की संख्या जिलेवार स्वीकृत नलकूप

१६—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने राजकीय नलकूप लगने की स्वीकृति हुई एवं कितने-कितने राजकीय नलकूप प्रत्येक वर्षों में अलग-अलग जिले में लगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७०–३७१पर)

१७—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में ५४ जिलों में से प्रत्येक जिले में कितने-कितने नलकूप लगने के लिये स्वीकृत हुये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस वर्ष १९७०–७१ में ५८३ राजकीय नलकूप निर्माण हेतु स्वीकृत हुये हैं। इनमें से ५६३ नलकूपों का जिलेवार वितरण संलग्न तालिका के स्तम्भ ९ में दिया गया है। २० राजकीय नलकूप पूर्वी यमुना नहर के 'टेल' क्षेत्रों में निर्माण के लिये स्वीकृत किये गये हैं। जिनका जिलेवार वितरण अभी तय नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'छ आगे पृष्ठ . . . पर)

बस्ती जिले के डुमरियागंज नलकूप का खराब होना

१८—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत ग्राम घोसड़ ३९ डुमरियागंज का नलकूप लगभग एक वर्ष से खराब है और गत वर्ष गन्ने की सिंचाई बोने के बाद न होने के कारण कई हजार किसानों का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो सरकार कौन सी कार्यवाही करने के लिये सोच रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

इस नलकूप से सिंचित होने वाला गन्ना कुल ३२ एकड़ था और गत वर्ष इस नलकूप के खराब होने से पूर्व इसकी सिंचाई १० जून, १९६९ तक की गई। इसके बाद समय-समय पर वर्षा होती रही और सम्भवतः किसानों को कोई विशेष नुक्सान नहीं हुआ। इस नलकूप के पुनः निर्माण की व्यवस्था हेतु प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

गोंडा जिले में सिंचाई न करने के बावजूद सिंचाई कर लगाने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

१९—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में दिनांक १ मार्च, सन् १९६७ से ३१ मार्च, सन् १९७० तक ऐसे कितने व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये हैं कि जिन्होंने किसी भी नहर का पानी इस्तेमाल नहीं किया है, परन्तु उन पर लगान बांधा गया है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जनपद गोण्डा में दिनांक १ मार्च, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक ९१ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित कुल २८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिन्होंने नहर से सिंचाई न करने के बावजूद भी सिंचाई कर लगाये जाने के विरुद्ध तथा तबादले नाम के संबंध में प्रार्थना की थी। समस्त प्रार्थना पत्रों पर विस्तृत जांच करने के उपरान्त इनमें से सात प्रार्थना-पत्रों पर सिंचाई करना साबित हुआ और वे निरस्त कर दिये गये। आठ प्रार्थना-पत्र तबादला नाम के बारे में था। जिन पर जांच के पश्चात् उचित कार्यवाही की गई। नौ प्रार्थना-पत्र तबादला नाम और असींच के सम्बन्ध में थे तथा शेष चार प्रार्थना पत्र केवल असींच के बारे में थे। जांच के पश्चात् तेरह कृषकों के नाम असींच पाई गई जिनको कुल ५४ बीघा ५ बिस्वा पर सिंचाई कर से छूट दी गई। तबादले नाम से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र जो ठीक पाये गये उनका संशोधन कर दिया गया।

सुमैया आरगैनिक्स, बाराबंकी द्वारा अर्जित की गई भूमि तथा भूमि का रेट

२०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि सुमैया आरगैनिक्स, बाराबंकी में मवाजियात ढखौली व खंधौली, परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी की अलग-अलग कितनी आराजी किस-किस उपाय से कब-कब और अलग अलग किस-किस प्रयोजन के लिये हासिल की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रारम्भ में गोदावरी शूगर मिल्स ने ग्राम ढखौली तथा खंधौली परगना व तहसील नवाबगंज में स्थित क्रमशः ८१.२२ एकड़ तथा १५४.६३ एकड़ (योग २३५.८५ एकड़) भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की। इसके अतिरिक्त ग्राम बहादुरपुर की २६.८७ एकड़ भूमि भी उपर्युक्त शूगर मिल्स के लिये अर्जित की गई थी।

ग्राम बहादुरपुर की भूमि का कब्जा गोदावरी शुगर मिल्स को २४-६-१९६४ एवं ढखौली तथा पारा खंधौली का कब्जा दिनांक २५-८-१९६४ को दे दिया गया था। तत्पश्चात् गोदावरी शूगर मिल्स ने सुमैया आरगैनिक्स के नाम उपर्युक्त भूमि १३-९-१९६८ को हस्तांतरित की।

इसके बाद सुमैया आरगैनिक्स ने ग्राम बहादुरपुर, ढखौली एवं पारा संधौली की ३८.४१ एकड़ भूमि पुलिस विभाग को २०.४७ एकड़ भूमि के बदले में २७-९-१९६८ को हस्तांतरित की। इस प्रकार सुमैया आरगैनिक्स के पास ग्राम ढखौली तथा पारा संधौली में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भूमि है :—

		एकड़
(क)	ब्युटनेनोस, एसेटिक एसिड, थाईलेट प्लान्ट तथा डिस्टीलरी के लिये	११०
(ख)	कर्मचारियों के निवास स्थान तथा सुविधाओं के लिये ..	३५
(ग)	कार्यालय मार्ग, बगीचे तथा रेलवे साइडिंग के लिये ..	२१
(ङ)	श्रमिकों के निवास, स्कूल, खेल के मैदान, बाजार तथा क्लब आदि के लिये	७८

६० एकड़ भूमि फैक्टरी के लिये तथा कर्मचारियों के निवास स्थान आदि के लिये १० एकड़ भूमि भी प्रयोग में लाई जा चुकी है। शेष भूमि के उपयोग में लाने के लिये व्यवस्थापकों द्वारा योजनायें तैयार की जा रही हैं।

२१—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त मवाजियात के किन-किन किसानों को अलग-अलग कितनी-कितनी जमीन और किस हिसाब से समैया आरगैनिक्स, बाराबंकी ने प्राप्त की तथा इन मवाजियात की कुल कितनी आराजी का स्वामित्व उससे मार्च, १९७० तक हासिल किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम ढरखौला एवं पारा खंधौली में जिन-जिन किसानों की भूमि प्रारम्भ में गोदावरी शूगर मिल्स के लिये अर्जित की गई थी उसका ब्यौरा सदस्य महोदय यदि चाहें तो मेरे कार्यालय में देख लें।

अर्जित की गई भूमिधरी भूमि का प्रतिकर सर्किल रेट का ४० गुना अथवा मालगुजारी का ८० गुना जो भी अधिक था के हिसाब से लगाया गया था। सीरदारी भूमि का प्रतिकर सर्किल रेट का २० गुना एवं सीरदारी भूमि की मालगुजारी एवं सर्किल रेट के अन्तर का २० गुना, यदि था, और भी दिया गया।

उपर्युक्त ग्रामों की कुल अध्याप्त की गई भूमि का स्वामित्व सुमैया आरगैनिक्स ने मार्च, १९७० के पूर्व प्राप्त कर लिया था।

जिला सीतापुर में सीलिंग व चकबन्दी से प्राप्त भूमि का वितरण तथा इस पर अवैध कब्जा।

२२—श्री राम लाल राही—

क्या ४ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीलिंग व चकबन्दी से प्राप्त जितनी भूमि हरिजनों को दी गई उसके अतिरिक्त शेष भूमि जितनी बची उस पर किसका अधिकार है ? क्या इस जमीन के नाजायज पट्टे कर दिये गये थे या हैं या बलात लोग कब्जा किये हैं ? यदि हां तो किन-किन गांवों के लोग बलात कब्जा किये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सीलिंग व चकबन्दी से प्राप्त भूमि में हरिजनों को दी गई भूमि के अलावा शेष भूमि में से १०,१३२ एकड़ भूमि अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं। १२६५.५४ एकड़ भूमि के पट्टे किये गये थे जिसमें से ११९८.९६ एकड़ पट्टों की जांच हुई है। नाजायज कब्जा करने वालों में से तहसील के कई गांवों के लोग हैं। सूची प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगेगा।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने के संबंध में शिकायत

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मेरा प्रश्न ९७ नम्बर पर था। मुझको उसका सिंचाई मन्त्री से उत्तर नहीं मिला। इस प्रकार से लम्बी लिस्ट बनाने से क्या लाभ है कि वह प्रश्न हाउस में भी न आ सके। मन्त्रियों से भी उत्तर नहीं मिल पाता है और यहां नम्बर भी नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल बतलाया था कि मैं २-३ घंटा अपने दफ्तर में बैठता हूं। वहां कृपा करके आप मुझे बतला दें तो मैं फाइल मंगाकर देख लूंगा।

श्री धर्मवीर—

मुझे उनका उत्तर तो मिलना चाहिये। यहां न भी आवे। वह ९७ नम्बर पर था।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मन्त्री जी ने बताया था कि मस्जिद की जमीनों को छोड़ा गया था । कायदे के मुताबिक मस्जिद की जमीन एक्वायर नहीं हो सकती है ।

यूनानी और आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों की हड़ताल के कारण धारा १४४ लगान पर आपत्ति

श्री महरसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

मुझे यह निवेदन करना है कि आयुर्वेदिक कालेज और यूनानी कालेज के लड़कों की २६ तारीख से हड़ताल चल रही है । आज पता चला है कि मामला निपटाने के बजाय राज्य सरकार ने वहां धारा १४४ लगा दी है । यह अनशन काफी दिनों से चल रहा है । इस समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार ने अनेक बार आश्वासन विधान सभा में और आपके कक्ष में विधायकों के सामने दिये हैं लेकिन यह दिनों दिन टलती जा रही है । ऐसी स्थिति में यह परिस्थिति गम्भीर बनती जाती है । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कोई सन्तोषजनक हल इसका निकलना चाहिये ताकि कोई दुखद घटना न होने पाये ।

श्री अध्यक्ष—

आज इसके ऊपर कैबिनेट में विचार होगा । इसके ऊपर मैं कल विचार करूंगा ।

मैंने यह आश्वासन दिया था कि अगर ठीक तौर से इसका कोई हल नहीं निकलता तो इस पर मैं चर्चा का मौका दे ही दूंगा ।

प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिलाने की मांग

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नोत्तर के संबंध में, यहां पर एक प्रश्न किया गया और उसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि इस जमीन को एक्वायर करने की अवश्यकता नहीं थी और उसके बाद श्री असरार अहमद ने प्रश्न किया कि अगर जमीन की आवश्यकता नहीं थी और बगैर जरूरत के एक्वीजीशन किया गया तो क्या इसकी मंत्रीजी जांच करायेंगे और इसका उत्तर दिया गया कि मुझे जानकारी नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस तरह के उत्तर कहां तक उचित हैं और आप हमें प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट दिलाया करें ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने उस प्रश्न के उत्तर में यह नहीं कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने प्यारे लालजी के अनशन के बारे में जानकारी चाही थी कि क्या उनको कोई आश्वासन दिया गया था, उस पर उन्होंने कहा था कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है । आप जो कह रहे हैं उस प्रश्न का यह उत्तर नहीं था ।

(पंचायत राज मंत्री को पुकारे जाने के उपरान्त)

प्रश्नों के सही उत्तर न मिलने के संबंध में शिकायत

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नत्थी (ध) के प्रश्न १ में मैंने स्पष्ट पूछा था कि इन गांवों में कौन-कौन सी आराजी गांव सभा की है, उसका उत्तर मिला है कि माननीय

सदस्य चाहें तो मंत्री जी के कमरे में आकर देख सकते हैं । जब यहां प्रश्न करते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि हम उनके कमरे में जाकर देख लें लेकिन अगर यही बात है तो क्यों न हम बलिया के गांवों में ही जाकर मौके पर ही देख लें ? इस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं कमरे में आप बुलायें तो ठीक है लेकिन मंत्री लोग भी इस तरह से बुलाया करें और उत्तर ठीक न दें तो हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इन्क्वायरी करके उत्तर देखकर फैसला दे दूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, इस सदन के माननीय सदस्यों का यह विशेषाधिकार है कि यहां के सदस्य जो प्रश्न पूछें उनका लिखित उत्तर मिल जायगा । तो उस विशेषाधिकार की अवहेलना इससे होती है या नहीं, इस पर आप व्यवस्था दें कि इस तरह से उत्तर न देकर कमरे में बुलाया जाय तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं, और सदन का अवमान का यह प्रश्न है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी मुझे जानकारी करनी पड़ेगी, इसलिये आप कृपा करके जो यह प्रश्न और उत्तर है वह मेरे पास भेज दें, मैं नियम देखकर और जानकारी हासिल करके बताऊंगा कि क्या बात है, अभी अभी यहां बैठकर मैं बिना देखे नहीं बता सकता ।

अब मेरे सामने २ विशेषाधिकार के प्रश्न हैं उनका फैसला करना है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठें, मैं आप को मौका दूंगा ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायतें

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है और आशा है कि आप उस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे । इस सदन में ऐसा तो हुआ है कि माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि वे जो प्रश्न पूछते हैं वह जिस दिन या जिस क्रम से यहां आने चाहिये उस क्रम से उस ढंग से वे यहां नहीं रखे जाते । वह किसी दिन ऊपर और किसी दिन नीचे न जाने कैसे कर दिये जाया करते हैं । लेकिन श्रीमन्, आज ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसमें इस सदन के अधिकांश सदस्यों की यह भावना हुई कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इस सदन के आदरणीय सदस्य से एक ऐसा प्रश्न जिसमें कुछ अपनी सफाई देना चाहते थे, पुछवाकर सचिवालय द्वारा अग्रता दिलवा दी । माननीय कृष्ण चंद्र शर्मा ने इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा था और वे लगातार चार पांच दिन से प्रार्थना करते थे कि बुन्देलखंड के जिलों के अनुदान के सम्बन्ध में हमारे एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का क्या हो रहा है । श्रीमन्, उनका वह प्रश्न टालते रहे । बाद को कृषि मंत्री इस सम्बन्ध में सफाई दे सकें कि यह अनुदान बदायूं को दे दिया इसलिये आज हमारे सन्मुख यह देखने को मिला कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न माननीय असरार अहमद से करवाया गया है जिसमें कृषि मंत्री को कहने को मिले कि हम जहन्नुम में गये थे । आप पता लगायें कि माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा का जो अल्पसूचित प्रश्न था वह पहले पेश हुआ था या माननीय असरार अहमद का प्रश्न पहले पेस हुआ था । अगर माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा का प्रश्न पहले पेश हुआ था तो माननीय शिवराज सिंह के टेलीफोन पर और आप के सचिवालय के उच्च अधिकारियों के कहने पर उसे अग्रता नहीं दी गई । इसका पता लगायें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने इसकी इन्क्वायरी चाही है, मैं इसकी इन्क्वायरी कराऊंगा ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

हमने और माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा ने जो प्रश्न दिया था वह ३ तारीख को दिया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

वे बिना इजाजत के बोल रहे हैं और हम इजाजत से भी नहीं बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा । लेकिन माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा का जो प्रश्न था वह मेरे सामने स्वीकृत होकर आ गया था और मंत्री जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया था । उसके बाद जो आपका कामरोको प्रस्ताव था उस पर मंत्री जी ने कहा कि वक्तव्य देंगे तो मैंने उसको शर्माजी के प्रश्न के साथ मिला दिया । आज शाम को वह आ जायेगा । लेकिन उससे इसका कोई मतलब नहीं है । मैं उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा । आपने जो कहा कि इनके पहले अगर श्री असरार अहमद का प्रश्न नहीं आया है तो उसके बारे में मैं इन्क्वायरी कराऊंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद——

मुझे अर्ज यह करना है। क्योंकि एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि · · · ।

(व्यवधान व शोर)

अध्यक्ष महोदय, हम कहें तो कह नहीं सकते । ये शोर मचायें तो सब कुछ कह सकते हैं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने जो कि भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कहा और मेरे ऊपर यह आरोप लगाया कि मैंने मंत्री जी से मिलकर एक अल्पसूचित प्रश्न का नोटिस दिया है और उसे एजेंडे पर लाया गया है। मैं उनको आपके माध्यम से बतला दूं कि मैं अल्पसूचित प्रश्न के कम से कम इस विभाग में और दूसरे विभागों में १५ नोटिस दे चुका हूं और शायद यह मई के अंतिम सप्ताह में दिया था जो कल आ चुका है। यह कहना कि मिल कर दिया गया है, बिलकुल निराधार है । मैं जानना चाहता हूं कि किस जानकारी के आधार पर उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों से मिल कर गलत फायदा उठाते हैं। यह झूठी बात है और इस प्रकार के आरोप लगा कर वे कहते हैं कि असरार अहमद शोर मचाते हैं इसलिये उनको निकाल दें । मैं भी कानून जानता हूं और मैं भी यहां का पुराना मेम्बर हूं ।

(व्यवधान)

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होनेपर)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्री असरार अहमद ने जो बात कही वह सच है या गैर सच है इसका पता इस डाकूमेंट से ही चल जाता है। इसमें जो तारीख पड़ी हुई है वह है ५–६–७० यानी आज से सिर्फ ५ दिन पहले इनका सवाल आ गया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं इनक्वायरी करूंगा ।

श्री अमन्तराम जायसवाल—

इसमें इनक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, यह आपके कार्यालय का ही डाकुमेंट है।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जहां तक व्यवस्था के प्रश्न की बात है, हम इस पर बोलना चाहते हैं लेकिन आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते । एक घंटे से हम खड़े हो रहे हैं, आखिर हम यहां बेकार के लिये आये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप श्री चतुर्भुज शर्मा जी को बोलने दीजिये, आप बाद में बोल लेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि···

श्री राजितराम पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

बैठ जायं आप कृपा करके ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे माननीय मित्र श्री कृष्णानन्द राय जो स्वयं कैबिनेट स्तर के एक मंत्री रह चुके हैं और हमारे साथ काम कर चुके हैं एक गम्भीर और जिम्मेवार व्यक्ति होते हुये . . . . ।

(व्यवधान)

श्री राम करन (गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा । (व्यवधान) दो एक मिनट मुझे भी बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं ।

श्री राम करन (गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

उनको सुनने के बाद ।

श्री राम करन (गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि हाउस को आप चलायगे या श्री चतुर्भुज शर्मा चलायेंगे ? मेरी बात सुन कर आप आगे चलें । पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब व्यवस्था का प्रश्न होगा तो मान्यवर, व्यवस्था हम आपसे चाहते हैं, उसकी सफाई माननीय चतुर्भुज शर्मा क्या दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह भी व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं । (व्यवधान) आपको भी मौका दूंगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि क्या यहां इस सदन में कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्यं पर यह आक्षेप कर सकता है और उस आक्षेप में मंत्री के लिये भी कहा जाय कि उनसे मिल कर उन्होंने कोई सवाल किया ? दूसरा आक्षेप आपके कार्यालय पर भी और इनडाइरेक्टली आप पर भी लगाया कि आपसे मिल कर दूसरे प्रश्न के ऊपर अपने प्रश्न को प्रायरिटी दिलवाया और जिस प्रश्न को प्रायरिटी मिलनी चाहिये उसे नहीं मिलने दी । तो किसी सदस्य का इस तरह से आपके कार्यालय पर और आप पर भी आक्षेप लगाना उचित है?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी जांच कराऊंगा । देखिये, डाइरेक्टली कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई सूचना मिली हो तो वह इस तरह के आरोप लगा सकता है । लेकिन एक बात है कि अगर कोई गलत बात हुई तो उसके लिये जिम्मेदार भी उन्हें होना पड़ेगा । अगर वह चीज गलत पायी गयी तो संबंधित माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न भी ला सकते हैं । अगर वे समझते हैं कि आक्षेप सच है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें पूरी तरह से ओढ़नी पड़ेगी । लेकिन मैं इनक्वायरी कराऊंगा और उनसे पूछूंगा और उनसे भी पूछूंगा।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

किस आधार पर उन्होंने आक्षेप लगाया इसकी तो आप इनक्वायरी करायेंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके ऊपर उन्होंने क्यों आक्षेप लगाया ?

(कई सदस्य एक साथ व्यवधान करने लगे)

श्री अध्यक्ष—

५-५ सदस्य जब एक साथ बोलेंगे तो कैसे कार्य चलेगा ?

श्री राजितराम पांडेय—

मेरे प्रश्न ५८-५९ पर है, यह आपके यहां ६-५-७० को रजिस्टर्ड हुये । अभी तक उनका जवाब नहीं आया और उन्हें स्थगित कर दिया गया है । यह स्वच्छ प्रशासन है। मैंने अपने प्रश्न में भ्रष्टाचार घूस आदि के आरोप लगाये हैं । जो हमारे कर्मचारी रिश्वतखोरी करते हैं वे अपने आरोपों को छिपाने के लिये प्रश्नों को सदन में नहीं आने देते । सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है । अगर आपके माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सका तो यह फिर खत्म नहीं होगा । आपका कार्यालय भी उनसे मिला रहता है। आप इसकी जांच करायें कि प्रश्न समय से क्यों नहीं आ पाते ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न १३-१४ नवम्बर पर थे । मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था । उसमें पचीसों लाख रुपये का गोलमाल है। घूस देकर वर्मा चीफ इंजीनियर हुये हैं । जो उत्तर सवाल का मिला है वह प्रश्न से बिलकुल भिन्न है। जो बात मैंने पूछी थी उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है । आप इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि प्रश्नों का उत्तर कायदे से मिला करे ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा यह भी कार्य है कि मैं आपको उचित सलाह भी दूं । आप लोग जब सलाह लेने आते हैं तो मैं देता भी हूं । अब इन चीजों पर सदन का समय आप ले लेंगे तो आगे का काम कैसे होगा ? कल नेगी जी मेरे पास आये थे, उनके कुछ प्रश्न थे, मैंने उनकी जांच की है । आप लोग भी मुझ से मेरे कक्ष में बातें कर सकते हैं । फिर भी मैं देख लूंगा ।

समाचार-पत्रों द्वारा गलत दल छापने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मुस्लिम मजलिश के हम लोग दो मेम्बर हैं यहां पर । एक मैं हूं और दूसरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं । किन्तु हमें सख्त अफसोस है कि अखबार वाले हमारे नाम के साथ गलत दल का नाम जोड़ देते हैं । कभी हमे इन्डेपेंडेंट लिख देते हैं तो कभी पी०एस० पी० का । इसी तरह से वह कभी हमें बी०के०डी० और जनसंघ का लिखना शुरू कर देंगे जिनसे हमारा काफी इख्तलाफ हैं । तो हम कहां तक ऐसी बातों को जवाब देते फिरेंगे । आप अखबार वालों को तम्बीह कर दें कि मेरे नाम के साथ मुस्लिम मजलिश का नाम लिखा करें, हम मुस्लिम मजलिश के सदस्य हैं । इस प्रकार की गल्तियां अखबार वाले बराबर कर रहे हैं । ये अखबार वाले बिना दांत के बछड़े यहां भेज देते हैं जिनको नाम तक ठीक से लेना नहीं आता है। आप इनको तम्बीह कर दें कि दल तो ठीक लिखा करें । यह ६ तारीख के नेशनल हेराल्ड में इन्होंने लिखा है—

श्री अध्यक्ष—

मैं तम्बीह कर दूंगा । ये टेम्प्रेरीली मुस्लिम मजलिस के सदस्य हैं, जब मैंने इसको स्वीकार कर लिया है तो उन्हें वही लिखना चाहिये ।

(व्यवधान)

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें (क्रमागत)

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कार्यसूची के नत्थी (ग) प्रश्न संख्या (१) की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें बहुत सी जमीन ली गई है, साथ ही बहुत सी जमीन छोड़ भी दी गई है। इसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया है। जो वाकई में मिलने जुलने वाले लोग हैं उनकी जमीन छोड़ दी गई है और गरीब आदमियों की गर्दनकशी कर दी गई है। श्रीमन्, इसका पूरा जवाब आया नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा आप इसके लिये एक-आध घंटे का समय चर्चा के लिये निर्धारित कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो इसका जवाब दे चुका हूं । नियम ४९ के मातहत आप सूचना दीजिये उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री उमाकांत बाजपेई (जिला फतेहपुर)—

कार्यसूची में मेरे तीन प्रश्न है, लेकिन एक का भी उत्तर नहीं आया है । नत्थी (घ) में तारांकित प्रश्न संख्या ७५,७६ व ८३ मेरे थे । इस प्रकार से मेरे विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। जब एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो मेरे यहां रहने, और प्रश्न पूछने से फायदा ही क्या है। आप इस पर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि वह मेरे कक्ष में आने का कष्ट करें । मैं फाइल मंगाकर, देखकर उनको उत्तर दे दूंगा ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आप मंत्रिमंडल के सदस्यों को तम्बीह क्यों नहीं देते कि वह माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर ठीक से और समय पर दिया करें ।

श्री कृष्णकांत (जिला सीतापुर)—

आज की कार्यसूची में मेरे तारांकित प्रश्न २३, ९४ व ९६ नम्बर पर हैं तथा अतारांकित में ६,७ व ८ नम्बर पर हैं, उनमें से दो प्रश्नों को छोड़कर बाकी का उत्तर नहीं आया है । २८ मई से सेशन चल रहा है तब से मैंने तमाम सवाल दिए, चाहे वह तारांकित प्रश्न रहा हो, चाहे अतारांकित या फिर अल्पसूचित प्रश्न, किन्तु किसी का उत्तर नहीं हुआ । यह मेरे सदस्य की हैसियत से अधिकारों का हनन है । इसके अलावा निवेदन यह है कि आपने मेरा एक प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है, जो कि बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न था, किन्तु आपने उसके लिये २९ जून की तारीख निश्चित कर दी है । तो इसका मान्यवर क्या हश्र होगा ? आप सोचें ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मैं भी कई बार खड़ा हुआ हूं, लेकिन आपकी दृष्टि ही मुझ पर नहीं पड़ती है ।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

व्यवस्था का सवाल है । आप एक दिन बहस करवा लें कि आखिर व्यवस्था है क्या चीज । इसलिये कि व्यवस्था के नाम पर सूचना दी जाती है, तकरीरें की जाती हैं, माइक को मुंह से लगाकर बहुत देर तक चीखते रहते हैं उसकी इजाजत आप दे देते हैं । मालूम नहीं कौन व्यवस्था है कौन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी व्यवस्था का प्रश्न पूछिये ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि व्यवस्था है क्या ? हाउस का वक्त बरबाद होता है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, अभी अभी आपके सामने मिस्टर हबीब अहमद जो अपने को मुसलिम मजलिस का बता रहे थे, उन्होंने शिकायत कीकि हमारा नाम निर्दलीयों में छप जाता है और उन्होंने प्रेस को नये बछड़े की तम्बीह दी । मुसलिम मजलिस रेकगनाइज्ड आल इंडिया पार्टी नहीं है। उनको निर्दलीय लिखना ही ठीक है ।

श्री दीपनारायण मणि—

नत्थी (घ) में ८१–८२ का जो मंत्री जी का उत्तर मिला है, मैंने देखा, ८२ में लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में बता दें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री दीपनारायण मणि—

उनका उत्तर जो ८२ का है, वह मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है । मंत्री महोदय होते तो मैं दिखाता कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है । ८२ पर नम्बर आया, महीने भर के बाद हाउस चला जायगा । यह प्रश्न नहीं आता है । मुझे बड़ा दुख है ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे लिख कर दीजिये ।

श्री दीपनारायण मणि—

मैं भेज दूंगा ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, ऐसा देखने में आ रहा है कि इस सदन में पूर्ण अव्यवस्था का साम्राज्य हो गया है, जब कभी आवश्यक प्रश्न नियम ५१ में देते हैं तब आप कह देते हैं अल्पसूचित में कर दो, आप स्वीकृत कर देते हैं लेकिन अल्पसूचित का प्रश्न नहीं आ पा रहा है। तो साफ है कि हमारे अधिकारों की सदन में सुरक्षा नहीं हो रही है। जब नियम ५१ में प्रश्न आता है तो आप कह देते हैं अस्वीकृत कर दिया, अल्पसूचित में दे दो । आपने स्वीकार भी किया हमारा प्रश्न २० दिन हो गये, हमारे क्षेत्र में आग लगी थी, बिजली के तारों से, जो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से लगी थी । मान्यवर, वह प्रश्न नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है, नियम यह है कि एक ही विषय में स्वीकार कर सकता हूं । आप १०,११, १५, १७ तक देते हैं । जब एक स्वीकार हो गया तो बाकी अस्वीकार हो जाते हैं और यह कह दिया जाता है कि अगर आपको जल्दी है तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें । मैं बताना चाहता हूं, जब दस-दस प्रश्न उठाये जायेंगे और एक रोज स्वीकार हो जायगा, तो हो सकता है कि ५१ का नम्बर २९ तारीख को पड़ जाय और अल्पसूचित तीन-चार रोज के बाद आ जाय । प्रश्न उठाने के इस लिये कई रास्ते हैं । एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का रास्ता है । दूसरा नियम ५१ का है । ५१ का एक ही स्वीकार कर सकता हूं । यह चीज आपको नहीं मालूम है।

श्री मोती लाल देहलवी—

हमारी पार्टी का कार्यकर्ता मारा गया, दफ्तर में चल कर गोली से मारा गया । नियम ५१ में दिया । कहा गया कि अल्पसूचित में दे दो । अभी तक मुलजिम साफ घूम रहे हैं और दूसरा कत्ल करने के इरादे में हैं । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । हमारा नियम ५१ में प्रश्न उठाने का फायदा क्या है?

श्री अध्यक्ष—

अब आगे काम चलने दीजिये कृपा करके ।

आयुर्वेदिक कालेजों को बन्द कर देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। १० तारीख को आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में बिल पेश करने का सरकार ने वादा किया था अध्यक्ष महोदय के कक्ष में । आज के स्टेटमेंट से पता चलता है कि आयुर्वेदिक कालेज मुख्य मंत्री ने अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिये हैं। कुछ ऐसी जानकारी है, तो बताएं ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जानकारी हासिल करूंगा ।

श्री किशनलाल—

सब मंत्रिमंडल बैठा है।

[श्री किशन लाल]

अगर ऐसी समस्या कहीं पैदा हुई और ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो बड़ी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायगी । आप इस घटना को रोक नहीं सकते । अध्यक्ष महोदय, आप इस वक्त बहुत अन्याय कर रहे हैं । यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी और आखिर में स्टेटमेंट दे दिया जायगा और कह दिया जायगा कि अनिश्चित काल के लिये सदन स्थगित किया जाता है । चौधरी चरण सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिये । इस प्रकार सदन चल नहीं सकता । निश्चित माननीय मंत्री जी बतला दें कि क्या यह चौधरी चरण सिंह के इशारे पर किया जा रहा है?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्म दत्त)—

अध्यक्ष महोदय, इन कालेजों का शासन से कोई संबंध नहीं है और ये भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित हैं वही इनको चलाती है । हमारे इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं उन्हें बन्द करने के । यह तो भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार जाने, हमसे उसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री धर्मबीर (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अन्तर्गत ये चलते हैं तो सरकार उनको एफिलियेशन देती है या नहीं ? सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकती है? एफिलियेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती । यह बात कह कर वह प्रश्न को टालना चाहते हैं ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायतें (क्रमागत)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मोतीलाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसमें साधारण नियम यह है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया जाय तो उसकी एक प्रति सचिवालय द्वारा संबंधित मंत्री को भेजी जाती है। अगर वह इस स्थिति में हैं कि उसी दिन जवाब दे सकें तो जवाब दे देते हैं । अगर उस दिन जवाब देने की स्थिति में वह नहीं है तो नियमानुसार दूसरे अथवा तीसरे दिन जवाब दे देते हैं । लेकिन यहां देखा यह जा रहा है कि रोज अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देते हैं लेकिन समय से उनका उत्तर सचिवालय से नहीं मिल पाता है मंत्रिगण द्वारा । जैसा माननीय सदस्यों ने बताया उन प्रश्नों में कुछ भ्रष्टाचार के खुलने वाली बात होती है या किसी अनियमितता के प्रकाश में आने की बात होती है लिहाजा ऐसे सवालों को जानबूझ कर संबंधित विभाग अथवा कार्यालय दबा देते हैं और हमारे पास समय से सूचना नहीं आ पाती है । विवश होकर आपका कार्यालय उन प्रश्नों को तारांकित में बदल देता है और उनका नम्बर ५० या ६० पर आता है । नतीजा यह होता है कि जिस चीज को माननीय सदस्य निकालना चाहते हैं वह दब जाती है । इस तरह से इस सदन के सदस्यों के अधिकार बराबर सिकुड़ते जा रहे हैं और सरकार का प्रयास होता है दिन पर दिन उसको सिकोड़ा जाय और सदस्य उसे बरदाश्त करते रहते हैं । इसकी आप जांच कराइये आखिर यह मामला क्यों हो रहा है? हमारा विधान सभा का सचिवालय इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है कि वह सरकार के आगे सब-सर्वेंट सा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि दो चार लोगों की कमेटियां बन जायं और उनके सामने फैक्ट्स आ जायं । उसमें विरोधी दल के लोग होंगे, सरकारी दल के लोग भी होंगे । एक सुझाव यह भी दिया था कि कार्य-मंत्रणा समिति की एक सब-कमेटी बना दी जाय और उसमें आपके सचेतक हों । समिति की एक सब कमेटी बना दी जाय और उसमें आपके सचेतक

हों । लेकिन अगर आपके नेता लोग उसमें शामिल हो जायें तो ज्यादा अच्छा होगा । तो मैं ऐसी कमेटी बना कर प्रश्नों के बारे में जांच करा दूंगा ।

आप कृपा करके बैठ जायं नहीं तो और लोग भी खड़े हो जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७†

पंचायत राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति सं० ७५६६-बी/३३-२-५१९-६१, दिनांक २९ दिसम्बर, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७ जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन काल में दिनांक २२ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली १९६८†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८५६-बी/३३-२-६८, दिनांक २६ मार्च, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६८ जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में दिनांक २२ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६८†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८०१-बी/३३-२-१ (६०) -६६ दिनांक २७ मार्च, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६८ जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में दिनांक २९ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६८†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३४४-बी/३३-२-६८, दिनांक १५ अप्रैल १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली, १९६८, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार

---

† छापी नहीं गई ।

[श्री जगन प्रसाद रावत]

राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में दिनांक २९ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सरकारी अधिकारियों द्वारा कतिपय पद धारण करने के लिये शर्तें) नियमावली, १९६८†

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २४८०-बी०/३३-२-१२५-६२, दिनांक २३ अप्रैल, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद (सरकारी अधिकारियों द्वारा कतिपय पद धारण करने के लिये शर्तें) नियमावली, १९६८, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में दिनांक २९ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा म पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (विभागाध्यक्ष) नियमावली, १९६८

पंचायती राज मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति सं० २४८१-बी ३३-२-१-और-६६, दिनांक १८ अप्रैल, १९६८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (विभागाध्यक्ष) नियमावली, १९६८ जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासनकाल में दिनांक २९ अगस्त, १९६८ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि उक्त लोक सभा में पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

विज्ञप्तियों को विलम्ब से सदन में रखने के संबंध में आपत्ति

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि माननीय पंचायत राज मंत्री ने तमाम विज्ञप्तियां पढ़ कर सुना दीं, सदन के सामने रख दीं। लोक सभा में उनका समय पूरा नहीं हो पाया, इसलिये पुनः सदन के पटल पर रखी गयीं हैं। लोक सभा तो बन्द हुई नहीं फिर इसको इस सदन में किस नियम के अन्तर्गत रखा जा रहा है। दूसरी बात यह कि यह क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। आप क्या चीज पढ़ गये इसके बारे म माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी नहीं है। समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज रखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह १९ अगस्त, १९६८ की है, उस समय यहां पर प्रेसीडेंट की हुकूमत थी।

श्री धर्मवीर—

यह मैं मानता हूं कि उस समय राष्ट्रपति का शासन था लोक सभा चल रही थी। लोक सभा में क्यों इस पर विचार नहीं किया गया। सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और अब यह पुनः नये सिरे से यहां क्यों रखी जा रही है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष—

लोक सभा में ये रखी गयी थीं, लेकिन १४ दिन वहां पूरे नहीं हो पाये, इसलिये अब इनको यहां रख दिया गया है ।

श्री धर्मवीर—

किस नियम के अन्तर्गत इनको रखा जा रहा है । इसके लिये आप या मंत्री जी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं । वहां क्यों पास नहीं हो पायी और आज उनको यहां रखने की क्या आवश्यकता पड़ गयी।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको दरियाफ्त करके बता दूंगा ।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, इसकी आपको भी जानकारी नहीं है और बिना आपकी जानकारी के इसको यहां पर रख दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई डिसकशन का सवाल नहीं है । ऐक्ट के अनुसार उनको इन्हें रखना पड़ता है ।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

माननीय मंत्री जी को तो इसकी जानकारी होगी कि वे इसको किस बैक ग्राउन्ड में रख रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या मंत्री जी को जानकारी है ?

(मंत्री जी के खड़े न होने पर)

श्री धर्मवीर—

यह बड़े शर्म की बात है कि और यह सदन का अपमान है कि न तो अध्यक्ष को ही इसकी जानकारी करायी गयी है और न मंत्री जी को ही इसकी जानकारी है और सदन के सामने उस चीज को रख दिया गया, इससे ज्यादा और क्या लज्जाजनक बात हो सकती है । यह एक अजीब नयी परम्परा डाली जा रही है । न इसकी जानकारी मंत्री जी को है, न अध्यक्ष को है और न सदस्यों को है ।

श्री अध्यक्ष—

जो फार्मल बातें होती हैं उनमें नियमों को देख कर दफ्तर उनको रख देता है । हमारे सेक्रेटरी बताते हैं कि उसके बारे में नियम यह है—

"All rules made under this Act shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are solaid."

जिस वक्त प्रेसीडेंट का राज्य था, उस वक्त यहां रखी नहीं जा सकती थीं, संभव नहीं था । उसके बाद यह नियम लोक सभा में रखे गये । लेकिन वहां पर डिसकशन नहीं हो सका, १४ दिन पूरे नहीं हुये । इसलिये इसको आपके सामने रखा गया । अब आपका यह अधिकार है कि इसमें आप कुछ संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं । यह तो और अधिक आपको अधिकार मिल गया है, कम मिलता तो भी एक बात थी ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मंत्री जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जैसी परिपाटी चली आ रही है, वैसा उन्होंने कर दिया। लेकिन जब तक किसी चीज की जानकारी माननीय सदस्यों को न हो, और आपको भी न हो और मंत्री जी को भी न हो, तब तक उसको सदन के सामने नहीं रखना चाहिये था और बिना जानकारी को उसको पढ़ दिया गया और पास समझ लिया जाय, यह उचित नहीं है। ऐसी कोई चीज सदन के सामने नहीं आनी चाहिये जिसकी पूरी जानकारी श्रीमन् को भी न हो और मंत्री जी को भी न हो।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह सही है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी आफ हैन्ड मंत्री जी को जानकारी न हो। लेकिन राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को ऐक्ट में संशोधन करने के लिये आथोराइज कर दिया था और उस अधिकार के अन्तर्गत कुछ अमेंडमेंट वगैरह करती है। चूंकि यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है लिहाजा सारे संशोधन पार्लियामेंट के पटल पर रखते हैं ताकि वहां पर कुछ आब्जेक्शन वगैरह करना चाहें तो करें। तो वह चीज तो समझ में आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसमें अमेंडमेंट किया या क्या हुआ? और लोक सभा में किस वजह से निर्धारित समय तक रखा नहीं जा सका और असेम्बली के पटल पर रखवा दिया, तो इस असेम्बली के प्रति यूनियन गवर्नमेंट तो उत्तरदायी है नहीं। तो हम कोई एतराज नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो संशोधन किया वह ठीक किया या नहीं। हमको कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है, यह पता नहीं किस परिपाटी के अन्तर्गत चल रहा है लेकिन सांवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति शासनकाल में गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा अमेंडमेंट किये हुये ऐक्टों को असेम्बली के पटल पर नहीं रखा जा सकता, ऐसी हम लोगों की फीलिंग है। वैसे आप कोई दूसरा दृष्टिकोण दिखावें तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

राष्ट्रपति शासनकाल में यहां पर जो शासन करता है वह राज्यपाल का होता है और उनके ऐडवाइजर रहते हैं। चूंकि उस समय यहां सदन नहीं होता इसलिये वह लोक सभा में जाता है और लोक सभा उसकी जिम्मेदारी ले लेती है। इसमें लिखा हुआ है कि १४ रोज यहां रखना चाहिये। १४ रोज रखने के पहले राष्ट्रपति शासन अगर उठ जाता है या कोई ऐसी टेक्निकल बात हो जाती है तो यह सदन सक्षम हो जाता है कि उसके ऊपर विचार करे। अब ऐसे जो रूल्स वगैरह होंगे इनको १४ रोज रखना है इस सदन में.....

श्री धर्म वीर—

इसके बारे में मैं एक जानकारी चाहता था। आपने जो सूचना दी उससे हम सहमत हैं। मेरी शंका इस बात पर होती है कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त हुये सवा साल हो गया और इस बीच में यहां दो सरकारें आयी और न मालूम कितनी बार विधान सभा का अधिवेशन भी हुआ तो अब तक वह इस सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया। एक बात। दूसरी बात यह कि बिना जानकारी के क्या कोई भी सूचना इस सदन के पटल पर रखी जा सकती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

उनका अटेन्शन मेरा दफ्तर भी ड्रा कर सकता है कि यह चीज आपने पूरी नहीं की है। अगर वह किसी वजह से, दो चार महीने भूल गये हों तो हमारे दफ्तर से उनको सूचना जायेगी और उनको रखना पड़ेगा चाहे देर हो जाये, कुछ भी हो, लेकिन सदन का अधिकार है कि १४ रोज तक सदन में रखा जाय। तो उसके ऊपर संशोधन आप दे सकते हैं। तो उससे कोई नुकसान आपका नहीं होता है।

श्री धर्मवीर—

मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त हुये सवा साल हो गया और इस बीच में दो बार सरकारें बदलीं और कई बार विधान सभा का अधिवेशन भी हो गया (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उनको जानकारी है कि इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री अध्यक्ष—

किसकी जिम्मेदारी है मैं इन्क्वायरी करके बतलाऊंगा।

वित्त मंत्री के भाषण और उद्योग मंत्री के उत्तरों में अन्तर होने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय शम्भूनाथ जी चौधरी का विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न। यह उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री के विरुद्ध है। इसमें यह है जो प्रश्न आपने उठाया कि दिनांक ८ जून, १९७० को मेरे नाम से स्वीकृत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ संलग्न "क" के उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री ने सदन में जो उत्तर संलग्न "ख" दिया उससे सदन का अवमान हुआ है। माननीय उद्योग मंत्री ने सदन में जो उत्तर दिया वह यह है "जी नहीं।" प्रश्न भी सुना देता हूं।

"क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों, कारपोरेशनों, या कम्पनियों के कार्य-संचालन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार एक समिति का गठन करने जा रही है। यदि हां, तो ऐसी समिति का गठन कब तक हो जायगा और उसके गठन का आधार क्या होगा" ?

उन्होंने उसके ऊपर उत्तर दिया—उद्योग मंत्री ने दिया—कि "जी नहीं" यानी समिति बनाने का, सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है।

अब इसके बाद आपका यह कहना है कि "प्रजातंत्र में सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और किसी भी मंत्री द्वारा नीति संबंधी घोषणा या संकल्प सरकार की समझी जाती है और प्रत्येक मंत्रिमंडल का सदस्य अपने को ऐसी घोषणाओं तथा संकल्पों से बाध्य समझता है। सरकार का बजट सरकार का एक प्रमुख अंग समझा जाता है और वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में की गयी नीतियों तथा संकल्पों का स्पष्ट प्रभाव बजट के पारित करने पर पड़ता है" उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह मैं आपको सुनाये देता हूं—

"जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, प्राक्कलन समिति का संबंध राज्य की ओर से चलाये जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कारखानों, कारपोरेशनों या कम्पनियों के कार्य-संचालन से रहता है। इस प्रकार की जांच को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इस सदन के सामने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स) के संबंध में विधान मंडल की एक संयुक्त समिति के गठन का औपचारिक रूप से एक संकल्प लाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इन उप क्रमों के कार्य की वर्ष प्रति वर्ष कुछ विस्तृत जांच की जा सके"

यह वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था। माननीय सदस्य का कहना है कि उद्योग मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसमें और इसमें अन्तर है। "मैंने जब प्रश्न पूछा समिति के बारे में तो उन्होंने कहा कि "जी नहीं" और अब माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उसका जिक्र

---

†८ जून, १९७० की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

किया है" तो इस वजह से वह कहते हैं कि सदन को गुमराह करने का उन्होंने प्रयत्न किया। इस लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। मैं आप से जानना चाहता हूं —मैंने दोनों उत्तर पढ़ कर सुना दिये, तो आप कहां पर समझते हैं कि उनमें मत भेद है और मुगालता दिया गया है जिससे विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। क्योंकि सदन में कोई वक्तव्य कैसा भी हो, गलत हो अथवा सही हो, उस वक्तव्य के ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। जानबूझ कर लोगों को गलत उत्तर देना या गुमराह करने का प्रयत्न करना, इसमें सिद्ध करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है, मैंने दोनों के वक्तव्य सुना दिये। आपने कहा था कि ५ मिनट का समय दिया जाय—उस रोज कहा था। मैं आपको ५ मिनट का समय देता हूं। आप बता दीजिये कि किस तरह से उठता है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न चल रहा है उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, नया व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, जैसा मैंने लिखित रूप में स्पष्ट किया है कि जो वित्त मंत्री का भाषण है वह सरकार की नीतियों से संबंधित रहता है और उसमें भाषण ही नहीं बल्कि लिखित रूप में वित्त मंत्री ने साफ घोषणा की है इस समिति के गठन की और श्रीमन् केवल इच्छा ही नहीं, उसमें संकल्प भी है। मैंने कहा कि सरकार विचार कर रही है, इच्छा की बात की है, लेकिन सरकार तो उससे आगे बढ़ गई और वित्त मंत्री ने यह कहा है कि सरकार ने संकल्प ले लिया है। और वह समिति किसकी बनगी ? उसमें है कि विधान मंडल की संयुक्त समिति। तो यह समिति विधान मण्डल की होगी और माननीय मंत्री जी की इस नीति का प्रभाव स्वाभाविक है कि बजट पारित कराने पर पड़ेगा। श्रीमन् मने एक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार एक समिति की रचना करने जा रही है, तो श्रीमन् उद्योग मंत्री कहते हैं "नहीं" और आप संकल्प ला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे ज्यादा गुमराह सदन को करने का और कौन सा तरीका हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा श्रीमन् कि इसको विशेषाधिकार समिति को निश्चित रूप से सौंप दिया जाय।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो सूचना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है मैंने बड़े ध्यान से उसका अवलोकन किया। अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उसमें निहित होता तो श्रीमन् उस स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होती। जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया उससे स्पष्ट है कि जो प्रश्न पूछा गया और जो वक्तव्य मैंने बजट भाषण में दिया उसमें मूलतः भिन्नता है। जो बजट का भाषण दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की जांच को अधिक उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से इस सदन के सामने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स) के सम्बन्ध में विधान मण्डल की एक संयुक्त समिति के गठन का औपचारिक रूप से एक संकल्प लाने का प्रस्ताव है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वह केवल उद्योग विभाग से पूछा है कि वह अपने विभाग के अन्तर्गत समिति बना रहे हैं। श्रीमन्, जो हमारा वक्तव्य है उसमें लिखा है कि सारे विभाग, चाहे वह पब्लिक अन्डरटेकिंग हो, चाहे वह इलक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे रोडवेज हो और चाहे वह ट्रान्सपोर्ट हो, इन सब के लिये दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के गठन का उल्लेख किया है।

श्री अध्यक्ष---

वह लाने वाले हैं संकल्प ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जैसे ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा, श्रीमन्, वह सदन के सामने आ जायेगा। अभी हमारा प्रस्ताव संयुक्त समिति का है। यह नहीं है कि उद्योग विभाग की समिति अलग बने और स्वास्थ्य विभाग की समिति अलग से बने। सदन के अधिकारों के बढ़ाने के लिये कि वह पब्लिक सेक्टर में प्रभावकारी रूप से कार्य कर सके सदन की संयुक्त समिति बनाने का उल्लेख किया है। इसलिये श्रीमन् जो विरोधाभास इसमें देख रहे हैं वह विरोधाभास है नहीं। श्रीमन् जो रूलिंग दी है समय-समय पर उनके अनुसार भी स्पष्ट है कि सरकार की किसी मंशा को लेकर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह २९ फरवरी १९६० को आपकी रूलिंग हुई थी। उसके बाद २० अप्रैल, १९६५ को यह रूलिंग श्रीमन्, आपकी हुई कि सरकार द्वारा एक प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिये जाने पर भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकाता। अगर यह थोड़ी देर के लिये सही भी होता तो श्रीमन्, कभी भी नीति बदल सकते हैं लेकिन यह तो तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनों वक्तव्यों में कोई विरोधाभास नहीं है इस लिये श्रीमन्, इन्हें माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार करेंगे और वापस ले लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

प्रश्न में श्रीमन् देखेंगे कि मैंने एक विभाग को संकेत नहीं किया। तिवारी जी ने उसको देखा नहीं। दूसरी तरफ प्राक्कलन समिति की बात है वह सरकार पर निहित है कि सरकार उसको ले। प्राक्कलन समिति से यह संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसको सोचा। इतना तो स्पष्ट है कि अगर यह आपने सभी के लिये किया हो तो भी उद्योग विभाग वालों ने जो जबाव दिया वह सरकारी समिति के बारे में जबाव दिया। आपका प्रश्न है "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों, कारपोरेशनों या कम्पनियों के कार्य संचालन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार एक समिति का गठन करने जा रही है या नहीं" यानी उनके ऊपर नियंत्रण भी रखने का अधिकार है सरकारी कमेटी का। वह होगा ऐसा इससे अर्थ निकलता है। तो सवाल यह होता है कि उसी उद्देश्य से उन्होंने जबाव दिया कि सरकार कोई ऐसी कमेटी नहीं बनावेगी जो उनके ऊपर नियंत्रण करे बल्कि यह ज्यादा व्यापक है कि जांच के लिये नियंत्रण के लिये नहीं, रोज के नियंत्रण के लिये नहीं बल्कि इसके लिए कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की बराबर जांच होती रहे और अफेक्टिव हो इसके लिये वित्त मंत्री ने बयान दिया और उसके लिये वह तैयार भी हैं और कहते हैं कि हम इसको लावेंगे। ऐसी अवस्था में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है जैसा कि आपने रूलिंग पढ़ी। यहां पर जो चीज होती है उसका स्पष्टीकरण हो सकता है। यहां सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा और तीसरा सवाल पूछ सकते हैं। अब इस तरह की बात आने लगे कि आपने यह कहा और इससे विशेषाधिकार की अवहेलना है तो विशेषाधिकार की अवहेलना बहुत सस्ती चीज हो जायगी। विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में इंगलिश प्रथा में यह कहा जाता है कि यह प्रश्न साधारण बातों में उठाना ही नहीं चाहिय। आप कहते हैं कि डिमोक्रेसी है और जनता और हम एक हैं तो फिर विशेषाधिकार आपके लिये क्यों होना चाहिये ? जब जनता का यह आक्षेप विशेषाधिकार पर लगाया जाता है तो इसको इतना सस्ता न बनावें। प्राग दर्शन में मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं समझता हूं इसलिये इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरे के बारे में मुझे कार्यवाही देखनी होगी।

यूनानी तथा आयुर्वेदिक कालेजों के संबंध में जानकारी

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, आप इसको जिसमें भी उचित समझें रखें लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस विधान सभा में इस सत्र में आयुर्वेदिक कालेज के बारे में चर्चा हुई ? आपके कक्ष में भी बहस हुई। आपने कहा कि २४ घंटे में उसका विधान लाने वाले हैं लेकिन जो आज उत्तर दिया गया उसमें कहा गया कि चिकित्सा परिषद चलाती है। आप देखिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न आ जाता है कि इस विधान सभा का इतना समय लेकिन जिस उत्तर को आज दिया गया यह पहले भी दे सकते थे। चूंकि विधान सभा को गुमराह किया गया, आपको गुमराह किया गया और सभी सदस्यों को गुमराह किया गया। आप विशेषाधिकार के लिये इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित भेज दें।

मार्शल के अधीन विधान सभा के गार्डों की नियुक्ति के संबंध में पूछ ताछ

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इसके पहले कि मंत्री जी खड़े हों मैं आपसे एक सूचना चाहता था। १५, २० दिन हो गये जबकि माननीय शिवराज सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि हाउस में पुलिस नहीं बुलाई जायेगी और उनकी रेकमेंडेशन के आधार पर मार्शल के कमान्ड में २० काउन्सिल हाउस गार्ड के बारे में कहा था कि हम कार्यवाही करेंगे। आज भी सदन की वही हालत है। रोजाना सदन में कोई न कोई घटना होती है या कोई न कोई चीजें होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

रोजाना की बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

समस्त प्रदेश में कोई न कोई घटना होती है जिससे पुलिस का सम्बन्ध है। उस विषय में क्या प्रगति हुई है और सरकार उसके लिये क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं सरकार से पूछूंगा, पूछा भी था और उन्होंने यह कहा है कि शीघ्र ही कार्य करूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान —अनुदान संख्या ३७—परिवहन तथा अनुदानसंख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

एक बजे से दो बजे तक सदन का रेगुलर समय नहीं होता। मेरी इसमें यह आपत्ति है कि क्या इस समय माननीय परिवहन मंत्री जी जबकि सदन का रेगुलर समय नहीं उस समय अपनी बजट मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वोटिंग नहीं होगी परन्तु वह बजट मांगों को अवश्य ही पेश कर सकते हैं।

*परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

माननीय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २९,७५,६६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४४,९१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय कृत परिवहन सेवा मई, १९४७ से कार्य कर रही है और जब से अब तक हमारी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इसके विकास तथा उसके उत्थान के लिये बराबर कोशिश होती रही है। यह विभाग इस प्रदेश में पथ सेवा में एक अच्छा कार्य कर रहा है। इस पथ सेवा संचालन के लिये यह सोचा गया कि जनता को आरामदेह यात्रा दी जाय और इसके द्वारा बेरोजगारी को भी मिटाया जाय। इस परिवहन सेवा के द्वारा कारखानों की स्थापना हुई। कुशल कारीगरों का उत्थान और श्रमिकों के कल्याण की दिशा में काफी काम हुआ है। मान्यवर, इस समय १९६९–७० में राष्ट्रीय रोडवेज में ३,८०० बसें ८५३ मार्गों पर जो १९३९३ किलो मीटर लम्बा मार्ग है चल रही है। इन मार्गों पर जनता के सुख सुविधा के लिये १७६ निजी बस स्टेशन्स बनाये गये हैं और सैकड़ों की तादाद में किराये के स्टेशन्स भी हैं। इन सभी स्टेशनों पर ठंढे पानी की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था और स्वच्छ शौचालयों का प्रबन्ध है। बराबर विभाग की यह कोशिश रही है कि हम जनता की इस विभाग द्वारा अच्छी सेवा कर सकें। सन् ६८–६९ में रोडवेज बसों द्वारा लगभग २१ करोड़ से ऊपर यात्रियों न यात्रा की। आरम्भ से मार्च, ६९ तक लगभग १८.४१ करोड़ रुपये की पूंजी राज्य परिवहन सेवा में लगायी गयी। सभी प्रकार के खर्चे निकालने के बाद जब से रोडवेज शुरू हुई है तब से १९६९ तक लगभग २३.४१ करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। ६८–६९ में रोडवेज को लगभग ढाई करोड़ रुपय का शुद्ध लाभ हुआ। इस वर्ष यह लाभ लगी हुई पूंजी पर १२ प्रतिशत से अधिक है और इन कारणों से साफ होता है कि हमारी यह बस परिवहन सेवा विभाग अच्छा कार्य कर रहा है, आकर्षक है और जनता की सेवा में लगा हुआ है।

चौथी प्लान में ७.२०५ करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है। इस योजनाकाल में एक हजार किलोमीटर नयी सड़कों पर बस चालू की जायंगी। प्लान के अन्तर्गत इस वर्ष १०८ नयी बसें तथा २ वातानुकूलित कोच क्रय किये जायंगे। प्लान के अतिरिक्त वर्तमान मार्गों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियों के बदलने के लिये ६०० नयी गाड़ियां क्रय करने का प्राविधान है। इतना ही नहीं परिवहन विभाग बेरोजगारी मिटाने के लिये सतत प्रयत्नशील रहा है। रोडवेज बसों में काम करने वाले ड्राइवरों, कंडक्टरों, ए० टी० आईज०, बुकिंग क्लर्क तथा सेन्ट्रल कर्मशाला, कानपुर के कर्मचारियों की संख्या २९ हजार ५४२ है और इनकी देखभाल और विभाग के प्रबन्ध के लिये लगभग एक हजार अधिकारी हैं। इस प्रकार रोडवेज के द्वारा ३० हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। बसें चलती हैं, खराब होती हैं, उनके ढांचे टूटते हैं और विभाग की तरफ से कानपुर में एक कर्मशाला सेन्ट्रल वर्कशाप है जिसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजीलाल सहायक]

मरम्मत का काम तो होता ही है, नयी बाडी बनाने का काम भी होता है और इस तरह से इस कर्मशाला के द्वारा ६९–७० में १,८९० इंजनों को फिर से बनाया गया, ५५९ बसों के नये ढांचे बनाये गये, ५७ गाड़ियों के ढांचों की मरम्मत की गयी, ११ हजार ८५ टायरों का पुनः चारन किया गया। इसके अतिरिक्त १२ रीजनल कर्मशालायें हैं और ६२ डिपो कर्मशालायें हैं। इन सभी में जो हमारी बसें सड़कों पर खराब होती हैं उनकी मरम्मत की जाती है। हम यह विचार कर रहे हैं कि कर्मशालाओं का विकास हो और किस तरह से हम इनमें दक्षता ला सकें और सब काम अच्छा हो सके। इनके सुधार के लिये एक्सपर्टस की एक समिति बनाने का विचार है जो इसके बारे में देखभाल करके रिपोर्ट सरकार को दे ताकि हम इनका सुधार कर सकें।

मान्यवर, रोडवेज द्वारा यात्रियों को सुविधा दिये जाने का बराबर विचार रहा है। छोटे सिक्कों की कमी के कारण अभी तक यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है। अभी इसी सत्र में हमने इन छोटे सिक्कों के एक, दो, तीन पैसे के स्थान पर पांच पैसे के रूप में किराया कर दिया है जिससे सुविधा हो जायगी। सिटी बस सेवा इस विभाग द्वारा संचालित होती है। उसमें पे ऐण्ड बोर्ड की प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है और यहां लखनऊ में वह प्रणाली आरम्भ की जायगी। अभी तक बसों की रफ्तार ४२ किलो मीटर प्रति घंटा थी। इससे यात्रियों को बड़ा समय लगता था और यात्रियों को असुविधा भी होती थी। अब बसों की रफ्तार ७० किलो मीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अब बदरीनाथ की यात्रा करने वालों के लिये भी सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हरिद्वार से बदरीनाथ को और नैनीताल से बदरीनाथ को इन दो स्थानों से बस चलाने का प्रबन्ध किया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिल सके। नई बसेज को खरीदने का भी प्राविधान है। रोडवेज में अनियमितता भी बढ़ती जाती है। उनकी चेकिंग के लिये प्रभावशाली कदम उठाने का प्रबन्ध किया गया है। परिवहन आयुक्त के कार्यालय में दो नये चेकिंग स्क्वेड स्थापित करने का प्राविधान किया गया है। रोडवज विभाग में जो कर्मशाला या कोई निर्माण कार्य या बस स्टेशन विभाग द्वारा बनाया जायगा वह विभाग क अपने इंजीनियरों के द्वारा ही बनाया जायगा। इसके लिय एक नया विभाग पहले से ही स्थापित है। इसमें एक अभियन्ता और ४ ओवरसियरों को और नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ताकि निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो सके।

हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में टनकपुर क्षेत्र में अभी तक कोई कर्मशाला नहीं थी जिसके कारण बड़ी परेशानी होती थी। वहां अगर कोई बस खराब हो जाती थी तो उसका प्रबन्ध नहीं हो पाता था। इस वर्ष पिथौरागढ़ में रोडवेज कर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसकी शीघ्र ही बन जाने की आशा है। गर्मी के दिनों में दिल्ली से मन्सूरी जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये दिल्ली देहरादून मार्ग पर वातानुकूलित बसेज चलाई गई हैं। इस तरह स हमारा बराबर प्रयास है कि हमारी रोडवेज बसों से जो यात्री सफर करते हैं उनके लिये जितनी भी सुविधा द सकें दें। इसके लिये विभाग सतत प्रयत्नशील है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह विभाग न केवल परिवहन की सुविधा ही रोडवेज द्वारा यात्रियों को प्रदान करता है बल्कि यह विभाग रोजगार देने का भी एक अच्छा साधन है। इसलिये जो संख्या मैंने बतलाई हम बराबर इस बात का खयाल रखते हैं कि उन श्रमिकों के कल्याण के लिये कुछ न कुछ कार्य होते रहें। मान्यवर, मोटर परिवहन वर्कर्स ऐक्ट एवं फैक्टरीज ऐक्ट द्वारा श्रमिकों को सुविधायें दी जाती हैं। जो सुविधायें इनके द्वारा मान्य हैं वह हमारा विभाग उनको देता है। उन सुविधाओं के अतिरिक्त जब विभाग के वे कर्मचारी जो प्रायः अपन कर्त्तव्य पूर्ति के लिये दौरे पर रहते हैं उनके विश्राम और ठहरने के लिये ७८ रेस्ट रूम बनाये गये हैं। जो सुसज्जित हैं। वहां पर उनके ठहरने और आराम करने का पूरा प्रबन्ध है। केन्द्रीय कर्मशाला, कानपुर के कर्मचारियों के आवास के लिये इस वक्त तक १५० आवास निर्मित हो चुके हैं। अन्य स्थानों पर भी हमारी कोशिश है कि यथा स्थिति के अनुसार हम अपने श्रमिकों के रहने के लिये आवास उपलब्ध करा सकें।

श्रमिकों के लिये स्थायी करने की बात भी दृष्टि में है। वर्क चार्ज के काम करने वाले श्रमिकों के लिये यह निर्णय लिया गया है कि ३ वर्ष की सेवा करने के उपरान्त ६० फीसदी श्रमिकों को रेगुलर बना दिया जाय। यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जिसके ऊपर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा। श्रमिकों को वर्दी दी जाती है उसकी दो महीने में धुलाई के लिये धुलाई भत्ता भी दिया जाता है। इस बार यह निर्णय और लिया गया है कि श्रमिकों की सुविधा के लिये जो वर्दी का कपड़ा दिया जाता है वह कपड़ा देने समय उसकी सिलाई भी उनको दे दी जाय जिसकी वजह से उनको देरी न हो और जल्दी ही उनको वर्दी मिल सके। श्रमिकों के लिये अनुग्रह के रूप में छुट्टी दिये जाने का प्राविधान भी हमारे यहां रहता है। और अब उसके दिनों की संख्या को बढ़ाने पर विचार हो रहा है। अभी तक मेडिकल लीव के रूप में उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी लेकिन इधर रोडवेज बोर्ड का इस विषय में एक निर्णय हुआ है और वह निर्णय शासन के विचाराधीन है और आशा है कि उस पर जल्द ही अन्तिम फैसला हो जायगा और मेडिकल लीव देन क प्रस्ताव को सम्भवतः शासन मान लेगा और वह छुट्टी उनको मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के योग्यतापूर्ण और दक्षतापूर्ण कार्यों का भी खयाल किया जाता है। ११९ स्थानों पर इन कर्मचारियों के लिये कैंनटीन, जलपान-गृह की सुविधायें उपलब्ध हैं। ११ स्थानों पर श्रमिकों के क्रीड़ास्थल, कैन्टीन और विश्राम-गृह का प्रबन्ध किया गया है और यह सुविधा १२ अन्य स्थानों पर और बढ़ाने का प्राविधान है। इस तरह से हम अपने श्रमिकों के कल्याण के लिये सतत प्रयत्नशील हैं।

श्रमिकों की भरती में अभी तक कुछ अनियमिततायें होती रही हैं, अब हमारा विचार है कि उन अनियमितताओं को दूर करने के लिये हर रीजन में एक समिति गठित की जाय और उसके द्वारा विभाग में सीधी भरती की जाया करेगी ताकि नियमानुसार भरतियां हों और किसी तरह की अनियमिततायें उसमें न रहें। रोडवेज के अलावा हमारे प्रदेश में प्राइवेट बसों के द्वारा भी पथ सेवा का काम होता है और माल ढोने के लिये भी प्राइवेट ट्रक्स हैं और इस समय उनकी संख्या ५१४४ है जो विभिन्न मार्गों पर चलती हैं। सार्वजनिक भारवाहकों की संख्या १७,५२३ है और निजी भारवाहकों की संख्या १,८०२ है। इसके अलावा १,६९८ टैक्सियां काम कर रही हैं जो यात्रियों के काम में आती हैं और उनको प्राइवेट लाइसेंस देने का भी हमारे संभागीय परिवहन कार्यालय काम करते हैं। उनका भी काम बहुत बढ़ गया है इसलिये अब विभाग का निर्णय हुआ है कि रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में मोटर मालिकान और जनता की सुविधा के लिये मुरादाबाद में एक संभागीय परिवहन कार्यालय और खोला जायगा। बराबर यह कहा जाता है परमिटों के सम्बन्ध में, प्रश्नों के द्वारा भी और वैसे भी कि क्यों नहीं उसको फ्री कर दिया जाता और जो चाहे वह अपनी गाड़ी चलाये लेकिन आज के इस बदलते हुये जमाने में मेरी अपनी राय है कि इस तरह की इजाजत देना कोई अच्छी बात न होगी। एक तो कानून हमें इस तरह की इजाजत नहीं देता और दूसरे केन्द्रीय सरकार का मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट भी यह इजाजत नहीं देता और दूसरी बात यह भी है कि अगर हम ऐसी छूट दे देते हैं तो यह मानी हुई बात है कि उससे हम समाजवाद की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि एक माने में हम सारा यातायात का काम उन्हीं के हाथ मे दे देंगे जिनके पास पैसा है और जो शक्तिशाली है। हमारी हर सड़क पर आज मांग है इस बात की कि मोटर गाड़ियां बढ़ाई जायं, यद्यपि वहां रोडवेज और प्राइवेट बसें चलती हैं लेकिन मांग अधिक की है। अब यह विचार किया गया है कि परमिटों के संबंध में उदारता की नीति बरती जाय अर्थात् जहां ज्यादा मांग है वहां परमिट उदारता से दिये जायं। जहां १० हैं वहां १५ को दे सकें। इस तरह का निर्णय हम ने किया है। मदानी क्षेत्र में ट्रक्स को २०० मन भार लादने की अनुमति है लेकिन बहुत से लोग ज्यादा माल लादते हैं, उन को हमारे स्क्वेड पकड़ते भी हैं, उन पर जुर्माना भी होता है और वह फिर भी नहीं मानते। तो इस बात को देखकर इस वक्त ट्रकों से २७० मन भार उठाने की

[श्री रामजीलाल सहायक]

अनुमति देने का निर्णय ले लिया गया है। हमने इस पिछले वर्ष में ऐसी गाड़ियों के चालान किये जो हमारे नियमों का उल्लंघन करते थे । ऐसे २१३१२ मामलों में संभागीय परिवहन मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में मुकदमें चलाये गये । इनमें १८८७९ मामलों में संबंधित अपराधियों को सजा दी गई । ५८ मामलों में अपराधी बरी किये गये ३१२ मामलों में चेतावनी दी गई । और २३७ मामले दाखिल दफ्तर किये गये । जितने मामलों में सजा दी गई उनमें से मान्यवर, १२,८७,७०९ रुपये की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल हुई । अभी भी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे चेकिंग स्ववैड्स कम है । हम इस बजट में प्रदेश में दो और चेकिंग स्ववेड्स का सृजन करने जा रहे हैं जिससे तेजी के साथ और प्रभावशील रूप में चेकिंग का कार्य किया जा सके और कानून की अवहेलना करने वालों को दंड दिया जा सके ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में अनेक ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जहां पुरानी संस्कृति के अवशेष हैं और बहुत से दर्शनीय स्थान हैं जहां देश विदेश से अनेक यात्री आकर उनको देखते हैं और आनंदित होते हैं । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन योग्य स्थानों पर हमने विकास के कार्यक्रम किये हैं । १९६९-७० में इसके लिये १०.७९ लाख रुपये का प्राविधान किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष के लिये १६.१२ लाख का प्राविधान किया गया है जिसमें से निर्माण कार्यों पर १३.४७ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे । पर्यटक क्षेत्रों में नये आवास गृह बनाने का कार्यक्रम भी किया जा रहा है जैसे मथुरा, महोबा, पौड़ी आदि म । अल्मोड़ा में अवकाशकालीन शिविर बनाने की योजना है। मुनि की रेत में यात्री शेड बनाने का कार्य पूरा हो गया है। इसी प्रकार रुद्र प्रयाग और कर्णप्रयाग के यात्री-शेड का निर्माण हुआ था । समुचित प्रचार करने के उद्देश्य से एवं प्रदेश के बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिये दिल्ली में एक पर्यटन संगठन कार्यालय खोला गया है। दिल्ली राजधानी है। वहां से देश विदेश के काफी लोग आते हैं । इसलिये वहां पर एक कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि वहां पर प्रचार किया जा सके । मान्यवर, समय की कमी है इसलिये माननीय सदस्य कृपया हमें अपने सुझाव दें जिससे परिवहन विभाग सचेत होकर पब्लिक की सेवा के लिये आगे बढ़ सकें । मान्यवर, मैं यह बजट प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान ३७ एवं ५२ के अधीन मांग की राशियों को घटाकर एक-एक रुपये कर दिया जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना एवं सुझाव देना है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अपनी सुन्दर शब्दावली से हम सब को इस प्रकार से आभास कराया कि जैसा वह कह रहे हैं वास्तविकता वही है। वास्तविकता तो मैं अभी प्रस्तुत करूंगा जब विभाग की नीति की आलोचना रक्खी जायेगी । पथ परिवहन के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप यात्रियों के लिये कतिपय सुविधाओं की और कर्मचारियों के लिये कई कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था की गई जैसे नियमित बस सेवा, मेलों आदि के लिये विशेष बसें, रास्ते में गाड़ी बिगड़ने पर शीघ्र दूसरी गाड़ी का प्रबन्ध तथा यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय सहित बस स्टेशन आदि की व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त रोडवेज कर्मचारियों के लिये सवेतन छुट्टी अन्य छुट्टियां, साप्ताहिक अवकाश आदि की भी व्यवस्था की गयी जो कि निजी क्षेत्र में बहुधा उपलब्ध नहीं थी ।

मान्यवर, ऐसा सब लोगों के लिये होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन वास्तविकता क्या है इससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं । जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उसकी पूर्ति हम कहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तक कर पाये हैं, उसमें हम कहां तक पूर्ण उतर पाये हैं उसका एक चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सरकार की ओर से लगभग ३,८०० बसें चल रही हैं । मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन ३,८०० बसों में से लगभग १,३०० गाड़ियां इस प्रकार की हैं जो कि आफ दि रोड्स हैं । उनकी हालत इस प्रकार की नहीं है कि वे सड़कों पर चलायी जा सकें और यात्रियों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकें । उन १,३०० गाड़ियों में लगभग ५०० गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी बहुत थोड़ी रिपेयर करके उनको सड़कों पर चलाया जा सकता है लेकिन इस अभागे कामर्शियल यूनिट्स में उन ५०० गाड़ियों की मरम्मत के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें केवल हजार पांच सौ रुपये लगा कर उनको सड़कों पर सुचारु रूप से चलाया जा सके । मैं आपके सामने जो चित्र रख रहा हूं उससे स्पष्ट हो जायेगा कि इस विभाग के अन्दर कितना अन्धेर है, कितना गोलमाल है। ऊपर कुछ है और अन्दर कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि उन १,३०० गाड़ियों के न चलने के कारण एक तिहाई गाड़ियां कटेल हो गयीं । जब इतनी गाड़ियां अलग हो गयीं तो स्वाभाविक रूप से जिन रूट्स पर ये गाड़ियां चल रही हैं हम कैसे आशा कर सकते हैं कि उन गाड़ियों से सही सेवा हो सकेगी जिसकी कि हम आशा करते हैं ।

इसी तरह से जो आपने टाइम-टेबिल बांध रखा है, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व-माननीय मंत्री जी ने जब कार्यभार ग्रहण किया उसके उपरान्त वे अपने डिप्टी डाइरेक्टर के साथ विजिट पर बाराबंकी गये और इस संबंध में स्वयं उन्होंने जांच की । एक विशेष रूट जिस पर ६ बसें आनी चाहिये थीं जितनी देर वे वहां रुके रहे, उसपर केवल एक बस आयी । यह वहां की सच्चाई थी और माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, यह बात पेपर में भी खुले रूप में देखने को मिली । जो यहां की स्थिति है उसका एक प्रमुख वास्तविक चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । चूंकि एक तिहाई बस सेवायें कटेल हैं उन्हीं कारणों से अनअथराइज्ड आपरेशन होते हैं, अनधिकृत रूप से बसें चलायी जाती हैं जिससे घाटा सीधे सरकार को होता है और इसके अतिरिक्त अनियमिततायें भी बढ़ी हुई हैं ।

मान्यवर, जहां इन सब बातों का जिक्र किया गया है उसकी कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ कर सुनायी कि यात्रियों की सुविधा के लिये हम यह सब कार्य कर रहे हैं । उसमें है कि मेले के लिये विशेष रूप से सुविधा प्रदान की जाती है। अभी-अभी कुछ दिन पूर्व गोरखपुर में चैत्र नवमी का मेला हुआ था । इस संबंध में पहली बात यह कि आज के युग में इस तरह के मेलों में इतना रश होता है कि सरकार को प्राइवेट बसों के लिये परमिट एलाऊ करना चाहिये लेकिन इस विभाग द्वारा प्राइवेट बसें चलाने के लिये परमिट नहीं एलाऊ किया जाता और वे केवल गवर्नमेंट बसें ही वहां डालते हैं लेकिन सरकारी बसों की वहां पर क्या स्थिति थी । मान्यवर, एक-एक बस में ९०-९० यात्री सफर करते हैं जब कि सरकार की ओर से केवल ५२ यात्रियों के ही सफर करने की अनुमति है। वह बस क्या हो गयी काल कोठरी हो गयी । इस प्रकार की अनियमिततायें आपको हर जगह मिलेंगी । मान्यवर, पिछले दिनों प्रतापगढ़ जिले में विभाग के उच्चाधिकारियों ने जब चेकिंग की तो कुछ बसें ऐसी पायी गयीं जिनमें ५२ यात्रियों की जगह ९० यात्री पाये गये । अधिक यात्रियों से जो पैसा मिला वह कन्डक्टर और ड्राइवर की जेब में गया । आप अन्दाज लगाइये कि इस प्रकार से कितना पैसा इन कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स की जेबों में जाता है और सरकार का नुक्सान होता है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मांग अधिक की है और पूर्ति बहुत कम है । जितनी बसें यात्रियों के हिसाब से चलनी चाहिये उतनी नहीं चल रही हैं । इसका फल है कि ओवरलोडिंग होती है । एक तरफ प्राइवेट बसों के लिये आप परमिट नहीं देते, दूसरी तरफ जरूरत के अनुसार आप अपनी बसें भी नहीं चलात, इससे परेशानी पैसेंजर्स को ही होती है । साथ ही सरकार को

[श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा]

भी घाटा होता है। आप सोचिये कि इन गर्मियों के दिनों में जब ९०-९० यात्री बस में सफर करेंगे तो उनकी क्या दशा होती होगी ।

पिछले एक साल की बात है, देहरादून में पैसेन्जर्स टैक्स का कई लाख रुपया वहां के अधिकारियों ने वसूल नहीं किया । वह टैक्स अब तो वसूल हो नहीं सकता, मगर जिन अधिकारियों की गलती से वह वसूल नहीं हुआ उनके खिलाफ आज तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । लोक लेखा समिति में, जब माननीय शिवराज सिंह उसके सभापति थे, उनके सामने भी यह प्रश्न आया था और जब संबंधित अधिकारियों से यह प्रश्न पूछा गया था तो वे इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दे पाये थे । उनकी गलती की वजह से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा । यह है आपके रोडवेज विभाग की एफीसिएंसी का दूसरा नमूना ।

अब मैं आर्थिक दृष्टि से इस पर विचार रखूंगा । मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा इस वक्त ३,८०० बसें सरकार की चल रही हैं और जो फीगर्स दी गयी हैं उनके अनुसार २१ हजार किलोमीटर सड़कों पर यह रोडवेज की बसें चल रही हैं । इसके विपरीत प्राइवेट सेक्टर में ७ हजार किलोमीटर सड़कों पर ५ हजार प्राइवेट बसें चल रही हैं । इधर २१ हजार पर केवल ३,८०० बसें, और उधर ७ हजार पर ५ हजार बसें ।

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया ३,८०० में से १,३०० बसें करटेल कर दी गई हैं और इस प्रकार से २,५०० बसें शेष बची हैं । तो एक तरफ तो ७,००० किलोमीटर सड़कों पर ५,००० बसें हैं और दूसरी तरफ सरकारी २१,००० किलोमीटर सड़कों पर केवल २५०० बसें हैं । तो इसका फारमूला यह है कि ७ हजार किलोमीटर रोड्स पर ५ हजार बसें चल सकती हैं, तो २१ हजार किलोमीटर पर १५ हजार बसें चलनी चाहिये । किन्तु हमारी बसें चल रही हैं केवल २,५०० । इस प्रकार से यदि साढ़े बारह हजार नई बसें इन रूटों पर डाल दी जायें तो हम यात्रियों को सुविधायें दे सकते हैं । हम इस चीज को इस तरह भी सोच लें कि यदि साढ़े बारह हजार गाड़ियां प्राइवेट बसें इन रूट्स पर डाल दी जायें तो सरकार को उससे क्या रिटर्न मिलेगा ? मान्यवर, रोड-टैक्स ४ हजार रुपया वार्षिक एक प्राइवेट बस पर होता है । तो साढ़े बारह हजार पर ४ हजार रुपया वार्षिक का हिसाब लगाया जाये, तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ५ करोड़ रुपया नेट वार्षिक रोड टैक्स के रूप में प्राप्त हो सकता है । इन रूट्स पर साढ़े बारह हजार बसों की कमी के कारण ५ करोड़ रुपये वार्षिक का नेट लाभ सरकार को हो रहा है। इन्हीं कारणों से इन यात्रियों को असुविधायें उठानी पड़ रही हैं । यह तो ५ करोड़ रुपया एक रोड टैक्स के द्वारा वसूल हो सकता है। अभी मंत्री जी ने कहा कि समाजवाद लाने के लिए प्राइवेट बसों को स्थान न दिया जाये, तो समाजवाद लाने के लिये यह भी जरूर है कि यात्रियों का गला घोंट दिया जाये तो ज्यादा अच्छा हो । यह सरकार बसें भी नहीं प्रोवाईड कर सकती और दूसरे लोगों को अवसर भी नहीं दे सकती । इस तरह से कैसे समाजवाद आयेगा, यह समझ में नहीं आता है । पैसेंजर टैक्स पर, १२।। हजार बसों पर ५ करोड़ का नुक्सान हो रहा है। इस प्रकार से १० करोड़ रुपये का वार्षिक सरकार को नेट लास हो रहा है इन साढ़े बारह हजार बसों के अभाव के कारण । मान्यवर, यह तो हमारा आर्थिक पहलू रहा, जिस पर सरकार काफी मनन करती है और अपने अधिकारियों से भी काफी मनन करती है लेकिन मैं नहीं समझता कि २२ साल में वह इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाई है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अब इन बातों पर सुझाव देना चाहूंगा कि इनका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है । सबसे पहले इस बात को लीजिये कि इन साढे बारह हजार बसों की पूर्ति कहां से की जा सकती है ? मैं समझता हूं सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह साढ़े बारह हजार नई बसें इन रूट्स पर डाल सके । इसके अलावा जैसा कि इस वर्ष

के बजट में नई सड़कों का बहुत अधिक प्राविधान किया गया है आगे सालों के लिये, तो कई हजार किलोमीटर नई सड़कें बन कर आ जायेंगी, तो क्या हम आशा करें कि वह नई सड़कों पर बसें डालने के लिये क्या प्राविजन करेगी ।

हमारे सामने पंजाब रोडवेज एक अच्छा एग्जाम्पेल है। वहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट रोडवेज दोनों साईड बाई साइड चलती हैं। उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर दोनों की एफिशिएंसी बनी हुई है, जिससे सरकारी पक्ष को भी लाभ हो रहा है और साथ ही प्राइवेट पक्ष को भी बराबर अच्छा लाभ हो रहा है। समाजवाद का नारा देने वाली यह सरकार यह समझ नहीं पाती है कि हम जनता के कष्टों का निवारण कैसे कर सकते ह । हमें उन कठिनाइयों को सुलझाना है, इस विचार को लेकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम उनका निवारण कर सकेंगे । अगर हम समाजवाद का केवल नारा देकर इधर-उधर की बातें करते रहेंगे तो मैं समझता हूं जनता के कष्टों का निवारण नहीं हो सकेगा । साढ़े बारह हजार बसें इन रूट्स पर आवश्यक हैं जहां पर सरकरी बसें चल रही हैं । मान्यवर, दो तरह से कार्य हो सकता है, एक तो जहां पर सरकारी रूट्स हैं वहां पर प्राईवेट बसें डाली जायें । उसका ढंग यह हो सकता है कि बसों को चलाने के परमिट का आक्शन किया जाये । एक सीमा निर्धारित कर दी जाय कि इस रूट के ऊपर ५० बसें चलेंगी जिसमें २५ बसें सरकार पक्ष की और २५ प्राइवेट पक्ष की रहेंगी । उन २५ बसों का आक्शन किया जाय । यदि कोई व्यक्ति नयी बस डालता है तो उसका पांच वर्ष का कोटा कर दिया जाय । पांच वर्ष तक वह अच्छे ढंग से चल सकती है। उस आक्शन से सरकार की इनकम बहुत बढ़ेगी।

इस समय जो घूसखोरी चल रही है, जिसकी मंत्री जी को पूर्णतया जानकारी होगी, मेरठ के रहने वाले हैं । गढ़ और दिल्ली के बीच में जो बसें चल रही हैं, एक परमिट की एक लाख रुपया कीमत है। इससे ज्यादा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है ? आप क्या आशा करते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को एक लाख परमिट का बिना किसी बड़े व्यक्ति को पकड़े, मंत्री की खुशामद के बिना, मिल जायगा क्या ? यह असंभव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इन डिबेट्स मे हिस्सा नहीं लेते । वह हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । परिवहन जैसे मुख्य विषय पर चर्चा हो रही है, उनको विषय पर हस्तक्षेप करने की शुरू से. . .और होना भी चाहिये, भार वहन करने के उपरान्त उन्होंने आर०टी०ओ० कमेटीज को अबालिश कर दिया। उनको एक नया रूप दिया । रीजनल लेबिल पर तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया । डी० आई० जी, कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उसके चेयरमैन रहेंगे कमिश्नर । इसी प्रकार स्टेट लबिल पर एक कमेटी का गठन किया गया । उसमें एक बात अच्छी की गयी । बोर्ड आफ रेवन्यू का मेम्बर लिया गया है, जो कि कमिश्नर के लबिल से काफी ऊंचा होता है। वह इन लोगों के प्रेशर मे नहीं आ पाता है। आर० टी० ओ० कमेटीज के प्रति मेरी दूसरी राय है। मदरास में श्री राजागोपाला चार्य जब चीफ मिनस्टर थे तो वहां पर उन्होंने आर०टी० ओ० कमेटी को एक सदस्य द्वारा ही नियंत्रित किया था । आज भी वह २३ वर्षों के बाद एक ही सदस्य द्वारा संचालित है। मेरा सुझाव है कि इन कमेटियों का गठन समाप्त कर के वहां पर हाई कोर्ट के जस्टिस को अप्वाइंट किया जाय जो स्टेट और रीजनल लेबिल से कमेटीज का नियंत्रण करे । उसका प्रोफार्मा तैयार किया जाय । जो जरूरतमन्द हो उसको परमिट प्रदान किया जाय । हर व्यक्ति, जो मंत्री जी का है, साला है, या किसी विधायक का परिचित है, को परमिट न दिया जाय । अगर वह जरूरतमन्द है तो उन्हें भी प्रदान कीजिये लेकिन अन्याय हो रहा है। अपर क्लास ही सफल होता है। माननीय मुख्य मंत्री नहीं हैं । क्या वह आशा करते हैं कि जो नयी कमेटी का गठन किया गया है इसमें वह चीजें नहीं चलेंगी इसमें भी चलेंगी । हमारे यहां नेशनल कैरेक्टर की कमी है। उस अभाव को पूरा करने के

[श्री राजेन्द्रकमार शर्मा]

लिये सख्त नियंत्रण लगाना चाहिये जिससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके । आज मंत्री कमिश्नर से भी कह सकते हैं, डी० आई० जी० से भी कह सकते हैं, और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से भी कह सकते हैं कि फलां मेम्बर को गाड़ी अलाट कर दीजिये । इसीलिए हाई कोर्ट के जस्टिस को अप्वाइंट करने की जरूरत है । वह सही निर्णय लेने में सफल होगा । किस व्यक्ति की जेनुइन डिमांड है, उसका प्रोफार्मा तैयार किया जाय । जो व्यक्ति जेनुइन डिमांड वाला हो, पूर्ण जांच के पश्चात् उसको परमिट दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि वह फ्री परमिट सिस्टम लागू नहीं करेंगे । रोडवेज की बसों की कमी के कारण प्रदेश में परिवहन की समस्या का निवारण कैसे हो सकेगा । साढ़े १२ हजार बसें बहुत होती हैं । अगर प्राइवेट सेक्टर के जरिये बसों को सड़कों पर नहीं लाया जायगा तो उनकी पूर्ति नहीं हो सकेगी । इस पर सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिये जिसके अन्दर एक्सपर्टस रखे जायं, इस सदन के माननीय सदस्य रखे जायं और वह विचार विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे जैसे इस कठिनाई का निवारण किया जा सकता है जिससे कि सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ सके और जनता की कठिनाई भी दूर हो सके ।

ए०आर०टी० ओज० (एन्फोर्समेंट) द्वारा सड़कों पर जो अनियमितताएं होती हैं उनका कंट्रोल होता है । पूरे प्रदेश में उनकी संख्या १९ है और हर ए०आर०टी० ओ० के अधीन ३,४ जिले लगे हुये हैं । अगर एक रूट पर किसी बस को अनियमिता करते हुए पकड़ा जाता है तो दूसरे दिन वह ए०आर०टी०ओ० किसी दूसरे रूप रूट पर चला जाता है और बस ओनर जब तक उसके चालान का निर्णय होता है तब तक जो जुर्माना उसपर होता है उसकी पूर्ति वह कर लेता है । लिहाजा ए०आर०टी० ओज० की संख्या इतनी कर देनी चाहिये कि हर ट्रक ओनर को इस बात का भय लगा रहे कि पता नहीं किस क्षण ए०आर०टी०ओ० (एन-फोर्समेंट) उसकी ट्रक के सामने आ जाय, तभी इस अनियमितता का निवारण किया जा सकता है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि ५२ ए०आर०टी०ओज० ४ जोन में बांट दिये जायं और उन पर एक उच्चाधिकारी नियुक्त किया जाय जो १६,१७ ए०आर०टी०ओज० की गतिविधि को अच्छी तरह से देख सकें । अगर ए०आर०टी०ओ० की संख्या बढ़ा कर चेकिंग कड़ी कर दी जाय तो जो अनियमितताएं बढ़ रही हैं उनमें जरूर कमी आ जायगी । हमारे प्रदेश में १७ हजार ट्रक चल रहे हैं और अगर औसतन मान लिया जाय हर ट्रक ५ सवारी बिठा कर रोजाना ले जाता है और एक सवारी से १ रुपया चार्ज कर लेता है जो ३५ हजार रुपये रोज की धनराशि रोडवेज को न मिल कर ट्रक वाले ले जाते हैं और अगर एक चालान हो भी जाता है तो दो महीने बाद जब निर्णय होता है तो उससे कई गुना अधिक रुपया वह कमा चुके होते हैं । इन अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए मैं इस विभाग के कुछ अधिकारियों को समाप्त करने की राय दूंगा और ए०आर०टी०ओज० में उनको मर्ज कर दिया जाय । कोई ३६ पैसेंजर टैक्स आफिसर्स मुकर्रर किये गये हैं । उनका कोई इस विभाग को लाभ नहीं है यह मेरी जानकारी है। उन लोगों को पैसा देने के अतिरिक्त कोई काम नहीं रह गया है। मान्यवर, इन्हें समाप्त किया जाय । आप इसके लिये ४–५ जोन्स बना दीजिये और उन पर कड़े से कड़ा नियंत्रण होना चाहिये । इसमें कोई दो राय नहीं है कि ए० आर० टी० ओ० की कोई चेकिंग नहीं है। ये ए०आर० टी० ओ० ट्रक वालों के मिली भगत बने हुये रहते हैं । कोई रूट ऐसा नहीं है जहां इनकी इस प्रकार की हरकत न हो । मान्यवर, मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और यदि नहीं है तो मैं उनको यह जानकारी दिलाना चाहता हूं । उनकी सी०आई०डी० के द्वारा जांच होनी चाहिये और जिस अधिकारी के खिलाफ विभाग को ऐसी जानकारी मिले उसके पीछे इस तरह से सी०आई० डी० लगा देनी चाहिये जिससे हरएक अधिकारी को यह अनुभव हो कि उसके पीछे सी० आई० डी० लगी हुई है । मान्यवर, तभी यह भ्रष्टाचार दूर हो सकता है

क्योंकि यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसलिये आपको यही कदम अख्तियार करना चाहिये । जब उसे यह अनुभव होगा कि उसके ऐसा करने पर जांच हो जायेगी तो शायद भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। शासन इस संबंध में कड़ा रास्ता अख्तियार करे।

मान्यवर, ए० टी०ओ० आफिसेज के अन्दर जो आर०आईज० होते हैं वे फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं । मान्यवर, ६० हजार रुपये की गाड़ी को तब तक वे फिटनेस नहीं देते हैं जब तक कि उनके घर जा कर उन्हें नमस्कार न किया जाय या उन्हें खुश न किया जाय । बिना फिटनेस के वह गाड़ी रूट पर नहीं चल सकती । किन्तु यदि कोई गाड़ी सड़ियल है और उसका बाजार मूल्य २ हजार रुपये है उसको फिटनेस दे दिया जाता है । तो उस ६० हजार रुपये की गाड़ी की समता इस २ हजार रुपये की गाड़ी के बराबर नहीं होती । मान्यवर, इस बुराई को दूर करने के लिये मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी उस पर विचार करें और यदि वे इस सुझाव को कार्यान्वित कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन आर० आईज० के बारे में दो राय नहीं है । हर गाड़ी से उनका बंधा रहता है । उनके बारे में उच्च अधिकारियों और माननीय मंत्री महोदय को भी जानकारी है कि वे ऐसा करते हैं । हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय और इसे समाप्त करने में हम अपनी आंखें न मूंदें । और यदि ऐसा किया जाता है तो हम इन अधिकारियों को दोष नहीं देंगे, हम किसी को दोष नहीं देंगे हम इस शासन को दोष देंगे जिनको यह पता है कि इसका निवारण कैसे किया जाय किन्तु वह निवारण करने की बात नहीं सोचता है।

मान्यवर, सरकार की तरफ से एप्रूव्ड गैरेजेज हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन ऐप्रूव्ड गैरेजेज के द्वारा इन वेहिकिल्स की रिकमेंडेशन मांगें और उस पर आर० आई० अपना फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करें । तब यह भ्रष्टाचार लगभग समाप्त किया जा सकता है । मान्यवर, इसका दूसरा पक्ष भी देख लिया जाय क्योंकि मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इन एप्रूव्ड गैरेजेज में भ्रष्टाचार आ जायेगा तो इस प्रकार आर० आई० द्वारा टैम्पोरेरी फिटनेस जारी करने पर एप्रूव्ड गैरेज को यह सूचित कर सकता है कि इस प्रकार अनियमितता बरती जा रही है अन्यथा उसे कैंसिल किया जाय । तो मान्यवर, यह सुझाव सुन्दर है।

मान्यवर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टेक्निकल आदमी होता है और उसका हेड क्वार्टर प्रदेश में लखनऊ में है तो उनसे पूछा जाय कि उन्होंने कभी प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग की है और उन्होंने कभी यह देखा है कि सड़कों पर किस प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है ? कभी नहीं मान्यवर ।

इन लोगों को शासन को मासिक रिपोर्ट देनी चाहिये कि अपने आफिस में कितने दिन बैठे और फलां फलां समय में हम फलां-फलां रूट पर गये और वहां ऐसी ऐसी अनियमिततायें हमने पायीं, उनको समाप्त करने का उपाय किया जाय । ताकि शासन उनको दूर करने के लिए कदम उठाये । लेकिन वे दफ्तर में बैठ कर ठंडी हवा ही खाते रहते हैं । इस यूनिट को आपने जिस परपज के लिये रखा है, वह उसको बिलकुल ही पूरा नहीं करता ।

माननीय मंत्री जी साहब हम सब में से ही हैं, वे समाजवादी हैं । उन्होंने अपना इस्तीफा देते समय कहा था कि वे हम में से ही एक हैं और उच्चवर्ग के लोगों में से नहीं हैं । समाज में जो कुछ हो रहा है वह उसको भली भांति जानते हैं । आर०टी०ओ० आफिस में जो इतना भ्रष्टाचार होता है, अगर सफेद पोश आदमियों को भेजकर, सी०आई०डी० को भेज कर मंत्री जी जांच करायें तो बहुत से लोगों को पकड़ा जा सकता है । वहां पैसा जमा कराने जाइये तो भी पैसा दीजिये । अचानक ऐसे लोगों को जाकर पकड़ा जाय और जगह

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

जगह पर लोगों को सस्पेंड किया जाय, मुकदमा चलाया जाय, सर्विसेज को टरमिनेट किया जाय, तब भ्रष्टाचार में कमी आयेगी । जब तक अच्छी तरह से आप इस कार्य को करने के लिये तैयार नहीं होंगे, तब तक केवल नारे लगाने से कुछ न हो पायेगा । और बजाय सुधार होने के भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ता जायगा ।

मान्यवर, सारे प्रदेश में ६ ट्रैफिक मजिस्ट्रेट हैं । जैसी मेरी जानकारी है उनके सामने ५० हजार मुकदमें पड़े हुये हैं । इन ५० हजार में से हजारों ऐसे हैं जिनको एनरोल ही नहीं किया गया है, रजिस्टर नहीं किया गया । उसके पैसे को बाहर बाहर ही खा लिया जायगा और सरकार को उसके बारे में मालूम भी न होगा । मैं समझता हूं कि इन मजिस्ट्रेटों की संख्या कम से कम ११ कर दी जाय । इसके अलावा डी०एम०को इस प्रकार की हिदायत की जाय कि वह कभी-कभी इन आफिसेज की जांच किया करे और देखे कि कितने केसेज रजिस्टर पर चढ़ाये हैं और कितने नहीं चढ़ाये और इतने अधिक पेंडिंग में पड़े रहने का कारण क्या है ?

अब मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिनके कारण बसेज खोखली हो गयी हैं । आंध्र प्रदेश में इस प्रकार का नियम है कि निश्चित रूप से किसी भी बस को ४ साल के बाद हटा दिया जायगा । आप भी ऐसा नियम बना दें तो यह जो धांधले-बाजी वर्कशाप में होती है, वह सब बन्द हो जाय । इससे भ्रष्टाचार स्वयं ही बन्द हो जायगा । और हर समय जो उन लोगों को पैसा खींचने की आदत पड़ी हुई है, वह समाप्त हो जायगी । इसके लिये यह बहुत जरूरी है कि चार साल के बाद बसेज या ट्रक को हटा दिया जाय क्योंकि इस समय तक वह बहुत खराब नहीं हो सकतीं । उसको ओपिन मार्केट में नीलाम कर दिया जाय । ऐसा करके तो आप देखिये, आप पायेंगे कि आपका प्राफिट कितना ज्यादा हो जाता है । इससे पहले कि मैं और बातों पर जाऊं जरा वह आंकड़े दे दूं जो पिछले दस साल से सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि हम कितने प्राफिट में चल रहे हैं । १९६१–६२ में २,१३,६०,४६० रुपये शुद्ध लाभ हुआ था, १९६७-६८ में २ करोड़ २६ लाख रुपये शुद्ध लाभ हुआ और १९६८-६९ में वह केवल १ करोड़ ७० लाख रुपये रह जाता है जबकि इस बीच में किराये में ड्योढ़ी वृद्धि कर दी गयी है । इसलिये यह आंकड़े हमें भ्रम में डालने के लिये हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है । इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकारी रोडवेज में लगायी गयी पूंजी और शुद्ध लाभ का जो परसेंटेज हमें दिखलाया गया है उसको भी जरा मैं बता दूं । १९६१–६२ में वह परसेंटेज २० प्रतिशत था जबकि १९६७-६८ में वह केवल १२ प्रतिशत रह गया, ८ यानी परसेंट घट गया । यह तो हमारी दशा है और यात्रियों का मैं पहले ही हाल बता चुका हूं कि एक-एक बस में ९०–९० यात्री भरे जाते हैं । इन आंकड़ों से इस कमर्शल यूनिट की स्थिति की जानकारी मिल रही है ।

अब मैं रोडवेज वर्कशाप की बात पर आता हूं । कानपुर में एक सेंट्रल वर्कशाप है जोकि हमारे पूरे प्रदेश को कवर करती है । उसका इंचार्ज चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होता है । इस वर्कशाप के द्वारा सारे रीजन्स के सभी डिपो नियंत्रित होते हैं और इसी के द्वारा उनको स्पेयर पार्ट्स उनकी डिमांड पर दिये जाते हैं । इसकी पिछली पोजीशन में जरा क्लियर कर दूं ताकि इस वर्कशाप की हालत से आपको जानकारी हो जाय । यह बात आज से लगभग बीस साल पहले की है । इस वर्कशाप के अन्दर २३ लाख रुपये के बेकार पुर्जे पड़े हुए हैं, जिन्होंने वहां पर बिना मतलब के स्थान घेरा हुआ है और सरकार ने उनके लिये आजतक कोई हल नहीं ढूंढा है । परिणाम यह हुआ है कि आज मार्केट के अन्दर उस माडल की कोई गाड़ी ही नहीं है जिससे प्राइवेट ओनर्स के हाथ उनको बेंचा जा सके । यह २३ का २३ लाख रुपया मिट्टी कर दिया गया है और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जिस उच्च अधिकारी को शासन ने उच्च स्थान पर बिठाया कि वह इस कमर्शल

यनिट को चार चांद लगा दे उसने उसमें चार मिट्टी के चांद लगा दिये यह अगर कहा जाय तो ज्यादा उचित होगा । एक समय था कि इन स्पेयर पार्ट्स को हम दूसरे प्रदेशों में बेंच सकते थे लेकिन न तो हमारे शासन ने और न इस विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया और आज वह २३ लाख रुपया बट्टे के रूप में डाल दिया गया है, जैसे बनिये का रुपया जो गांवों में बांटता है तो कुछ गांव वाले ले कर बैठ जाते हैं उसी तरह से ये अधिकारी उन गांव वालों की तरह से इस विभाग को मिले हुए हैं और उस पर किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है और न कोई दंडित किया जा रहा है । इससे दूसरे अधिकारियों पर बुरा असर पड़ता है जबकि उन पर भयंकर आक्षेप लगाये जा चुके हैं । उन पर दो राय नहीं हैं कि उन्होंने यह काम नहीं किया । अगर उनकी जांच नहीं की जायगी तो स्वयं ही इस कामर्शियल यूनिट को घाटे का सामना करना पड़ेगा और उदासीन अगर नहीं है सरकार तो और क्या किया जा सकता है ?

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि समाजवाद को बनाये रखना है । अगर इस ढंग से लिया जायगा जैसा कि लोग जान रहे हैं वास्तविकता से बहुत परे है तो जीवन दूभर हो जायगा और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि २३ लाख की हानि उठा ली गयी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई चार्ज-शीट नहीं लगायी गयी । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस बात की जांच करें कि विदेशों के अन्दर उस माडेल की गाड़ी कहां पर चल रही है । आज वह पार्ट्स २३ लाख या ४० लाख से कम नहीं होंगे, आजकल की प्राइसेज को देखते हुए । यदि उनमें स्पेयर पार्ट्स इस किस्म के हैं कि वह अन्य ट्रक्स में चल सकते हैं, बसेज में चल सकते हैं तो वहां की सरकार से इस संबंध में बातचीत करें कि कैसे वह डिस्पोज आफ किये जा सकते हैं । और अगर वह काम के नहीं रहे तो फिर उन गोदामों को खाली करा दिया जाय वरना उस सामान के साथ वह स्थान भी सड़ रहे हैं--सामान तो सड़ ही चुका है ।

मान्यवर, हमारे इस रोडवेज विभाग के अन्दर लगभग ५०० नयी ट्रक्स हैं । उनका क्या काम है, उसकी जानकारी देता हूं । उनसे इस रोडवेज का अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, तेल पानी भी नहीं पूरा हो रहा है, ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही हैं । इतने ट्रक्स की भरमार है और काम बहुत लिमिटेड है । उच्च अधिकारियों से जांच करायी जाय कि कितने ट्रक्स की आवश्यकता है और उतने ही रखे जायं । जहां तक मेरी जानकारी है वह इन कामों में प्रयोग की गयीं ।

कानपुर सेंट्रल वर्कशाप से स्टोर्स इत्यादि लाने तथा ले जाने में, रीजनल वर्कशाप से डिपो वर्कशाप तक स्टोर्स लाने ले जाने में, दुर्घटना या ब्रेक डाउन के समय रास्ते में खराब बसों को ले आने में, बैंक से रुपया लाने और ले जाने में, मेला इत्यादि में सामान ढोने में, गाड़ियों की मरम्मत करने के बाद रोड टेस्ट में, रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय से फिटनेस करवाने में, लेखन सामग्री, इलाहाबाद से लाने तथा उसे डिपो में भेजने में । मेरी जानकारी है कि एक ही स्थान पर एक-एक हफ्ते पड़ी रहती हैं, सड़ती रहती ही हैं जबकि ५०० ट्रक्स उनके पास हैं । तो हमें कुछ आर्थिक दृष्टि से भी विचार करना है । यहां पर तो 'अन्धेरनगरी चौपट राजा' वाली कहावत ठीक बैठती है । माननीय मंत्री महोदय नये नये कार्यभार संभाले हैं, उस पर विचार-विमर्श करें और अधिक से अधिक कार्य करने को प्रयत्नशील हों तो कोई कारण नहीं है कि आर्थिक पहलू से हम उस में गति न पैदा कर सकें । मान्यवर, कानपुर वर्कशाप के बारे में मैं अपने विचार रखता हूं । डिपोज में से हर डिपो के अन्दर एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर की रैंक का एक सर्विस मैनेजर होता है । मान्यवर, वह वर्कशाप उसकी देखरेख में काम करता है । जो सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में है उनको इतनी शार्ट सूचना दी जाती है कि फलां-फलां पार्ट की आवश्यकता है जिससे कि वह सप्लाई न कर सकें । मान्यवर, इसके पीछे कारण छुपे हुए हैं ।

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

देर में इसलिये लिख कर भेजते हैं जिस से नो अबेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाय और फिर वह अपने मनमाने ढंग से उन फार्मों से जो घटिया सामान भेज सकें, मंगाते हैं। मान्यवर, इन सर्विस मैनेजर्स को आदेश होने चाहिये कि जिन-जिन स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता हो ठीक एक महीना पूर्व या १५ दिन पूर्व सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर को लिखित रूप से भेज दिया करें। इससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार बहुत अधिक मात्रा में स्पेयर पार्ट्स खरीदती है। जिस कम्पनी से स्पेयर पार्ट्स लिये जाते हैं वह कम्पनी स्वतः मार्केट से अरेंज करके सप्लाई करती है। तो अगर डाइरेक्ट परचेज किया जाय, इससे यह होगा कि जो बीच का गोलमाल होता है वह नहीं होगा।

मान्यवर, सर्विस मैनजर को १०,००० रुपये का डाइरेक्ट सामान खरीदने की सुविधा होती है। अगर जांच कराई जाय तो कोई भी सामान जेनुइन नहीं मिलेगा जो इस तरह से खरीद कर आता है। १,००० रुपये रसीद में दिखा दिये जाते हैं और जो पुर्जा लगाया जाता है वह होता है केवल ५० रुपये का। इससे हम क्या आशा कर सकते हैं कि वह बस ठीक से सर्विस देगी। इसके अलावा सर्विस मैनेजर कुछ व्यक्तियों द्वारा कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप से सामान मंगाते हैं। वह कानपुर जाकर एक-एक हफ्ता पड़े रहते हैं और डी० ए० बनाते हैं और अन्त में जो सामान ले कर चलते हैं उसका रास्ते में ही रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसकी एक एक्जाम्पुल मैं दे दूं। हमीरपुर के अन्दर एक फोरमैन हैं। उन हजरत ने क्या किया कि वहां से जो सीलबन्द इंजिन भेजवाया उसको रास्ते में बदल दिया। जो सीलबन्द इंजन था वह किसी ट्रक में लगा दिया गया और उसका सड़ा हुआ इंजन हमीरपुर पहुंच गया। स्टोरकीपर द्वारा जांच पत्र देने पर भी आजतक उसकी जांच नहीं हो सकी। वह फोरमैन पहले इस विभाग में कंडक्टर थे और उन्होंने इतना करप्शन किया था कि उनकी सर्विस समाप्त कर दी गई थी। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति से यह भी आशा नहीं करनी चाहिये कि उसने कहीं सही ढंग से डिप्लोमा लिया होगा। वह आज ६ साल से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। बरसात में वह स्थान एक टापू की तरह से बन जाता है और झांसी की तरफ से गाड़ियां जाती हैं। वहां इतना गोलमाल होता है कि शायद ही और कहीं होता होगा। इसके लिये मंत्री जी को विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिये। हमारा कर्तव्य है सुझाव देना।

मान्यवर, बसेज चलती हैं रास्ते में खराब हो जाती हैं। ड्राइवर को इतनी पावर नहीं है कि वह २०, २५ रुपया खर्च कर सके और जो पुर्जा खराब हो गया है उसको बदल कर दूसरा लगा सके। अगर बस खराब हो गई तो पूरी बस के मुसाफिर वहीं पड़े रहते हैं, कोई दूसरी बस उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। नतीजा क्या होता है कि वह दूसरी ट्रकों पर, तांगे, रिक्शा के द्वारा जाते हैं जिसके लिये उनको बहुत खर्च करना पड़ता है। तीन दिन पड़े रहने के बाद उसको खींच कर ले जाकर डिपो में डाल देते हैं। इस प्रकार की अनियमिततायें चल रही हैं। उसके लिये २५ या ५० रुपये की सीमा निर्धारित कर दी जाय जिससे वह कहीं नजदीक से सामान लाकर लगा सकें और उसको चला कर ले जायं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि हर व्यक्ति अविश्वसनीय होता है। वैसे इस प्रकार की मसल बन गई है कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है और यहां तो मोर दैन २५ परसेन्ट लोग करप्ट हैं। मान्यवर, अगर सरकार उन लोगों पर भी विश्वास नहीं करती जो विश्वसनीय हैं और जिनके ऊपर विश्वास करने से यात्रियों को जो असुविधायें हैं वह दूर हो सकती हैं तो इससे जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है। यात्रियों को जो असुविधायें हैं उनसे बचाने का प्रयास करना चाहिये।

मान्यवर, मुझे एक बात फिर से जोड़नी पड़ेगी। मान्यवर, आर० टी० ओ० के आफिस के अन्दर ए रीजन होता है। बरेली रीजन हेडक्वार्टर है आर० टी० ओ० का। वहां बिजनौर

का एक व्यक्ति आता है और यह जरूरी नहीं है कि उसका जिस दिन वह आये काम हो जाय क्योंकि वहां बहुत भीड़ रहती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस प्रकार के सभी आफिसेज इनफोर्समेंट के आफिसेज के साथ आर० टी० ओ० के आफिसेज अटैच कर दिये जायं तो जनता को टैक्स जमा करने में, लाइसेंस फीस जमा करने में और परमिट वगैरह के मामले में जो फीस जमा करानी होती है उसमें राहत मिलेगी। समाजवाद के अन्दर सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता को राहत मिले। समाजवाद का नारा अवश्य देते हैं लेकिन काम नहीं करते। लाइसेंस फीस के मामले में एक रूपता होनी चाहिये। जो १०० रुपया खर्च कर दे उसको अवश्यम्भावी है कि लाइसेंस मिल जायगा और मौके पर टेस्ट के उसके लिये जरूरी नहीं है। मान्यवर, यह मैंने स्वतः देखा है और दूसरे के बताये के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति वहां जाकर पैसा खर्च कर सकता है उसको वगैर वास्तविकता की जांच के काम हो जाता है। मान्यवर, महाराष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था है कि आर० टी० ओ० आफिस के पास ही एक मैदान छोड़ दिया गया है जो ऊंचा नीचा है और ड्राइवर का उसमें टैस्ट होता है और टैस्ट में सफल होने पर उसको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन श्रीमन् यहां तो टेस्ट की बात ही नहीं है। जो ऐक्सीडेन्ट बढ़ रहे हैं उनका एक मुख्य कारण यह भी है कि जो लोग जानकारी नहीं रखते उनको लाइसेंस मिल जाता है। जो सही व्यक्ति हों उन्हीं को लाइसेंस मिलना चाहिये। मान्यवर, एक चीज मैं बीच में ही कह देना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा पेपर एडजस्टमेंट में गड़बड़ हो गया है इसके लिये मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनको यह जानकारी होनी चाहिये कि यू० पी० से पंजाब या हरियाना जाने वाली बसों से वहां की सरकारें साढ़े सात सौ रुपया लेती हैं। यहां से जो बस अमृतसर जाती है उससे हरियाना और पंजाब की सरकारें तीन, तीन महीने का टैक्स लेती हैं यानी साढ़े सात सौ हर एक लेती हैं जिसके माने १,५०० रु० टैक्स देना होता है। मान्यवर इतना टैक्स दें और फिर कुछ ओनर किराया लेगा तो इस तरह से एक बस का खर्चा दो या ढाई हजार रुपया होगा। जिसका परिणाम यह है कि जनता परेशान होती है। इसके विपरीत हमारी प्रदेशीय सरकार दूसरे प्रदेश की बसों से केवल एक सप्ताह का रोड टैक्स लेती है। यह बिलकुल उचित है लेकिन वह हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिये स्टेट लेवेल पर बात होनी चाहिये और या तो यहां भी उनके लिये साढ़े सात सौ रुपया कर दें या उनसे कहें कि वह भी यहां की बसों से केवल एक सप्ताह का ही रोड टैक्स लें। जब तक शासन इन सभी बातों की ओर जागरूक नहीं होगी जनता को सुविधा नहीं मिल सकती है। इसके लिये मंत्री जी को चाहिये कि पंजाब हरियाना की सरकारों को चिट्ठी लिखें। यू० पी० से कोई बस अमृतसर जायगी तो वह चौथे या पाचवें दिन लौट आवेगी।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस तरह की बातों को देखने के लिये एक उच्चस्तरीय व्यक्ति रखें तो अधिक लाभ होगा। मान्यवर, आगरा रीजन के अन्दर प्राइवेट कांट्रैक्ट कैरिजेज के २२ एलाटमेन्ट कर दिया जब कि दूसरे रीजन के अन्दर इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। क्यों किया गया यह मैं नहीं कहता तो इसको तो माननीय मंत्री जी मालूम करें लेकिन मैं इतना कहता हूं कि सभी रीजन को इतने ही एलाटमेन्ट होने चाहिये थे। प्रदेश की जनता को एक सी सुविधा मिलनी चाहिये चाहे वह जिस रीजन में हो। अगर इस एलाटमेन्ट कमेटी के चेयरमैन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को बना दिया जाय और वह हफ्ते में एक बार भी विजिट कर लेंगे तो इस तरह की अनियमिततायें नहीं होंगी। इस पर विचार विनिमय किया जा सकता है और सोचा जा सकता है। इस संबंध में सुझाव भी लिये जा सकते हैं। मान्यवर, कांट्रक्ट कैरिजज पर ड्योढ़ा टक्स लगता है। जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिये और उसमें एक रूपता होनी चाहिये।

मान्यवर, जब मैं इस विभाग के कुछ अधिकारियों को भी लपेट में लूंगा जिसकी कि सूचना रूप में माननीय मुख्य मंत्री के सामने रिपोर्ट की गई लेकिन मुख्य मंत्री जी जो नीट ऐन्ड क्लीन

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े भारी समर्थक बनते हैं वह भी उसका समाधान नहीं कर पाये। मान्यवर, एक अधिकारी हैं आर० पी० अवस्थी, ए० जी० एम०, कानपुर। वह सिटी बस सरविस के ए० जी० एम० हैं। मान्यवर, इनका ट्रांसफर ५ बार किया गया लेकिन पांचों बार रोका गया। कानपुर में ही इनका स्थानान्तरण सेन्ट्रल वर्कशाप में किया गया लेकिन वहां भी यह नहीं गये। वहां इनको बेगार, सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग, सरकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का अवसर न मिलता। मान्यवर, श्री धर्म सिंह जो माननीय मंत्री जी जिनके पास पहले यह विभाग था उन्होंने स्वच्छ प्रशासन को लाने के लिये इन महोदय का ट्रांसफर कर डाला और आर्डर भी इश्यू हो गया। इनका ट्रांसफर टनकपुर डिपो में हुआ। परन्तु इन्होंने २ महीने तक वहां का चार्ज नहीं लिया और कानपुर में ही पड़े रहे। यह वहां पर उस समय तक रहे जब तक कि इनका ट्रांसफर फिर से सिटी बस में नहीं हुआ जो इन्होंने जोर डलवा कर करवा लिया। इनके द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वे सभी अनियमित ढंग से होती हैं। हमारे यहां यह कायदा है कि जितनी भी नियुक्तियां की जायेंगी वे सभी इम्प्लायमेंट इक्सचेन्ज के द्वारा होंगी। वहीं से लेटर इश्यू होगा और फिर वे आफिस में आयेंगे और तब उनकी नियुक्ति की जायेगी। रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने अपना करवा लिया है लेकिन उनके नाम कोई लेटर नहीं इश्यू हुआ और डाइरेक्ट ही उनकी नियुक्तियां कर दी गईं। उनका यह रवइया बन गया है कि दबदबा रखें, रोब रखें और गाली गलौज करें। यहां तक कि जब कोई कर्मचारी इनके आफिस में जाता है कोई बात करने के लिये या अपनी कोई डिमान्ड रखने के लिये तो यह महोदय उसको गाली देते हैं फिर चपरासी से उसको बाहर निकलवा देते हैं धक्के देकर इनका ६ बार ट्रांसफर हो चुका है परन्तु हर बार इनका ट्रांसफर कैन्सिल हो जाता है। एक भगवानदीन कुरील कन्डक्टर है वह अपना केस लेकर इनके आफिस में गया। उसके साथ जो व्यवहार किया गया तो कहा नहीं जा सकता है। ऐसे-ऐसे बुरे शब्द कहे गये और फिर उसको धक्का देकर बाहर निकलवा दिया गया। उससे कहा गया कि चमार की औलाद का क्या काम था यहां पर आने का। उसको नोटिस दी और रोडवेज की सर्विस से निकलवा दिया। इसी प्रकार से कृपालसिंह भी कन्डक्टर था उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया गया। एक बार ६ सदस्यों का एक परिवार बस से यात्रा कर रहा था। उसमें से जो सबसे बड़ा सदस्य था उसके हाथ में सभी ६ टिकट दे दिये गये। जब टिकट मांगे गये तो उसने कहा कि सभी ६ टिकट एक ही आदमी को क्यों दे दिये और हर एक आदमी के पास क्यों टिकट नहीं हैं। फिर यह कहा कि अलग-अलग टिकट हर आदमी के पास होने चाहिये। जैसे भेड़ के बच्चे की कहावत है कि भेड़िये ने उससे कहा था कि अगर तूने नहीं तो तेरे बाप ने यहां का पानी पिया होगा। आज उनकी वही हालत है। उससे यह भी कहा गया कि मैं तेरी मूछें नोच लूंगा। उनके खिलाफ ३६ शिकायतों का पत्र परिवहन मन्त्री जी के पास भेजा गया और उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री को भी भेजी गई है।

मान्यवर, के० के० कुडेसिया, जनरल मैनेजर जो पहले कानपुर में थे पर अब शायद रिटायर हो गये हैं। उन्होंने भी १३६ आदमियों की छटनी कर दी और यह केवल आतंक क्रियेट करने के लिये था। अगर शासन इसकी जानकारी करे तो मालूम होगा कि उसमें से अधिकांश जो व्यक्ति हटाये गये वह केवल धांधलेबाजी में हटाये गये जिससे उनका आतंक बना रहे। अब धीरे धीरे वहां पर व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है। मान्यवर, इसी प्रकार से श्री बी० सी० माथुर के द्वारा भी २०० कन्डक्टरों की डाइरेक्ट भर्ती की गई मान्यवर, इन्होंने वही सब अनियमितायें बरती जो श्री अवस्थी ने बरती थीं। एम्प्लायमेंन्ट एक्सचेन्ज के द्वारा सही ढंग से नाम न मंगाना वगैरह-वगैरह। मान्यवर, विभाग की तरफ से इस बात की व्यवस्था है कि जो भी कोई नया एपाइन्टमेन्ट हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिये पहले टस्ट होगा, इन्टरव्यू होगा। तब स्थान दिया जायगा। इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ। जिस पर प्रसन्न हुये उसको स्थान दे दिया। मान्यवर, वर्कशाप, फजलगंज कानपुर में जो लोग काम करते हैं वह खुले में काम करते

हैं, कोई शैड नहीं है। गर्मी, बरसात, सर्दी कुछ भी हो। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। इन्हीं सब कारणों से हमारी कार्यक्षमता घट रही है। वहां पर कर्मचारियों के लिये एक रैस्ट रूम था। अधिकारियों ने उसे स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट को दे दिया और स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट के कमरे में सीमेंट भर दिया। अब कर्मचारी चाहे रेस्टोरेन्ट में बैठे, वहां जाकर अपना हिसाब करें, थोड़ा सा जो कैश होता है उसे वहां ले जायं, वह चोरी हो जाय, कुछ भी हो जाय। यह अनियमिततायें हो रही हैं लेकिन शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं, सदन को मेरी बात से स्पष्ट हो रहा है और अधिकारी लोग जो बैठे हैं वह भी समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। मान्यवर, वह बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बतायी थी, वह करन सिंह फोरमैन थे, महोबा, हमीरपुर में, जिन्होंने सील बन्द पूरे का पूरा इन्जन रिप्लेस करा दिया।

मान्यवर, सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के बारे में कहना चाहता हूं। बस की बाडीज को कंट्रैक्ट बेसिस पर बनवाया जाता है और जो बस की बाडीज वहां बनती है उसे हतोत्साहित किया जाता है। इसका प्रमाण देता हूं। एक दिन था जब वहां पर रोज ढाई चैसिस पर बाडी बनती थी और आज केवल डेढ़ का एवरेज रह गया है। इसके पीछे कारण यह है कि प्राइवेट कंट्रैक्टर के द्वारा जो बाडी बनती है वहां से बंधा हुआ प्रतिशत मिलता है। वह समाप्त हो जायगा अगर यहां पर बने। यहां पर गोलमाल का अवसर कम मिलेगा। इसका नतीजा यह है कि गवर्नमेंट की जो बसें सड़क पर आती हैं, दूसरे साल वह डिब्बे की तरह से बोलने लगती हैं जबकि प्राइवेट बस चार-चार, पांच-पांच साल तक ठीक ढंग से कार्य करती है। यहां पर पैसे का जितना दुरुपयोग हो रहा है शायद ही किसी और सेक्टर में हो रहा होगा।

मान्यवर, बसों के एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके लिये दोषी ड्राइवर को ही ठहराया जाता है। मुकदमा वही लड़े, न्यायालय में वही जाय। दूसरे पक्ष का दोष होगा तो भी वह ड्राइवर पर ही मढ़ा जायगा। बस एक्सीडेन्ट होकर पड़ी है तो सात-सात दिन तक वहीं पड़ी सड़ती रहती है। अगर ड्राइवर निर्दोष ठहराया जाता है तो भी सरकार की तरफ से कोई एवार्ड नहीं दिया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, बस की सरविसिंग के लिये इस प्रकार के रूल्स रैग्युलैशंस हैं कि हर १० हजार किलोमीटर के बाद निश्चित रूप से सरविसिंग हो जानी चाहिये लेकिन ५०–५० हजार किलोमीटर और एक-एक लाख किलोमीटर चलने पर भी सरविसिंग नहीं होती। उसके बाद जो परिणाम होता है वह हमारे सामने आ रहा है। बसेज बेकार हो जाती हैं। यदि वह ४, ५ वर्ष काम कर सकती हैं तो केवल १, २ वर्ष ही काम करती हैं। इसके लिये अधिकारियों को विशेषरूप से ध्यान देना चाहिये। उनको बस स्टेशन को देखना चाहिये मगर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ-साथ हमारे माननीय सदस्यों ने अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि अधिकतर बसेज स्टार्ट हुई खड़ी रहती हैं। यह इसलिये कि उन में सेल्फ स्टार्टर नहीं हैं। इन सब कारणों से जहां तक एवरेज का प्रश्न है २० किलोमीटर एवरेज होना चाहिये वहां पर ५ किलोमीटर का एवरेज बसेज देती हैं। कितना बड़ा घाटा हमारे इस कमर्शियल विभाग को हो रहा है। मगर इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस अगर चलती हो तो उनको चलने दिया जाता है। इस तरह से ५ किलो मीटर का एवरेज है। मान्यवर, जनरल मनेजर की भी यही हालत है। वह भी इस तरह का कार्य करते हैं कि जो उचित नहीं कहा जा सकता। उनके पास अपनी कार रहती है लेकिन वह उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो विभाग की कारें हैं उनको वह अपने मित्रों को देकर ओबलाइज करते रहते हैं। कभी मन्त्री महोदय के रिलेटिव को देकर ओबलाइज करते हैं। कभी अपने आप भी दूर तक रूट पर निकल जाते हैं। सुलतानपुर जाना है तो ८० मील तक सुलतानपुर तक स्वयं जनरल महोदय निकल गये और दिखा दिया कि रूट पर यह चली। दूसरी तरफ उन्होंने अलाउन्स मार दिया। यह स्थिति हमारे जनरल मैनेजर

[श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा]

की है जो आज वहां पर ऐसा फायदा उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देने की कृपा करें। मैं यह नहीं कहता कि वे जागरूक नहीं हैं लेकिन इसके लिये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, कर्मचारियों के लिये कमर्शियल अलग ही यूनिट मानी जाती है यानी यह कमर्शियल यूनिट एक अलग ही बाडी मानी जाती है। जैसे राजकीय चुर्क सीमेंट फैक्टरी है। इसी प्रकार से और भी बाडी हैं। जिनके द्वारा एक्सग्रेशिया बोनस दिया जाता है लेकिन इस यूनिट के अन्दर इस प्रकार के नाम की कोई चिड़िया नहीं है। एक्स-एग्रेशिया नाम की कोई चीज नहीं है। इस रोडवेज ने इस एक्सग्रेशिया नाम को भी नहीं सुना होगा। सरकार के इस २३ वर्ष के रोडवेज विभाग में इसका सबसे बड़ा अभाव है कि इसने मैनुअल कोई नहीं बनाया जिसके नियंत्रण होता है हर कार्य। कर्मचारी उसके द्वारा चेलेन्ज कर सकते हैं। लेकिन इस विभाग में इसको कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। मैनुअल बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अभी मन्त्री जी कह रहे थे कि सरकार इस प्रकार का विचार कर रही है। सरकार तो बहुत वर्षों से इस पर विचार कर रही है लेकिन आप उसकी जल्दी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से कह कर जनता को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।

कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिये विभाग की कार्यवाही बड़ी दोषपूर्ण है। इसके लिये परमानेन्ट कंसीलियेशन बोर्ड होना चाहिये। एक स्थानीय समाधान समिति होनी चाहिये। जितने भी विवाद अधूरे पड़े हैं उन सबका निस्तारण उसके द्वारा होने चाहिये। आज क्या होता है। जब विवाद पर निर्णय होता है तो यदि वह निर्णय स्वीकार हो गया तो यह सरकार उसको मानने के लिये बाध्य नहीं होती है। जब वह निर्णय विरुद्ध होते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट विभाग के कर्मचारियों के लिये लागू होना चाहिये। ये झगड़े इंडस्ट्रीज के रूप में है तो उसको यहां लागू होना चाहिये उस सेन्ट्रल वर्कशाप में चादरें बनती है और उद्योग और उनको उपयोग की बात भी मैं बता दूं कि वह चादरें और ज्यादा चलती हैं लेकिन उनको प्रोत्साहन न देकर वह प्राइवेट फर्म्स से खरीदी जाती हैं और उसका कारण वही है जो मैंने पहले बताया कि हर चीज पर उनका परसेंट बंधा हुआ है।

इस विभाग के कर्मचारियों के साथ आज हर प्रकार का बड़े से बड़ा अन्याय हो रहा है। वह बहुत थोड़े-थोड़े वेतन के कर्मचारी हैं, यह सब अनुभव करते हैं कि इन लोगों का कार्य कितना कठिन होता है। जो लोग इन बसों में सफर करते हैं बरसात, गर्मी या सर्दी के जमाने में और जब सफर खत्म करके उतरते हैं तो कहते हैं कि भगवान बचाये ऐसे सफर से, इस तरह की तकलीफ वह एक दिन नहीं रोज उठाते हैं और दिन-रात वहीं काम करते हैं, उनको अगर विशेष सुविधायें नहीं दी जायंगी, आवास की व्यवस्था उनके लिये समुचित न होगी, सारे श्रम के बाद घर पर पहुंच कर ठीक से आराम की व्यवस्था यदि उनके लिये न होगी तो वह न ठीक तरह से रह सकेंगे और न कार्य ही कर सकेंगे। आज बेरोजगारी है और वह भुखमरी से बचने के लिये किसी तरह से मेहनत करते हैं। मंत्री जी ने बताया कि उनके लिये कुछ आवास की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन वह नगण्य मात्र ही है। यह भी अन्य यूनिट के साथ एक कार्मशियल यूनिट है, और मैं दावे के साथ कहूंगा कि यदि इस विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सन्तुष्ट रखा जाय और उनकी सेवायें ठीक से ली जायं तो कोई कारण नहीं है कि प्रदेश के अन्य किसी यूनिट से कम लाभ यह यूनिट दिखावे। इस विभाग में कार्यशीलता लाने के लिये, इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उन को उचित आवश्यक सुविधायें प्राप्त कराना बहुत ही अनिवार्य है।

दूसरी फर्म्स में इंडस्ट्रियल ग्रेचुटीज, तरह-तरह के कम्पेनसेशन पीड़ितों को पेंशन और उदारता पेंशन दी जाती हैं लेकिन इस अभागे विभाग में गरीब कर्मचारियों के लिये ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्हें इन चीजों से कोसों दूर रखा गया है कि कहीं वह ऐसी मांग न करें। यदि

विभाग उनसे काम लेता है तो उनको ऐसी सुविधायें दी जायं। अगर विभाग उनको यह सुविधामें दे तो कोई कारण नहीं है कि कई प्रतिशत लाभ न बढ़ जाय। क्या कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग अधिक लाभ कमाते हैं? वह लोग अपने ड्राइवर व कन्डक्टर को अधिक सन्तुष्ट रखत हैं। अगर कोई आज ढंग से खाये पीये तो २–३ रुपये का तो गर्मी में ठंडा पानी और शर्बत ही पी जाता है लेकिन इन गरीबों को इतना वेतन ही कहां मिलता है। जहां तक प्राइवेट ड्राइवर्स की बात है उन को तो मालिकों से तमाम तरह की सुविधायें मिलती हैं और वह ज्यादा आय करने में सहायक होते हैं। लेकिन इस तरह की सुविधायें यदि इस विभाग के कर्मचारियों को नहीं दी गई तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसमें भ्रष्टाचार अधिक होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधायें नहीं दी जातीं जिससे कि वह अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को भी कायम रख सकें और उसे ऊपर उठा सकें। मैं नहीं कहता कि वह सभी भ्रष्टाचारी ह या ऊपर वाल नहीं हैं, बहुत थोड़ा वर्ग है जिसकी कि ऊपरी आय है वह मजा कर रहा है लेकिन गरीब छोटे कर्मचारियों को कोई राहत नहीं है। जब तक कोई रचनात्मक और कांस्ट्रक्टिव कदम इस दिशा में नहीं उठाया जायगा तब तक कार्य क्षमता और आय में वृद्धि नहीं हो सकती और न यह लोक सन्तुष्ट ही रह सकते हैं। रेलवे कर्मचारियों और अफसरों को फ्री पासेज दिये जाते हैं। क्या कारण है कि आप अपने विभाग में यह सुविधा उनको नहीं देते इसके न देने का विपरीत परिणाम यह निकलता है कि अवसर कर्मचारी फ्री घूमते हुये दिखाई देते हैं और कभी-कभी पकड़े भी जाते हैं और दंडित भी होते होंगे। मैं चाहता हूं कि उनको भी पासेज की सुविधा दी जाय। अगर रेलवे का एक यूनिट उन को यह सुविधा दे रहा है तो वह उन्हीं के खून पसीने की कमाई से दे रहा ह और विभाग की आय को वह बढ़ा रहे हैं। इसलिये इस विभाग के लोगों को भी इस अधिकार से वंचित न रखा जाय और उनको फ्री पासेज दिये जायं।

इसके अलावा ड्राइवर्स और कन्डक्टरों को कोई ओवरटाइम व नाइट अलाउन्स नहीं दिया जाता है। और उसके स्थान पर उसे वही उसका माइलज, जितना माइलेज वह तय करता है उसके वेतन के साथ एडजस्टमेन्ट करके दिया जाता है। इस प्रकार स यदि रात को वह जंगल मे रहता है तो उसे नाइट अलाउन्स दिया जाना चाहिये तथा और भी सुविधायें देनी चाहिये। सैक्योरिटी की बात आई। आज क्या कारण है कि सभी वर्कशापों से दिन दहाड़े १४–१४ बैटरियां लद कर चली जाती ह····

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं दस मिनट लूंगा। सैक्योरिटी के साधन यदि मजबूत कर दिये जायं तो कोई कारण नहीं कि जो जगह-जगह पर चोरी हो जाती है इसमें रुकावट लाई जा सके। सक्योरिटी यूनिट्स अलग स बनाना चाहिये और उसको जी० एम्स और ए० जी० एम्स से दूर रक्खा जाय। इनकी हवा भी उनको न गलने दी जायं नहीं तो य सेक्योरिटी वाले उनके बंगलों की चौकीदारी और हवलदारी ही करेंगे। इनका अलग संगठन बनाया जाना चाहिये। पूरे प्रदेश में डिपोज पर उनकी व्यवस्था व सुरक्षा होनी चाहिये। १४–१४ बैटरियां दिन के समय ट्रकों के अन्दर लदाकर चली जाती हैं। ये तो वह बातें हैं जो खुल कर हमारे सामने आ जाती हैं। उसके अतिरिक्त न जाने कितने केसेज होते रहते हैं।

मान्यवर, चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, कन्डक्टर आदि की जो यूनीफार्म होती हैं वहां ऋतु के अनुसार मिलनी चाहिये। मैं बताऊंगा कि उन लोगों को उनकी सिलाई के लिय कितने पैसे दिये जाते हैं। ए० टी० सी० को कुछ, कन्डक्टर को कुछ और ड्राइवर को कुछ—यह उसी प्रकार की बातें हैं जैसे एक हमार माननीय सदस्य कह रहे थे····

श्री उपाध्यक्ष—

आप फिर बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं समाप्त कर रहा हूं। एक पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को घोड़े के लिये १२५ रुपये एक्स्ट्रा की व्यवस्था है और एस० ओ० के लिये पचास रुपये की। जैसे घोड़े की घास में भी अन्तर है उसी प्रकार से सिलाई में भी अन्तर है। इसलिये ऋतु के अनुसार इनको वर्दी मिलनी चाहिये। रोडवेज के अन्तर्गत एक वर्ष की सेवा होने के पश्चात स्थायी होने की व्यवस्था होनी चाहिये। रोडवेज के अन्तर्गत दस-दस साल से १५ हजार के करीब टेम्पोरेरी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। एक वर्ष के पश्चात् उनके स्थायी करने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह तो कामर्शियल यूनिट है जिसमें दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ता है। उसमें हमें छंटनी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक कि हम जान-बूझ कर उसमें छंटनी न करें। दैनिक वेतन भोगी जितने कर्मचारी हैं उनको भी छः माह कार्य करने के पश्चात् रेगुलर घोषित करना चाहिये। इन सब बातों पर भी माननीय मंत्री जी ने अपने विचार रक्खे थे कि हम विचार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप इसमें प्लानिंग एन्ड डेवलपमेंट सेक्शन का निर्माण करें। उसके द्वारा पूरे प्रदेश में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, कहां पर किस चीज का अभाव है इस प्रकार का संगठन बना कर पूर्ण निर्णय लिये जायं। सरकार को अपने अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश देने चाहिये कि अगर साप्ताहिक न हो सके तो १५-१५ दिन में अपने विभाग के बारे में चाहे जहां भी वे भी कार्य कर रहे हों, डिपो में काम कर रहे हों, या आर० टी० ओ० में काम कर रहे हों, वहां की पूरी जानकारी सरकार को दें, इस तरह से जो पेंडिंग काम पड़े हुए होंगे वे स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे और आगे काम सुचारू रूप से होने लगेगा। यदि कोई अधिकारी इसके अनुसार कार्यवाही न करे तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये।

सिक्योरिटी के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बतलाया है, इस पर विशेष रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इस विभाग में सबसे अधिक चोरियां होती हैं। यहां की एक बस पूरी की पूरी वर्कशाप से उठ गयी और जाकर इन्दौर में पकड़ी गयी। यदि वर्कशाप के अन्दर इस तरह की चोरियां हों और उनकी गतिविधियों पर पुलिस नियंत्रण नहीं करती तो हमारी जो रोडवेज यूनिट्स हैं उनसे भविष्य में घाटे की ही आशा कर सकते हैं, वृद्धि की नहीं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सौभाग्यवश यह इस प्रकार का कामर्शियल यूनिट है उसमें आप जितना भी इनकम करना चाहें, इनकम बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जनता को सुविधायें भी प्रदान कर सकते हैं।

अन्त में एक बात मैं पहाड़ी क्षेत्र के लिये कहना चाहता हूं। पहाड़ों के लिये विशेष रूप से सरकार को इस बात का निदेश होना चाहिये कि चाहें प्राइवेट बसें हो, चाहें गवर्नमेंट बसें हों, तीन साल के बाद चौथे साल नयी बसें चलें। इसका कारण यह है कि किसी समय मशीनरी गड़बड़ होने के कारण, कल पुर्जे डिफेक्टिव होने के कारण एक्सिडेंट हो सकता है। अभी मेरे एक मित्र ने बतलाया कि बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग में गेट व्यवस्था होने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, चमोली, जोशीमठ में चार गेट हैं, जिनके समय पर न खुलने से यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। प्राइवेट बसों के लिये तो चारों गेट खुल जाते हैं लेकिन सरकारी बसों के लिये केवल दो गेट ही खुलते हैं। इसलिये सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिय कि चारों गेट खुले रहने चाहिये।

इसके अतिरिक्त जितने भी नये रूट खोले जायं—मेरे क्षेत्र की बात है कि वहां के लिये आर्डर हो चुका है कि उस रूट पर बसें डाल दी जायं। मैंने अपने यहां के जनरल मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि बसें ही नहीं हैं, और आपको वहां के लिये क्या करना है, आप अपने क्षेत्र की बात करें। मैंने कहा कि इन्चार्ज साहब आप बिलकुल सही बात कह रहे हैं। जब तक नये

रूट्स के आदेश नहीं होते है तब तक प्राइवेट बसें किस स्थान पर चलाई जायेंगी। उसकी कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्थानों पर बसें न होने से लोग घंटों खड़े रहते हैं और उसके बाद बस पाने में सफल होते हैं। टैक्सी पर चढ़ने का कोई आदी नहीं है लेकिन मजबूरी की हालत में ही उनको टैक्सी के लिये ढाई गुना, तिगुना किराया देना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास कुछ माननीय सदस्यों ने अंग्रेजी में लिख कर भेजा है, यह बिलकुल गलत है और अप्रासंगिक भी। इस सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। इसलिये अब आइन्दा नहीं होनी चाहिये। इस पर गम्भीर दृष्टि से विचार करना होगा अगर इस तरह से कोई अंग्रेजी में उनके पास पत्र भेजेगा। श्री चन्द्रभान शर्मा ने अंग्रेजी में लिख कर भेजा है इसलिये उनको मैं चेतावनी देता हूं कि आइन्दा वे अंग्रेजी में लिख कर न भेजें।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने नाम के बारे में शिकायत की है कि उनका नाम अखबारों में ठीक से नहीं छपता। जैसे श्री फिरंगी प्रसाद का नाम श्री फिरंगी प्रसाद विशारद है। तो पत्रकार बन्धु कृपया इस पर ध्यान देंगे।

श्री हुक्मसिंह (जिला आगरा पश्चिम)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध तथा अनुदान का समथन करने क लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव रखते हुये माननीय सदस्य ने कहा कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि

[इस समय ३ बजकर ९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम चन्द्र विकल पीठासीन हुए।]

घटा कर एक रुपया कर दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर एक रुपया कर दिया जाय तो कैसे काम चलेगा। हां, आलोचना के लिये अगर यह किया है तो केवल आलोचना से ही काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस सुझाव भी दिये जाने चाहिये। जहां तक रोडवेज विभाग के लिये इस अनुदान का संबंध है, यह बहुत ही कम है, परन्तु ऐसे समय में जब कि बजट ही बहुत कम हो, तो यह धनराशि कैसे बढ़ायी जा सकती है। इसके लिये जो भी धनराशि रखी गयी है उसके लिये हम माननीय परिवहन मंत्री महोदय के बहुत आभारी हैं कि उन्होंनें बहुत सी नयी नयी स्कीमें बतायी हैं जो इस बजट में रखी गयी हैं। जैसे उन्होंने बताया ए० आर० टी० ओ० (ई) की ५ पोस्ट्स बढ़ाई जा रही हैं जिससे कि चेकिंग और अधिक सुविधा से हो सके।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। १८ वर्ष से यह शाखा आर० टी० ओ० कार्य कर रही है और १२ वर्ष से चेकिंग विभाग भी इसी में आ गया है। इतने लम्बे समय में इस विभाग की प्रतिष्ठा, निष्ठा और जन–भावना बजाय बढ़ने के बराबर घटी है। उसका खास कारण यह है कि उच्चाधिकारियों द्वारा चेकिंग के प्रति अरुचि होना है। यदि उच्चाधिकारी इसमें विशेष रुचि लेते तो इस विभाग की प्रतिष्ठा और निष्ठा बढ़ सकती थी और भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता था।

मान्यवर, इस विभाग से आपको बहुत बड़ी आय होती है। आय के हिसाब से इसका नम्बर तीसरा या चौथा आता है। पूर्व वक्ता महोदय ने बसों की संख्या कम होने तथा लम्बे रूट होने के बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं जिनसे कि आय बढ़ाई जा सकती है। आपको मालूम है कि पहले प्राइवेट बसों द्वारा जनता को बहुत तकलीफ मिलती थी। उनके दिमाग में सिवाय पैसा पैदा करने के दूसरी बात आती ही नहीं थी। जब से यह रोडवेज की बसें चलाना शुरू हुई हैं, तब से कम्पटीशन के तौर पर वे लोग भी कुछ सुविधायें देने लगे हैं। इसका कुछ असर हमारे रोडवेज के कर्मचारियों पर भी पड़ा है। यह प्राइवेट बस वालों से अपनी माहवारी लेकर रोडवेज की इनकम कम करने लगे हैं। प्रश्न यह है कि क्या रोडवेज विभाग में सुधार

[श्री हुक्म सिंह]

नहीं हो सकता ? अवश्य होगा, मगर इसमें कुछ समय लगेगा। अपने में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। इस वक्त प्रत्येक रीजन में एक आर० टी० ओ० होता है। और कई ए० आर० टी० ओ० होते हैं और इसके साथ-साथ ४–५ पी० टी० एस० होते हैं। यह लोग सभी प्राइवेट गाड़ियों को चेक करते हैं, चेक करने पर उनका चालान करते हैं। चालन के कागज आर० टी० ओ० के यहां वह भेजते हैं, लेकिन इन आर० टी० एम० की संख्या बहुत कम है। ५० चालान पी० टी० एस० की तरफ से होते हैं और करीब ५०० ए० आर० टी० ओ० (ई०) की तरफ से। इस प्रकार से चालान की संख्या प्रति मास ५५० होती है, किन्तु मैजिस्ट्रेट महोदय ५० केस तक ही तय कर पाते हैं, इस प्रकार से ५०० केस हर माह पेंडिंग हो जाते हैं। कागज पेंडिंग पड़े रहने के कारण काफी नुकसान होता है। इसके कारण पिछले चालानों में जो लोग जमानत करके ले गये हैं, उनमें न तो मुलाजिम हाजिर हो पाते हैं और न टैक्स वसूल हो पाता है। इस प्रकार से राज्य सरकार की बहुत-सी आय खतरे में पड़ रही है। आपको आर० टी० एम० की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ानी चाहिये, जिससे कि पेंडिंग केसेज शीघ्रातिशीघ्र तय हो जाएं और प्रान्त में करोड़ों रुपयों की आय हो।

इसके साथ-साथ कुछ डाकामार बसें चल रही हैं। एक जगह का परमिट ले लिया और देख लिया कि आर० टी० ओ० और आर० टी० ओ० (ई०) किधर हैं, उसके दूसरी तरफ गाड़ियां चलाया करते हैं। यह बिना टैक्स दिए गाड़ियां अवैध तरीके से चलाया करते हैं, जिससे सरकार को बहुत नुकसान होता है। हालांकि यह गाड़ियां प्राइवेट रूट्स पर भी चलती हैं, किन्तु ज्यादातर ये रोडवेज रोड्स पर ही चलती हैं। इसलिये इन डाकामार गाड़ियों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

टैक्सियां भी दो प्रकार की हैं। एक तो वह टैक्सियां हैं जो टैक्सियों के रूप में सरकार के पास हैं, किन्तु वे निर्धारित मात्रा से ज्यादा संख्या में सवारियां ढोती हैं। दूसरी टैक्सियां वे हैं जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, किन्तु वे उनका इस्तमाल टैक्सियों के रूप में करवाते हैं और इस प्रकार से गलत ढंग से वे प्राइवेट रूट्स पर सवारियां ढोती रहती हैं। ये दोनों चीजें गलत हैं, इस पर पाबन्दी होनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे ट्रकों के बारे में कहनी है। ट्रकों की भार–वाहन क्षमता में प्रदेशवार बड़ी विषमता है। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अन्दर ट्रकें २७५ व २५० मन के लिए क्रमशः पास हैं, किन्तु यू० पी० में केवल २०० मन से ट्रक पास हैं। मध्य प्रदेश व राजस्थान वाली ट्रकें हमारी सड़कों से पास होती हैं तो हमारे चेकिंग अधिकारी उसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वह २७५ और २५० मन से पास हैं। लेकिन हमारे ट्रक वाले २०० मन से ज्यादा लेकर चलते हैं तो उनका चालान हो जाता है। तो क्या हमारी २०० मन से ऊपर वाली ट्रकों के गुजरने से हमारी सड़कों को क्षति होती है, और मध्य प्रदेश व राजस्थान वाली २७५ व २५० मन वाली ट्रकें उनकी मरम्मत कर जाती हैं। मेरा निवेदन है कि यहां पर भी वे २५० मन से पास हों, इससे राज्य की आय बढ़ेगी और चालान संख्या कम होगी। ज्यादातर देखा गया है कि ज्यादातर ट्रकें २२५ से २५० मन लोड लेकर चलती हैं, यदि सीमा बढ़ा देंगे तो चेकिंग का काम कम हो जाएगा। अभी मंत्री महोदय ने मुझे बताया है कि २७० मन कर दिया गया है, तो यह अच्छा कदम है, इससे चालानों की संख्या कम हो जायगी। चेकिंग में दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, एक तो आर० टी० ओ० (ई०) व पी० टी० एस० तथा दूसरे पुलिस। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, उसके काम करने का अपना एक अलग तरीका है। उन्होंने अपने कुछ नियम बना रखे हैं। वे ट्रक वालों से कुछ धन आदि ले लेते हैं और उसके आधार पर चालान नहीं करते हैं। यदि चालान करेंगे भी तो साधारण सी चीज पर, जैसे घंटी, लाइट आदि के विषय में जिसमें कोई विशेष जुल्म नहीं बन पाता है। जब कभी पुलिस से पूछा जाय कि चेकिंग में क्या कर रहे हैं तो वह कहते हैं कि यह ड्युटी हमारी नहीं है। हम

चोर-डकैतों की व्यवस्था में काफी समय लगे रहते हैं, हमारे पास टाइम कहां है कि ट्रक और लारीज की चेंकिग करें। उनकी उनसे बंधी आय होती है। दूसरे वह लोग प्राइवेट ट्रकों या बसों के द्वारा अपने कुछ सिपाहियों, गवाहों आदि को भेजते रहते हैं। इस तरह से उनका दोनों तरह से उनसे गठबन्धन रहता है और कहने के लिये काम अधिक है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें। बोलने वाले बहुत हैं। रफ्तार वैसी कर दें जैसी गाड़ियों की होती है।

श्री हुक्म सिंह—

इसके अलावा, पी० टी० एस० पोस्ट को माननीय सदस्य ने व्यर्थ बताया। पी० टी० एस० की पोस्ट बहुत आवश्यक है। लेकिन उनके पास मोटर साइकिल या गाड़ी नहीं है जिससे वे जल्दी जाकर चेंकिग कर सकें। हर पी० टी० एस० को एक-एक मोटर साइकिल मिलनी चाहिए जिससे चेंकिग में सुविधा रहे। साथ ही साथ, गवर्नमेंट रोडवेज का विस्तार हो रहा है, स्टाफ बहुत बढ़ाया जा रहा है। परन्तु स्टाफ आय को देखते हुए बढ़ाया जाय तो अच्छा है। पहले कुछ ही रीजन थे। पहले रीजंस पर ए० जी० एम० रखा जाता था। अब वहीं पर जी० एम० रखा जाता है। उदाहरण के लिए पहले आगरा रीजन में एक ए०जी०एम० था। अब उसके स्थान पर जी० एम०, ए० जी० एम० है और अलीगढ़ का जी० एम० अलग है। और मथुरा और मैनपुरी में एक-एक ए० जी० एम० है। इस तरह से स्टाफ बढ़ते-बढ़ते, ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट, एस० एस० और वर्कशाप में एस० एम०, सीनियर फोरमैन, फोरमैन, तमाम पद बढ़ाये जा रहे हैं। इन बढ़ते हुए कर्मचारियों और इनके वेतन का ध्यान रखना है। इसी का कारण है कि रोडवेज से उतनी आमदनी नहीं मिलती है, जितनी मिलनी चाहिये। कुछ इसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन उससे डर कर अगर रोडवेज विभाग से अपनी आंख उठाने की कोशिश नहीं करेंगे तो भी काफी नुकसान होगा। इस विभाग को रहना जरूरी है। जी० एम०, ए० जी० एम०, सीनियर फोरमैन कोपरचेंजिग राइट्स मिलने चाहिए ताकि ठीक समय पर गाड़ियां चल सकें। अगर एक दिन भी गाड़ी खड़ी रहती है तो दो ढाई सौ रुपये का नुकसान हो जाता है। यह व्यापारिक संस्था है। व्यापारिक संस्था के लिए आवश्यक है कि दो रुपये अधिक खर्च हो जायं और दस-बीस रुपये मिल जायं तो उससे लाभ होगा। जी० एम० ए० जी० एम०, और ड्राइवर तक कुछ परचेंजिग राइट्स मिलें। एक सुझाव और है। इसको रोडवेज कारपोरेशन बनाया जाय जिससे आय–व्यय पर अच्छे ढंग से नियन्त्रण रखा जाय और वह स्वयं इसके लाभ-हानि की जिम्मेदार रहे और सरकार को अधिक आय मिले। (धन्यवाद)।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परिवहन इस प्रदेश की जनता का पेशा है। इसका उपयोग जनता की सुख सुविधा के साधन के रूप में होना चाहिये। किन्तु ऐसा न होकर यह एक व्यापार की वस्तु बन गया है। इस विभाग को अगर परिवहन विभाग न कह कर लूट और खाओ विभाग कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस विभाग से सम्बन्ध रखने वाले लोग व्यक्ति जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। यातायात के साधन इस प्रदेश में बहुतही सीमित है जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण किराया चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाय यात्रियों को मजबूर होकर उस किराये पर यात्रा करनी पड़ती है। आज रोडवेज की तथा प्राइवेट बसों के किराये काफी बढ़ा दिये गये हैं और हर साल उन्हें बढ़ाया जाता है। जनता को मजबूर होकर उन बढ़े हुए किराये पर यात्रा करनी पड़ती है। देखने को यह मिलता है कि टिकट में ब्लैक होता है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यातायात के साधन इतने बढ़ा दिये जायं कि टिकट पर जो ब्लैक होता है वह कम से कम बन्द हो जाय।

[श्री शिवदास]

रोडवेज में बड़ी जबरदस्त चोरियां होती हैं । गाड़ियों का रख रखाव भी ठीक से नहीं होता । जो सामान खरीदा जाता है उसमें भी बड़ी गड़बड़ी होती है । जिस दिन बसें खरीद कर आती हैं और वर्कशाप में जाती हैं उसी दिन से उनका कोई न कोई पुर्जा बदला जाना प्रारम्भ हो जाता है । नतीजा यह होता है कि गाड़ियां बहुत थोड़े दिन के बाद ही इतनी खराब हो जाती हैं कि उनका चलना मुश्किल हो जाता है । नतीजा यह होता है कि वे गाड़ियां समय से नहीं चल पाती हैं और यात्री को मजबूर होकर दूसरे साधनों से यात्रा करनी होती है जिसके कारण रोडवेज विभाग को घाटा उठाना पड़ता है । इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो अधकारी चोरी, बेईमानी व घूसखोरी करता है और भ्रष्टाचारी नियत होता है उसको अच्छी जगह मिलती है और जो ईमानदार , चरित्रवान होता है उसे अच्छी जगह नहीं मिलती । इस सम्बन्ध में मैं अपने रोजन के दो अधिकारियों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा । एक हैं श्री लक्ष्मी चरन , जनरल मैनेजर वाराणसी, जिनका स्थानान्तरण इलाहाबाद हुआ है । इनका लखनऊ में एक बड़ा होटल है और अपने रीजन को छोड़कर बनारस से लखनऊ १५ दिन तक के लिये आते हैं और सरकारी साधन व पैसे का दुरुपयोग करते हैं । उनके खिलाफ ११ विधायकों ने शिकायत की थी जिसकी जांच हो रही है लेकिन उनका स्थानान्तरण उनकी सुविधा को देखते हुये बनारस से इलाहाबाद कर दिया गया ताकि लखनऊ आने में उनको कोई असुविधा न हो और बनारस में उन पर जो चार्ज लगाया गया है उसकी वह अच्छी तरह पैरवी कर सकें और अपने पापों पर पर्दा डाल सकें ।

दूसरे हैं आर० टी० ओ० श्री दयाशंकर लाल श्रीवास्तव । ये इलाहाबाद में थे और उस समय इलाहाबाद रीजन में बनारस और जौनपुर भी आता था । इनके ऊपर चोरी, शराबखोरी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और खास तौर से यह आरोप लगाया गया था कि जौनपुर और वाराणसी के सड़कों पर अस्थायी रूप से परमिट देने की अर्जियां पड़ी हुई थीं वहां पर उन्होंने पांच–पांच सौ रुपया लेकर चार –चार महीने के लिये अस्थायी परमिट दीं जबकि कानूनन वे ऐसा नहीं कर सकते थे । उनके खिलाफ श्रीमन्, विभागीय जिलाधिकारियों ने भी जांच करायी और उन्होंने एक विरोध में रिपोर्ट लिखकर यह सिफारिश की कि उनका स्थानान्तरण गोरखपुर में कर दिया जाय फिर भी उनकी सुविधा को देखते हुये उनका स्थानान्तरण गोरखपुर में न करके बनारस में किया गया जबकि ये जौनपुर के रहने वाले हैं और इसी बनारस और जौनपुर के मामले में इनके ऊपर चार्ज लगाया गया है और उसकी जांच हो रही है । किन्तु फिर भी उनको वहां पर रखा गया है । श्रीमन्, मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण रखना चाहता हूं और वह यह है कि एक श्री बी० एस० पांडेय लखनऊ में ही हैं और तीन साल पहले ये गोरखपुर में जनरल मैनेजर थे । उन्होंने एक लाख रुपया जाली हस्ताक्षर करके वहां के कर्मचारियों के जमानत का रुपया निकाल लिया । अब ये असिस्टेन्ट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के रूप में इस समय लखनऊ में जनता से लूट करके अच्छी तरह से लूट खा रहे हैं ।

श्रीमन् , यह आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में यह बहुत बड़ा रोग है कि जो गल्ती करता है उसको सजा नहीं मिलती है और जो उस गल्ती का विरोध करता है उसे किसी न किसी प्रकार से सजा दी जाती है । श्रीमन्, जिन सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उनमें बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो घाटे पर चलती हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीयकरण और समाजवाद के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा होगा कि जिन सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो चुका हो वहां भी यह विभाग घाटे पर चले । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसकी जांच कर लें और विचार करने की कोशिश करें कि कम से कम वहां पर जो बिना परमिट की गाड़ियां चलती हैं या अन्य किन्हीं कारणों से यहां घाटा होता है तो उसे नहीं होने देना चाहिए ताकि समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कभी रोड़ा न आने पाये । श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि रोडवेज विभाग में

छोटे कर्मचारियों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह और बीस–बीस सालों स लोग नौकरी करते चले आ रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। लगभग ५० प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी नौकरी स्थायी की जाय। श्रीमन्, १९६४–६५ से बोनस ऐक्ट लागू हुआ है किन्तु अभी तक वहां के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। अतः मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि निजी बसों के परमिट बगैर घूस के नहीं दिया जाता है। परमिट किसी के नाम से होता है और बस कोई अन्य व्यक्ति ही चलाता है। मैं इस प्रकार के दो–एक उदाहरण सदन के सामने पेश करता हूं। जो बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर में बसें चलती हैं उनके उदाहरण में रखना चाहता हूं। एक श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं इनके नाम से बस का परमिट है किन्तु इसे एक श्री सुरेश कुमार भार्गव चलाते हैं जिनको ये १५० रु० माहवार देते हैं दूसरे एक श्री पारस नाथ त्रिपाठी हैं इनके नाम से बस का परमिट है किन्तु ये बलदेव सिंह और करनैल सिंह से गाड़ी चलवाते हैं। एक श्री कैलाश सिंह हैं जो कि १५० रु० लेकर महमूद अली से गाड़ी चलवाते हैं। उसके बाद एक पीटर साहब हैं जो रामजन्म यादव से गाड़ी चलवाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो लोग परमिट रखते हैं और गाड़ी कोई अन्य व्यक्ति ही चलाते हैं जिनके पास परमिट नहीं होता है तो ऐसे लोगों के परमिटों को कैंसिल कर देना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि परिवहन विभाग की सुविधायें कुछ स्थानों तक ही सीमित हैं। गांवों में परिवहन विभाग की सुविधायें अभी तक नहीं पहुंच पायीं। चुनार क्षेत्र में सीखड़ और जमालपुर ब्लाक तक जाने के लिये कोई सवारी नहीं है। सीखर ब्लाक में बनारस से आराजी लाइन होते हुए चुनार तक अंग्रेजों के जमाने में भी सड़क थी। उसके दोनों ओर फलदार वृक्ष अब भी लगे हुए हैं। पहले उस पर बसें भी चलती थीं लेकिन आजकल उस सड़क की हालत इतनी खराब हो गयी है को कोई बस नहीं चलती। इसी प्रकार से जीवनाथपुर से कंचनपुर तक अंग्रेजों के जमाने में सड़क थी। उस पर भी बस चलती थी। वह भी सड़क की खराबी के कारण बन्द हो गयी। बीमार औरतों को १०–१०, १५–१५ मील बिना सवारी के दवा लेने आना पड़ता है। इसमें घोर परेशानी होती है। इस प्रकार से गांवों में परिवहन विभाग कोई टीक व्यवस्था करने में बिलकुल असमर्थ रहा है। यह जब नहीं हो सकता जब तक कि सारे प्रदेश की आमदनी का चौथाई भाग गांवों पर ही खर्च करने के लिये न निकाला जायगा।

अन्त में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों को जो बसों में चलने की सुविधा दी गयी है उसमें विधायकों को बड़ी भारी परेशानी होती है क्योंकि विधायकों के लिये कोई सीट रिजर्व नहीं होती जब कि कन्डक्टर के लिये सीट रिजर्व होती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कन्डक्टर की परेशानी को दूर करने के लिये और विधायकों की परेशानी को दूर करने के लिये कम से कम एक दो सीट हर बस में रिजर्व कर दी जायं। इसके साथ ही साथ कूपन का जो पोथा लेकर चलना पड़ता है, उस परेशानी को भी दूर किया जाय। इस परेशानी को भी सरकार दूर करने का प्रयत्न करे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी यात्रा करके भी समाप्त करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

श्रीमन् जी, इस सैशन में मैं पहली मर्तबा कुछ थोड़े से सुझाव रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। उस पर और ज्यादा बोलने का मेरा इरादा भी नहीं है। जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है बहुत से लोगों ने उस पर काफी प्रकाश डाल दिया है और मेरे जिन साथी ने कटौती का प्रस्ताव

[श्री जलील अब्बासी]

रखा उन्होंने अपनी लंबी तकरीर में करीब करीब सब बातों को कह दिया। जहां तक मैं समझता हूं कि पिछले २२ वर्षों में करप्शन चारों तरफ बढ़ा ही है। जितनी हम उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वह घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी हमारी कमी यह है कि हमारा ध्यान हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। छोटे कर्मचारियों की ओर ही हम ताकते रहते हैं, लेकिन जिनकी लम्बी-लम्बी जेबें हैं, उनकी तरफ नहीं देखते। अगर भ्रष्टाचार को छोटे कर्मचारियों को देख कर, उनको पकड़ कर दूर करना चाहेंगे तो वह नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार को आपको दूर करना है तो पहले आप ऊपर वाले आफीसरों की ओर निगाह डालें। ऊपर वालों को पकड़ने से काफी हद तक खराबी दूर हो जायगी। इस बात को सिर्फ इशारे में ही कह कर मैं आगे की बात पर आता हूं। आज कल आपकी बसों की इतनी खराब हालत है कि जब कभी मैं उनमें बैठता हूं तो सोचता हूं कि मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा लेकिन फिर किसी काम में फंस जाता हूं। बसों के दरवाजे टूटे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप बसों की हालत को ठीक करें और उनको लोगों के बैठने लायक बनावें जिससे स्वतंत्र भारत के नागरिकों की तरह हम सीना तान कर उनमें बैठ सकें। अब आपने एक दरवाजा कर दिया है। उस पर जो लाइन लगती है चढ़ने की ओर जो परेशानी होती है और कहीं इत्तफाक से इंजन ने अगर धुआं दे दिया तो जो भगदड़ होती है वह देखने लायक होती है, एक के ऊपर एक गिरता है। इसलिये दो दरवाजे होने चाहिये और एक दरवाजे की जिन साहब ने स्कीम चलायी थी उनको हिमाकत का गोल्ड मेडल मिलना चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि हम लोगों को जो पास दिये हैं, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता, जो मिले हैं वैसे ही पड़े हुये हैं। शर्म आती है कि पोथा लेकर जायें बनिये की तरह और कहें कि हमको टिकट दे दो। जब तक आप वह तरीका अख्तियार नहीं करेंगे जो तरीका पार्लियामेंट के मेम्बरान के लिये इस्तेमाल किया गया है कि एक आइडेन्टिटी कार्ड, जिसमें फोटो लगी हुई हो और टेलीफोन किया कि मेरा नम्बर ७४, जलील अब्बासी और सीट बुक हो गयी। कूपन पास में है, आधा फाड़ा और लिख दिया बस्ती से देवरिया। क्या जरूरत है कि इतना बड़ा पोथा ढोयें। जिन साहबान ने इस जमाने में यह बात सोची कि इतना बड़ा पुलिन्दा बांध कर दिया जाय, इत्तफाक से मैं उस पार्टी मीटिंग में नहीं रहा होऊंगा, अगर होता तो जरूर इस चीज को उठाता। यह बहुत शर्मनाक बात एक एम० एल० ए० के लिये है कि इतने बड़े पोथे को वह लेकर वहां जाये। आप चाहते हैं सुविधा देना तो ऐसा करिये वरना विदड्रा कर लीजिये।

अब मुझे अर्ज करना है कि एम्प्लाईज बेचारे जिनका इन्तकाल हो जाता है उनके लिये जो थोड़ी बहुत सुविधा आपने दी है, अव्वल तो वह है ही क्या, लेकिन जो कुछ भी है उसके मिलने में कई वर्ष लग जाते हैं? आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप जैसा आदमी आ गया है, थोड़ी तवज्जह दें और जो थोड़ी बहुत सुविधा आपने दी है वह टाइमली मिल जाय। भूख तो आज लगी हुई है और बड़े-बड़े अफसरान मेज पर फाइल डाले हुये हैं और उन्हें शर्म नहीं आती है कि बेचारे के बच्चे कैसे खाते-पीते होंगे। इसलिये मंत्री जी मेहरबानी कर के इधर ध्यान दें।

आर० टी० ओज० के दफ्तर में जो धांधलियां होती हैं उस तरफ अब मैं मंत्री जी का ध्यान खींचूंगा। इन धांधलियों को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि तीन साल के बाद किसी को आर० टी० ओ० न रखा जाय और अगर रखा जाय तो काफी गैप के बाद रखा जाय। आप आर० टी० ओ० मुकर्रर करते हैं और वह ठेकेदार बन कर बैठते हैं। अगर गोरखपुर से मेरठ किसी का तबादला होता है तो वह आपस में सांठगांठ कर लेते हैं कि तुम मेरे लिये वहां थैली तैयार रखना और मैं तुम्हारे लिये यहां थैली का इन्तजाम किये हुये हूं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो आर० टी० ओ० तीन साल तक रहे उसको फिर दोबारा आर० टी० ओ० न बनाया जाय।

मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह अपने वक्त में कुछ काम करें। बड़े सादे आदमी हैं, ईमानदार हैं। आप अगर थोड़ी मेहनत कर देंगे तो शायद इस मुहकमे का सुधार हो जाय। ऐसी अहम बातों को लेकर आप तुरन्त आदेश दे दें। उससे तुरन्त वातावरण बदल जायेगा।

मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत थोड़ी बातें कहने के लिये खड़ा हुआ था। इन अल्फाज के साथ जो आपका अनुदान आया है उसकी मैं पुरजोर ताईद करता हूं।

श्रीमती सियाकुलारी (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि सन् १९४७ में जनता को यातायात की सुविधा देने के लिए मांगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और रोडवेज बसेज चलाने के लिए एक नया विभाग सरकार ने बनाया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस विभाग का निर्माण हुआ वह पूरा न हो सका। जनता की सुख-सुविधा को रोडवेज के अधिकारियों ने भुला दिया। वह अपने को जनता का सेवक न समझ कर अफसर समझते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि जिला स्तर पर जो बसेज चलती हैं उनमें डयोढ़ी और दूनी सवारियां लेकर चलती हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि चलने वाली गाड़ियों की क्षमता कितनी है या इससे जनता को कितनी असुविधा होगी। उनके रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि परिवहन विभाग के प्रशासन के संबंध में तीन चीजें हैं। पहली चीज रोडवेज, दूसरी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट का प्रशासन सम्बन्धी कार्य और तीसरी पर्यटन। इन तीनों चीजों का भार ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के ऊपर छोड़ा गया है जिसमें वह पूणतया असमर्थ रहे हैं, इस भार को उन्होंने पूरे तौर पर नहीं संभाला है। उनके अनुशासन में न रह कर कर्मचारियों ने यह किया है कि मनमाने ढंग से गाड़ियां चलायी, जो मोटर विहिकिल्स ऐक्ट के नियम हैं उनका उल्लंघन किया है। वही उनके अफसर हैं और उनको ही दंड देने का चालान करने का अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहतीहूं कि मध्य प्रदेश में है, ये तीनों चीजें अलग-अलग बांट दी गयी है। उसी प्रकार रोडवेज के लिए एक डायरेक्टर और विभाग अलग कर दिया जाय जिससे ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर से संबंध न रहे और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के पूरे प्रशासन का संचालन मंत्री जी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर को सौंप दें। यहां मध्य प्रदेश का फारमूला लागू होना चाहिए।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि एक होड़ रहती है रोडवेज म कि हम सभी मार्गों पर बसेज चलायें, लेकिन परमिट लेकर भी यह बस नहीं चला पाते हैं। इसका कारण इनके पास बसों की कमी है, उतनी बस ही नहीं हैं। मान्यवर, इसका ज्वलंत उदाहरण, जो यहां पुस्तिका दी गयी है "परिवहन के कार्यकलापों पर टिप्पणी" उससे देना चाहती हूं। सन् ६१–६२ में प्राप्ति ११,४९,९९,७०२ रु० होती थी और यह पहुंचते-पहुंचते १९६८–६९ में ११, ११ लाख रह गयी। शनैः शनैः हम इस विभाग की जो प्राप्ति है उसमें घट रहे हैं जब कि बसों का विस्तार हुआ है, अधिक मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। होना यह चाहिए कि या तो सरकार जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करे, जनता की सुविधा के लिए पूरी पूरी बस चलाये वरना पंजाब वाला फारमूला अपनाये और ५० परसेंट जनता की गाड़ियां चलने दी जायं।

यहां जो वाद-विवाद चल रहा है उसमें अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि रोडवेज के मुकाबले में प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा अच्छी हैं और उनमें ज्यादा सुख-सुविधा है, तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि यह सरकार तो जनता की सुविधा के लिए है न कि सरकार का व्यापार चलाने के लिए। यह एक शर्म की बात है कि व्यापार के लिए एक विशेष पार्टी बन जाने के कारण हम जनता की सुख-सुविधा का ध्यान न रखें।

[श्रीमती सियादुलारी]

बुन्देलखंड एक पिछड़ा इलाका है। मैं निवेदन करूंगी जिसमें बांदा माना एक ऐसी जगह है जहां सबसे पहले रोडवेज के लिए मैंने प्रार्थना की थी और चली भी, लेकिन वहां पर जो रवया है वह मैं कहूंगी कि जनता की सुविधा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। बुन्देलखंड एक लम्बा-चौड़ा इलाका है, लम्बे मार्ग हैं। जो परमिट बस के रोडवेज को मिले हैं, उन पर गाड़ियां नहीं चलती हैं। जब तक आप इसकी पूर्ण व्यवस्था नहीं करते हैं उस समय तक प्राईवेट बसेज को परिमट दें जिससे ग्रामीण जनता को विकास का मौका मिले। यह सभी जानते हैं कि किसी जगह की तरक्की तभी हो सकती है जब यातायात के साधन हों। आये दिन समाजवाद की चर्चा होती है। क्या समाजवाद आयेगा यदि लोगों के आने-जाने के मार्ग में उनको यातायात के साधन ही न मिलें। वह क्या समझेंगे कि समाजवाद किस चिड़िया का नाम है।

समाजवाद लाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी भागों में यातायात के साधन जनता को उपलब्ध कराये जायें, चाहे वह पूर्वी भाग हो, चाहे पश्चिमी भाग हो, चाहे बुन्देलखंड का इलाका हो और चाहे वह पहाड़ी इलाका हो। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आर० टी० ए० या एस० टी० ए० जो परमिट देती हैं इस बात का ध्यान नहीं रखती कि किसी किसी को १५, २० परमिट मिल जाते हैं और किसी को एक भी परमिट नहीं मिल पाता है। तो श्रीमन्, इसकी जांच कराई जानी चाहिये कि ऐसा क्यों होता है ?

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सर्विस में तो हरजनों की पूर्ति नहीं हो पायी, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी हरिजनों के लिये, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और सहकारी समितियों का विशेष ध्यान रखते हुए उनको परमिट दिये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

मान्यवर अब मैं सरकारी टैक्सियों के बारे में कहना चाहती हूं। अभी मैं गोरखपुर गई थी, वहां यह हालत है कि उनमें १५–२० आदमी चढ़ कर चलते हैं, लेकिन उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है। मालूम होता है कि परिवहन विभाग वहां है ही नहीं। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो टैक्सी दी जायें उनके लिये निश्चित कोटा हो, वे जनता के लिये चलाई जाय और उनकी पूरी तरह स चेकिंग होनी चाहिय।

अन्त में मैं बस कूपन्स के बारे में कहना चाहती हूं। मान्यवर एम० एल० एज० को बस यात्रा करने के लिये कूपन्स दिये गये हैं, लेकिन कहीं कहीं बस सर्विस है ही नहीं, तो उन कूपनों का क्या करें।

श्री अधिष्ठाता—

रेल के भी तो मिले हैं।

श्रीमती सियादुलारी—

यों तो आपने बस कूपन दिये, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रेलवे भी तो है, लेकिन आपने एक सुविधा दी। लेकिन जहां गवर्नमेंट बसेज चलती ही नहीं वहां वे उन कूपनों का उपयोग कैसे करेंगे, और पब्लिक को तो कहने के लिये रहेगा कि माननीय सदस्यों को कूपन्स दिये गये हैं कि फ्री यात्रा करें। इस बात को तो माननीय सदस्य ही जान सकते हैं कि जहां गवर्नमेंट बस नहीं चलती हैं वहां क्या करें। इसके लिये मैं कहूंगी कि वहां रोडवेज की व्यवस्था हो या प्राइवेज तौर पर यातायात के साधन उपलब्ध कराये जायें। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि झांसी से बांदा, बांदा से इलाहाबाद, बांदा से चित्रकूट, झांसी से लखनऊ बस चलाने की कृपा करें।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उधर से माननीय शर्मा जी ने बहुत बातें कहीं। बहुत-सी बातों से मैं सहमत भी हूं।

एक आध बात उन्होंने कही और मद्रास का हवाला दिया कि वहां पर आर० टी० ए० में एक ही आदमी हैं वह काम करते हैं और यहां पर ४, ४ आदमी काम करते हैं। इसके सम्बन्ध में उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारे यहां जो परिस्थिति है उसमें ४ आदमी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसमें पी० डब्लू० डी० के आदमी हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं और आयुक्त महोदय हो सकते हैं। ये सभी जिम्मेदार हैं। सभी जिम्मेदारियां हैं, उनका महत्व है इस कमेटी में। यह बात हो सकती है कि वह कहें कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पुरानी बसों को फिटनेस सर्टीफिकेट मिल जाता है और जो नई बसें हैं जो कि ६० या ७० हजार रुपये में आती हैं उनको फिटनेस सर्टीफिकेट के मिलने में दिक्कत होती है। क्या कोई उदाहरण या मिसाल इस तरह की मिल सकती है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस परिवहन विभाग की और परिवहन मंत्री जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जिससे जनता को और अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो सके। जो टैक्सीज या ट्रकें चल रही हैं या प्राइवेट गाड़ियां चल रही ह उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा है जो लगाया जाना चाहिये। जो इसके ड्राइवर्स हैं या चलाने वाले हैं वे कहीं पर शराब पीकर इसको चलाते हैं या फिर अधाधुन्ध स्पीड में इसको चलाते हैं और हमारे प्रदेश की ९ करोड़ जनता के साथ उसके जीवन के से खिलवाड़ करते हैं। गांवों में जहां पर ये सड़कें निकलती हैं वहां पर आये दिन छोटे छोटे बच्चे, पशु और जानवर इनकी ट्रकों के नीचे दब कर मर जाते हैं। इस प्रकार से ये निरीह लोग ताबड़ तोड़ खत्म हो रहे हैं। मेडिकल अधिकारियों की यह राय है कि यदि पचास बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चे की मौत इसी प्रकार की दुर्घटना में होती है। इस प्रकार की जो चीजें देहात की निरीह जनता और नगर तथा उसके पड़ोस की जनता के साथ हो रही है उससे लोगों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो परिवहन विभाग के अपराध के नियम हैं उसके सम्बन्ध में वह और सख्त कड़ाई बर्तें और दोषी लोगों को दण्ड देने की व्यवस्था करवायें। इसके लिये प्रदेश की जनता उनकी आभारी रहेगी।

आज टेकनोलाजी का युग है आधुनिक सुविधाओं का युग है, देश और प्रदेश में जनता को सुविधायें बढ़ती चली जा रही हैं। समय की कमी और फासले की कमी हो रही है अतः जो सुख सुविधायें उनको मिल रही हैं उनको कम न करके और बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जल्दी से जल्दी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और अधिक से अधिक समय को बचा सकत हैं। समय का महत्व बढ़ गया है। एक समय था कि जब लोग तीर्थ यात्रा करने के लिये बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे और उनको महीनों लग जाते थे फिर भी उनके वापस आने का कोई ठिकाना नहीं था कि आवेंगे या नहीं क्योंकि कोई यात्रा के लिये साधन सुलभ नहीं थे परन्तु आज वे साधन सुलभ हैं परन्तु कहीं-कहीं पर इनमें कुछ कमियां हैं जिनके कारण जनता को कष्ट होता है और विभाग को इस तरफ अधिक जागरूक होकर ध्यान देना है। बसों के जो छूटने का टाइम है उसमें प्रायः देर हो जाती है जिससे यात्रियों का संकट और बढ़ जाता ह क्योंकि उनको यह नहीं मालूम रहता कि किस समय बस छूटेगी एक घंटा लेट है, दो घंटा लेट ह या फिर रात भर पड़ा रहना होगा। उनको पता ही नहीं चलता। कम से कम विभाग यह तय कर सकता है कि यात्रियों को इस बात का पता रहे, अन्दाज रहे कि कब बसें छूटेंगी और कितनी लेट रहेंगी ताकि वह अपने समय का सदुपयोग दूसरे कामों में तो कर सकें या फिर किसी दूसरे रूट से चले जायं। इससे उनका समय बचेगा। परिवहन विभाग जो भूमि अर्जन करता है या बिल्डिंग आदि को बनाता है। लखीमपुर खीरी में और एक गोला में जो भूमि अर्जित की गई है वह उपयुक्त स्थान नहीं है। गोला में जो भूमि अर्जित की गई है वह एक नीची जमीन है, वाटर लागिंग की जमीन है, वहां पानी भर जाता है। उसके बाद जो स्टेशन बना, विभाग ने

[श्री छेदालाल चौधरी]

पास कर दिया, आज भी वह कमी पूरी नहीं हुई। लखीमपुर हैडक्वार्टर्स पर स्टेशन बना है। बड़ी भव्य इमारत है, देखने में सुन्दर है, लेकिन उसकी कोई छत ऐसी नहीं है जो टपकती न हो। ऐसे ही पानी टपकता रहा तो सारी इमारत बेकार हो जाएगी।

श्रीमन्, परमिट का सिस्टम जो है, एक-एक परिवार के अन्दर कई-कई परमिट दे दिये गये हैं। एक तरह से मानोपोली बन गयी है। यह खत्म होनी चाहिए। बस में रैग्युलेरिटी नहीं है कि टाइम से आएं और टाइम से जाएं। वर्कशाप कानपुर में है या और भी दूसरी जगह है इनको डिल्सेन्ट्रेलाइज किया जाना चाहिए। जिलों में वर्कशाप की सुविधा दी जाय। प्राइवेट वर्कशाप हो जो स्टैन्डर्ड होवें, उनसे काम लेना चाहिए। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि बसों की मरम्मत में देरी न हो। इससे जनता को भी सुविधा होगी और बस जो बेकार पड़ी रहती हैं और उससे जो नुकसान होता है वह भी नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में इस अनुवान का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी इस तरफ के इंडीकेट सदस्य बोल रहे थे मैं उनसे अपने को सहमत पाता हू। मैं समझता हूं वह सही बात कह रहे थे। भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं। मैं उन्हें परामर्श दूंगा कि थोड़ा जरा और ऊपर उठ कर बोलते और बोलने लग जायं तो इस देश का और प्रदेश का कल्याण हो सकता है। श्रीमन्, मैं केवल इस प्रेरणा से बोलने खड़ा हुआ हूं कि देश और प्रदेश की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जितने जोर से स्वच्छ प्रशासन का नारा लगाया जाता ह उतना ही ज्यादा प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यह भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। दिल्ली के मिन्क कोट से शुरू हो रहा है और यहां मुख्य मंत्री बनने में खत्म हो रहा है। जाहिर है कि ९५ सदस्य लेकर चौधरी साहब···

श्री अधिष्ठाता—

विभाग पर ही बोलिएगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमन्, वह आयाराम गयाराम की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

तो मैं यह कह रहा था कि यह भ्रष्टाचार दिल्ली के प्रधान मंत्री के मिन्क कोट से चलता है और अपने प्रदेश में आकर खत्म होता है चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्री बनने में। तो चौधरी साहब उन ९५ सदस्यों को लेकर मुख्य मंत्री बनने के लिये कभी इधर से सौदेबाजी करते रहे हैं और कभी उधर से सौदेबाजी करते रहे हैं। इस तरह से ३, ३ और ४, ४ दिन गुप्त वार्ता करते रहे।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं उसी पर आ रहा हूं। तो जाहिर है जो ये हमारे आई० ए० एस० आफिसर्स हैं इन लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो जब अपने को बहुत पवित्र और शुद्ध कहने वाली दिल्ली की प्रधान मंत्री इस तरह से मिंक कोट ले सकती हैं उपहार में और यहां भी मुख्य मंत्री

बनने की सौदेबाजी कर सकते हैं या जो उनकी स्तुति कर सकते हैं या जो करे वह मंत्री बन सकता है या दिल्ली का मंत्री बन सकता है। जाहिर है कि इसका असर विभाग पर पड़ेगा और सरकारी अधिकारियों पर पड़ेगा और वह पड़ा है। मान्यवर, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जिस किसी आई०ए०एस० अफसर को खुश करना हो तो उसको बड़े जिले का जिलाधीश बना दिया जाता है। जिस किसी बड़े अफसर को खुश करना हो तो उसको ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर बना दिया जाता है। यह सिलसिला बहुत दिनों से चला आ रहा है। पूर्व ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर जो कानपुर के जिलाधीश रह चुके हैं और जिन्होंने कानपुर शहर कांग्रेस के मंत्री श्री भल्ला की मां-बहन एक को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें बुरी-बुरी गालियां सुना चुके हैं, वह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिए गए।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये इस तरह से कहना उचित नहीं है। यह आपके भाषण से निकाल दिया जायगा। आप संयत भाषा में बोलिये वरना वह भाग कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री रघुनाथ सिंह—

श्रीमन्, सदन में भाषण करने में किसी की मान-मर्यादा रहनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने स्वयं उस पर कह दिया है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

तो यह भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? जितना भी स्वच्छ प्रशासन का नारा लगाया जा रहा है उतना ही बढ़ रहा है, मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि उतना ही हर विभाग में भ्रष्टाचार बहुत जोर के साथ बढ़ रहा है। कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं रह गया है। खास तौर से यह परिवहन विभाग तो ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ रहा है। एक दिन मेरी माननीय मंत्री जी से बात हुई एक ए० जी० एम० के बारे में तो मंत्री जी ने दुखी स्वर में कहा कि क्या करूं, चाहता हूं इस्तीफा दे दूं क्योंकि ए० जी० एम०, आर० पी० अवस्थी की सिफारिश में इतना दबाव पड़ रहा है ऊपर से कि मैं कह नहीं सकता हूं। तो उस दिन से अन्दाजा लगा कि भ्रष्टाचार की जड़ कहां है। वह सब हम लोगों में ही मौजूद है। बात स्वच्छ प्रशासन की करते हैं लेकिन अगर भ्रष्ट अफसर साबित होता है और उसको सजा देने की बात करते हैं तो हम लोगों में से मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्री द्वारा उसकी सिफारिश होती है। आर० पी० अवस्थी का न जाने कितनी बार ट्रान्सफर हुआ लेकिन उनका ट्रान्सफर हो नहीं पाया। उन्होंने किसी जगह का भी जाकर चार्ज नहीं लिया। मैं आप को बतलाऊं कि अब···

श्री अधिष्ठाता—

यह पुनरावृत्ति है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उन्होंने परसों ही कहा है कि सरकार की हिम्मत नहीं है कि जो हमारा ट्रांसफर कर दे। और उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफर का आर्डर आया तो मैं उस लिफाफे पर पेशाब कर दूंगा। इन आर० पी० अवस्थी के खिलाफ चोरी का अभियोग है और जब वह ऐसी बात कहते हैं तो इससे जाहिर है कि इस तरह का अभियोग उनके खिलाफ सही ही होगा। वह अभियोग सही है लेकिन उसको दबाया जा रहा है। आप सोचें कि अगर इस सरकार को स्वच्छ प्रशासन चलाना है तो क्या चोर अफसर व भ्रष्ट अफसर की हिफाजत करके चलेगा?

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी तो कुछ लिख रहे हैं वह कम से कम माननीय सदस्य की बात सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता—

वह सदस्यों की बातें ही लिख रहे हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यदि आपकी नीयत है, आपकी भावना है और आप वाकई में स्वच्छ प्रशासन लाना चाहते हैं तो ऐसा प्रबन्ध करें कि उस जांच को, कोई प्रभावित न कर सकें और जब उन पर चोरी का अभियोग साबित हो तो उनको किसी नौकरी में स्थान न दें और उनको तुरन्त अलग कर दें क्योंकि यह सरकार तो खुद कहती है कि ट्रान्सफर कोई सजा नहीं है।

मैं यह भी कहूंगा कि कानपुर का भी यही बुरा हाल है। कानपुर का बस स्टेशन बुरी हालत में पड़ा है। वहां पर जो जनरल मैनेजर हैं वह अपने को गवर्नर से कम नहीं मानते, कोई भी चिट्ठी उनको लिखिये, कुछ भी करिये कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मैं दस बार दफ्तर गया, पता नहीं वह कहां रहते हैं, कभी मालूम होता है लखनऊ में खेल देखने गये हैं, वह कभी मिलते ही नहीं, न मालूम कितनी चिट्ठियां लिखीं। हमारा एक बस स्टेशन पूरा में बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन वहां के एक क्लर्क ने इरादतन और कह कर उसको खत्म करा दिया, वह बहुत लाभ में चल रहा था, मैंने उसके विषय में न मालूम कितनी चिट्ठियां लिखीं लेकिन कोई अमल उन पर नहीं हुआ और न कोई उत्तर ही हमें दिया गया। इस तरह से जो परिवहन विभाग जनसुविधा के लिये चलाया जा रहा है वह जनता को मामूली सुविधाओं से भी वंचित कर रहा है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूबे की क्या हालत होगी।

एक बात मैं और कहूंगा परिवहन विभाग के बारे में। मेरे पास यह कानपुर से निकलने वाला समाचार पत्र, "दैनिक जागरण" है। इसमें यह आज ही छपा है कि "बिना प्लेटफार्म के बसों से सरकार को प्रतिदिन २०,००० रुपए की क्षति हो रही है।" बसें बढ़ गईं लेकिन उनके रखने की कोई जगह नहीं है, इसका नतीजा यह है कि यातायात की बसों से जो २०,००० रुपये रोज की आय हो सकती है वह मारी जा रही है। एक दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा कि एक ए० जी० एम० साहब हैं जिनकी बात मैं भूल गया, वह प्रस्तावक महोदय भी भूल गये थे, वह यह है कि एक हरिजन कन्डक्टर को बिल्कुल बेगुनाह निकाला गया, उसका नाम भगवानदीन है, जब वह ए०जे०एम० साहब के पास गया तो उन्होंने उससे साफ कहा कि "साले चमार की औलाद तुम से जूते गठवा कर सड़क पर छोड़ूंगा", इस तरह के अपशब्द उन्होंने कहे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या भावना है। अगर शासन में स्वच्छ प्रशासन लाने की बात है और ईमानदारी उनमें है तो उन पर अनटचेबिलिटी ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया जाना चाहिये। यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि भारतीय क्रान्ति दल के एक माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह सब लिख कर भी दिया है कि ऐसे ए० जी० एम० के खिलाफ अनटचेबिलिटी ऐक्ट में मुकदमा चलाया जाय लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। तो एक बात मुझे और कहनी थी कि यहां···

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोतीलाल देहलवी—

यहां कर्मचारियों के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। एफीशियेन्सी का जो पांच रुपया हर साल मिलता था वह १९६० से अभी तक नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात यह कि जो रिजर्वेशन १८ प्रतिशत का है हरिजन उम्मीदवारों के लिये वह रिजर्वेशन आज दिन तक पूरा ही नहीं हुआ। न तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम लेते हैं बल्कि सीधे भरती कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मंत्री महोदय गोपनीय जांच करायें तो कानपुर में जो बसों में कन्डक्टरी की भरती हो रही है उसमें रिश्वत और घूस चल रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मेरी बात गलत साबित करना चाहें तो जांच करवा लें, मंत्री जी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि यातायात के अनुदान पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने समय दिया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री, यातायात द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये आपके समक्ष आया हूं। लेकिन कुछ अपने सुझाव मैं इस विभाग के संबंध में देना अपना कर्तव्य समझूंगा। मान्यवर, कुछ और बात कहने के पहले थोड़ा सा समय मैं इस विषय पर लूंगा कि आखिर इस सदन के बजट भाषण में माननीय सदस्यों द्वारा सुझावों या आलोचनाओं के देने और इसके बाद मंत्री जी के उत्तर का क्या तात्पर्य है। स्पष्ट है कि इस सबका तात्पर्य यही है कि सदन में वादविवाद के द्वारा किसी विषय का जो प्रच्छन्न स्वरूप या उसमें अपनाने वाली नीतियों की जो आउट लाइन सदन के सामने निश्चित हो, विभाग के द्वारा उसका पालन किया जाय। मुझे पूरी आशा है कि मेरे इस निवेदन की मान्यता हमारे माननीय मंत्री परिवहन पर है। क्योंकि मैंने आज देखा कि वादविवाद के पूरे समय वे एकाग्र चित्त होकर सदस्यों की बात सुनते रहे, जैसे मान्यवर, मैं निर्भीकता से कहना चाहता हूं कि और मंत्री नहीं करते। उन्होंने ऐसा किया इससे मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने जो बात कहीं उनको अपने सुझाव के सम्बन्ध में मंत्री जी का उत्तर भी सुनने को मिलेगा। दरअसल इस दृष्टि से परम्परा सदन की कुछ उलटी है। मुझे तो एक बात कहनी है कि यहां सदस्यों के सुझाव और मंत्रियों जी के उत्तर सुनकर ऐसा लगता है···

श्री विश्वनाथ कपूर—

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप परिवहन पर तो बोल नहीं रहे हैं। आप उपदेश दे रहे हैं। किस चीज पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

विषय पर ही बोलियेगा।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

कि सवाल अपने-अपने, जवाब अपने-अपने, पसन्द अपनी-अपनी, खयाल अपने अपने। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करूंगा कि जो हमारे अन्य सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और जो मैं दूंगा उनके सम्बन्ध में मंत्री जी अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे। कम से कम हमें यह बतलावेंगे कि फलां बात हमने गलत कही, उसे न माना जायेगा लेकिन अगर कोई बात माननीय मंत्री जी ठीक समझें तो इसी सदन में उनको स्वीकार करना चाहिये कि इसका परिपालन विभाग द्वारा होगा। मान्यवर, हर विभाग के रखने का कोई उद्देश्य होता है। परिवहन विभाग का उद्देश्य जो पुस्तिका आपके विभाग द्वारा वितरित की गयी है और हम लोगों को मिली है उसमें कहा गया है "कुशल साधनों की व्यवस्था करने, परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने और राज्य के आर्थिक विकास में योग देने के उद्देश्य से यह विभाग चालू किया गया है।"

मान्यवर, जब उद्देश्य हम निश्चित करते हैं तो कभी न कभी उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य में कहां आगे बढ़े, कहां पीछे हटे और कहां स्थिर रहे। मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकतर विभागों में ऐसा नहीं होता है। इन सुझावों को देते समय मुझे बड़ा

[श्री रघुनाथ सिंह]

उत्साह है, चूंकि मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री परिवहन बड़े सुधारवादी दृष्टिकोण के आदमी हैं। जितने दिनों से मैंने उनको जाना है, उनमें मैंने लगन पाई है अपने विभाग में सुधार करने की, अपने काम में रुचि लेने की और इसीलिये सुझाव देते समय मुझे बड़ा उत्साह है और मैं समझता हूं कि जो बात मैं उचित करूंगा उस पर वे जरूर गौर करेंगे। और आशा इसलिये भी बंधती है कि मैंने हाल ही में सुना है कि हमारे प्रान्त के जो नये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आये हैं उनकी कार्य क्षमता से भी मैं परिचित हूं क्योंकि वे हमारे यहां कलेक्टर रह चुके हैं। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है जो दरअसल ऐसी है जो एक अच्छे आफिसर की होनी चाहिये। जब एक दूसरे के सहयोग से यह विभाग चलेगा तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं या जो सुझाव आज मैं दे रहा हूं, उनका कोई न कोई मूल्यांकन होगा और विभाग में अच्छाइयां आयेंगी।

मैं इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कह रहा था कि पहली चीज है परिवहन साधनों की व्यवस्था करना। साधनों की व्यवस्था करने में हम कमजोर हैं। मुख्य रूप से जिन सज्जन ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उन्होंने जो विचार प्रकट किये उससे यह बात स्पष्ट है कि जितने साधन हमारे परिवहन विभाग को जनता को देने चाहिये थे वह हम नहीं दे सके। जितनी बसें हमें चलानी चाहिये थीं उतनी बसें नहीं चला सके। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी एक सर्वेक्षण करावें कि किस सड़क पर कितने यात्रियों की आमदरफ्त है, वहां कितने यात्री ज्यादा से ज्यादा चल सकते हैं और कितनी बसें हमें देनी चाहिए। यह सर्वेक्षण करने के बाद सरकार यदि निश्चित करे कि क्या परिवहन विभाग अपनी बसें बढ़ा सकता है। अगर बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा और अगर न बढ़ा सकें तो वह प्राइवेट लोगों को परमिट देकर जनता की तकलीफों को दूर करें। मैं इस बात को नहीं मानता कि माननीय मंत्री जी समाजवाद से विचलित होने के डर से किसी को प्राइवेट परमिट देने के खिलाफ रहे। हम चेयरमैन माओत्सेतुंग के समाजवाद को नहीं मानते कि जहां किसी को प्राइवेट रोजगार करने या व्यक्तिगत रूप से अपनी सम्पति रखने की मान्यता न हो। हमने गांधी और नेहरू के समाजवाद को माना है जिसमें यह व्यवस्था है कि हम निजी रोजगार द्वारा ऐसी व्यवस्था करें जिसमें जनता को तकलीफ न हो। मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी को इस पर खुले दिमाग से विचार करना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वे अपने विचार भी प्रकट करें।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि गांधी जी का समाजवाद क्या था ?

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

उनका किन-किन स्थानों पर किस तारीख से बसें बढ़ाने का कार्यक्रम है, चाहे वह एक साल में हो, या ६ महीने बाद हो पर इतनी संख्या में बसें बढ़ायी जायेंगी, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। या यदि ऐसा नहीं हो सकता तो उसे भी मंत्री जी बतला दें। मान्यवर, मुझे अक्सर मौका मिलता है बसों पर चलने का। एक-एक बस स्टेशन पर बारात के दिनों में, मेले के दिनो में एक मेला-सा लगा मिलता है। लोग टिकट के इन्तजार में खड़े रहते हैं, बसें आती हैं और चली जाती हैं। वे लोग गालियां हम सबको और सरकार को देते हैं। समय कम है अब मैं सूक्ष्म में कुछ सुझाव और दूंगा।

भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की गयी। अगर मूल्यांकन होता रहता तो यह स्थिति जो आज है, वह नहीं हो पाती। मैं किसी अधिकारी पर यह आरोप नहीं लगाऊंगा कि कौन भ्रष्टाचारी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे इसकी गन्ध आती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहां एक प्रश्न किया था कि कानपुर रीजन में जो भर्तियां अभी की गयीं उनमें नियमों का पालन कहां तक किया गया ? मंत्री जी जान लें कि आपका जो कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वैकेन्सीज

ऐक्ट है उसका पालन उनके विभाग में नहीं किया गया। अप्रैल, ६६ से लेकर अब तक, जहां तक मुझे सूचना है, कानपुर रीजन में ६०१ कर्मचारियों को भर्ती किया गया जिसमें ४९० को सीधे भरती किया गया, उसकी सूचना इस ऐक्ट के अनुसार सेवा योजन कार्यालय को नहीं दी गयी। अगर मूल्यांकन होता रहता तो यह स्थिति नहीं हो पाती। सन् ७० में ही १२७ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती सीधे कर ली गयी। इसमें से १६ आदमियों के रिक्त स्थान की सूचना सेवा योजन कार्यालय को दी गयी थी। भरती १२७ की की गयी। अब कोई बात तो इसमें अवश्य होगी। इस पर माननीय मंत्री जी और हमारे उच्चाधिकारी कृपया ध्यान दें कि क्यों उस सेवा योजन कार्यालय को सूचना नहीं दी गयी। अगर मेरी यह सूचना सही है तो माननीय मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिये कि वे इसको देखेंगे और इसकी जांच करेंगे। जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनसे पूछा जाय कि उन्होंने नियमों के विपरीत ऐसा कार्य क्यों किया।

अभी कुछ दिन पूर्व अखबार में पढ़ा था कि कानपुर वर्कशाप में जो बसें बेकार खड़ी हैं उनसे २५ हजार रुपये रोज की हानि हो रही है। करीब १५० गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जिनकी बाडी नहीं बनी है। अगर मूल्यांकन होता रहता तो यह चीज भी नहीं हो पाती। अधिकारियों को देखना चाहिये कि आखिर उन गाड़ियों की नुमायश वहां क्यों लगी हुई है।

एक बात मैं कानपुर के कलेक्टरगंज रोडवेज स्टेशन के बारे में और कहना चाहता हूं जो बरसों से बन नहीं पा रहा है। जो माननीय सदस्य वहां गये होंगे उन्होंने उस स्टेशन की हालत को देखा होगा कि वह कितनी खराब है। उस स्टेशन का फोटो भी मेरे पास है, माननीय सदस्य चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। टिकट लेने तक में यात्रियों को बेहद परेशानी होती है। न वहां यात्रियों के बैठने के लिये कोई स्थान है, न ही पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ठंडे पानी की व्यवस्था करा रखी है, मगर वहां उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह रोडवेज बस स्टेशन किसी भी उचित स्थान पर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये और उसे शीघ्र बनाना चाहिये ताकि यात्रियों को जो प्रदेश भर से वहां आते और जाते हैं कोई असुविधा न हो।

श्री अधिष्ठाता—

अपका समय अब समाप्त हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

एक सुझाव और देना चाहता हूं। आपके नियमों में म्युनिसिपल लिमिट में टेम्पो चलाने का प्राविधान है। इसे अरबन लिमिट कर दिया जाय। धन्यवाद!

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हो गया। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को एक चुनौती देना चाहता हूं। उन्होंने यह घोषणा की है कि आर० टी० ए० के मेम्बर्स, जो कि एम० एल० एज होते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिये उनको तोड़कर अफसरों की लाइन फिर से बना दी गई है। मैं उनसे कहता हूं कि आपकी बात गलत है और वे भ्रष्टारी नहीं हैं। मैं स्वयं उसमें था। हमने अपने जमाने में यह रेज्यूलूशन पास कराया कि कोई भी टेम्पोरेरी परमिट अब जारी नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो २५ बसें बिना परमिट के चल रही थीं उनको कैंसिल किया। ट्रांस्पोर्ट से संबंधित अनियमितताओं के मामलों में हमनें २०० से लेकर ५०० रुपये तक जुर्माना करके केवल एक सिटिंग में १० हजार रूपया वसूल किया। हम लोगों ने कोई नई परमिट

[श्री विश्वनाथ कपूर]

नहीं दी। तो यह सब कार्य उस आर० टी० ए० ने किये थे अब यह सदन स्वयं विचार करे कि यह काम भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला था या बढ़ाने वाला ? हमने यथाशक्ति वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया था। परन्तु कमिश्नर और आर० टी० ओ० ने टेम्पोरेरी परमिट जारी किये हम लोगों के निर्णय के बावजूद। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसकी प्रोसीडिंग्स को देख लें। जैसे ही यह सरकार आई, इसने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिये आभास दिया है। यहां एक लेटर हमारे पास २८ फरवरी, ७० का है, जिसका नम्बर १०९९ वी० सी० ओ०/७० है, यह पत्र डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर द्वारा मेसर्स बजाज आटो लिमिटेड, बाम्बे-पूना रोड, बाम्बे को लिखा गया है, इससे इनका भ्रष्टाचार आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। उस पत्र में लिखा गया है—

"With reference to this office letter No. 864-VCO/70, dated February 13, 1970, the list of allottees as asked for has not yet been received in this office, which may please be sent early. Scooters allotted out of the State Government quota for the quarters March-May and June-August, 1970, may not please be delivered to the allottees till further orders."

यह मंत्री जी ने खुद किया है, पहले के परमिट को कैंसिल करा दिया है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, मैं फैजाबाद शहर क्षेत्र से आया हूं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैंने पहले के मंत्री जी से कहकर एक फिएट कार एलाट कराई थी, किन्तु इस सरकार नें उसको कैंसिल कर दिया। क्या यह सरकार यह समझती है कि हम उस फिएट का ब्लैक कर लेते ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी बताएं कि उन्होंने उसको क्यों कैंसिल कर दिया। क्या उनके पास इसका कोई कारण है सिवाय राजनीतिक वैर के ? वह यह भी बताएं कि स्कूटर्स व वेंस्पा आदि के पहले के स्वीकृत एलाटमेन्ट को उन्होंने क्यों खत्म कर दिया। मंत्री जी के अंडर में एक सक्सेना जी हैं उनको आप पैसा दीजिए और परमिट स्वीकृत करा लीजिए। बिना पैसा दिये वह कोई काम नहीं करतें ही नहीं हैं। दूसरी चीज देखनें में यह आ रही है, जिसे मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी जब गुप्ता जी के साथ थे और उनको छोड़ने की बात थी तब झोपड़ी में रहनें की बात बताकर अलग हुए क्योंकि कुर्सी का लालच था।

(व्यवधान)

एक भूतपूर्व मंत्री हैं और मंत्री जी के साथ हैं जो अपने को गांधी जी समझते हैं और चुनाव में हार चुके हैं, उनके एक लड़के आर० टी० ओ० आफिस, लखनऊ में हैं जो घोर भ्रष्टाचार मचाये हुए हैं। वह बिना ४०–५० रुपया लिए कोई गाड़ी पास ही नहीं करते हैं। नतीजा यह है कि वह २ हजार रुपया रोज लेकर घर जाते हैं। लेकिन मंत्री जी कि हिम्मत नहीं है कि वह उसके भ्रष्टाचार को रोक सकें। क्योंकि वह उनके साथी का लड़का है। वह उनके बहुत बड़े दोस्त हैं इसलिये वह उनके लड़के के भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते।

अब मैं विभाग की एफिशिएंसी व डिसिप्लिन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। फैजाबाद डिपो में जब मई मास में डीजल तेल खत्म हो गया तो मालूम हुआ कि सारी की सारी गाड़ियां की टाइमिंग कैंसिल कर दी गई। वहां के ड्राइवर व कंडक्टर परस्पर लड़ते रहते हैं, परिणामस्वरूप बसें कई-कई घंटें लेंट हो जाती हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान देनें वाला नहीं है। यह आपकी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन का नमूना है। मंत्री जी वहां जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है।

श्री रूपराम (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। परिवहन विभाग की दशा को देखकर मैंने इसका नाम तीन शब्दों में रखा है। पहली बात इसके अफसर डंडे से, दूसरे मेकेनिक हथौड़े से और ड्राइवर खून पसीने से काम लेता है। मान्यवर, अफसरों के डंडे का हाल बहुत ही शोचनीय है, और वह ऐसा है जिसके लिए मैं कह ही नहीं सकता हूं। रोडवेज गाड़ियों के बारे एक नई कम्पनी और बना दी गई है। रुहेलखंड डिवीजन (बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद)

में इस कम्पनी का नाम रखा गया है ढकेल कम्पनी। इसका मतलब यह है कि पैसेन्जर बैठें, खुद धक्का देते हुए जायं और अपने सही स्थान पर पहुंच जायं। यह कम्पनी रूहेलखंड में है। बाकी जिलों में नहीं मालूम है, कहां-कहां यह नाम रखा गया है। दूसरी बात है, मेंकैनिकों नें दो डंडे बजायें, दो हथौड़े लगाये, उसमें से आवाज आयी, गाड़ी बोल रही है तो ड्राइवर के लिये आर्डर दे दिया कि गाड़ी सही है। ड्राइवर और कंडक्टर गाड़ी लिये जा रहे हैं, हेडलाइटें, सीटें, शीशें ऐसे नहीं हैं जो वहां पैसेंजर बैठ सकें। हमारे यहां ३८ सौ गाड़ियों का प्लान रखा गया है जिसमें मेरे खयाल से २ हजार गाड़ियां चल पाएंगी।

मान्यवर, एक मेरा सुझाव यह है कि बसें जिन रूटों पर चलायी जाती हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर बसें चलाना बहुत आवश्यक है, जैसे नहरों पर जसे बरेली बाइफरकेशन का रूट है, जिससे सरकार को काफी आमदनी होती है। बहुत सी नहरों पर गांव और कस्बें पड़ते हैं जिन पर पैसेंजर वगैरह आसानी पूर्वक चल सकतें हैं। दूसरी बात यह है कि जहां ड्राइवर, कंडक्टर इतना खून-पसीने बहा कर गाड़ी चलाते हैं उनके लिये सुविधाएं देखिये। जो आफिस में बैठते हैं सरकार ने उनके लिये १४ छुट्टियां कैजुएल, एक महीने का मेडिकल, जो खून पसीना से काम करता है उसके लिये ६ कैजुअल। दूसरी बात यह है कि उन की ड्यूटी देखिये। वे दस बजें आयें और चार बजे चले जायं और जो १४–१६ घंटे काम करें उनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं। न बैठने की, न उठनें की। तीसरी बात यह है कि किसी सदस्य ने इस बात को नहीं कहा है मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं उसी श्रेणी में रह चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रूपराम—

मान्यवर, ड्राइवर, कंडक्टर कें लिये उसकी सिलाई के लिए·····

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

मान्यवर, कांग्रेस ने २० साल कें अन्दर कोई समस्या हल नहीं की है। उसी तरह से परिवहन की समस्या का विकास होता गया। रोग बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जैसे जैसे प्रबन्ध करते गये उसी तरह से समस्या का विकास होता गया। परिवहन की समस्या का बड़ा विकास हुआ। आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा फिरता है। कोई जगह नहीं है। बसों में देखेंगें सवारियों पर सवारियां लदी हुई हैं। रेलों और बसों में भेंड़ों की तरह आदमी भरा हुआ होता है। चाहे इंडिकेंट हो या सिंडीकेंट, बड़ें-बड़े नारे लगाये जाते हैं लेकिन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है और सब की आंखें कुर्सी की तरफ लगी हुई हैं लेंकिन देश की समस्याओं का हल करनें की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जहां तक परिवहन का सवाल है आगरा जिलें में बसों की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट बसों को चलने नहीं दिया जाता है और सड़कों पर सरकारी बसों का प्रबन्ध है नहीं। या तो प्राइवेट बसों को चलने दिया जाय अथवा सरकारी बसों का प्रबन्ध यह सरकार करे।

परिवहन कें सम्बन्ध में पश्चिमी जिलों तथा पूर्वी जिलों की भी बड़ी चर्चा की गयी। दोनों में बड़ा फर्क व अन्तर है। इतना बड़ा प्रदेश है और मंत्री बड़ें थोड़ें हैं जिससे आपस में बड़ा झगड़ा चल रहा है। ४२६ विधायक उत्तर प्रदेश विधान सभा में हैं। राजस्थान में दो विधायकों पर एक मंत्री है और उस हिसाब से अगर यहां १५० मंत्री होते तो अच्छा रहता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह परिहार]

मंत्रिमंडल में जो झगड़ा चल रहा है वह मंत्री बनने के लिये चल रहा है, कुर्सी के लिये झगड़ा चल रहा है और समस्या को हल करने के लिये सिद्धांतों के लिये कोई झगड़ा नहीं है। जब संबिद सरकार थी उसमें जो झगड़ा हुआ वह सिद्धांतों के लिये हुआ इसलिये वह टूटी लेकिन यह सरकार टूटेगी तो कुर्सी के झगड़े के लिये टूटेगी। मेरा कहना है कि कोई भी सरकार बने वह सिद्धांतों के आधार पर बनें तथा स्थायी बनें ताकि जनता की समस्याओं को हल कर सकें।

*श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है विधायकों के लिये जो ५,१०,और २५ पैसे के कूपन्स की व्यवस्था की गई है इसके बजाय अच्छा हो यह व्यवस्था करें कि विधायक अगर लखनऊ से बाराबंकी जाना चाहता है तो कंडक्टर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखला दे। इससे विधायकों को अधिक सुविधा होगी।

नगरों में अधिकतर घटनायें होती हैं। पंजाब के अन्दर प्रमुख नगरों में बाई पास रोड्स निकाल दी गई हैं। नगरों में रश होने के कारण ट्रैफिक में रुकावट पड़ती है लिहाजा बाई पासेज की सुविधा से ट्रैफिक पास हो जाती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य है उन्हें मालूम होना चाहिये। मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग और ट्रांस्पोर्ट आपस में मिले हुए हैं। म समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और उसकी जांच करवा कर देख लेंगे। इसक अतिरिक्त म आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि जनरल मैनेजर और आर० टी० ओ० के जो आफिसेज हैं वे रेजीडेन्स कम आफिसेज न रहें। क्योंकि श्रीमन्, ये दिन भर अपने रेजीडेन्स में रहते हैं, अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आफिस का काम देख नहीं पाते हैं। अतः इनके आफिस और रेजीडेन्स अलग-अलग होने चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह पर आर० टी० ओ० और जनरल मैनेजर दोनों के रेजीडेन्स कम आफिस एक ही साथ हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें।

(इस समय ४ बजकर ४२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, मुझे मेरे एक मित्र नें बताया कि शासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया था कि जो ड्राइवर पूरे वर्ष में कोई एक्सीडेन्ट नहीं करेगा उसको कोई अवार्ड दिया जायेगा किन्तु शासन अपने लिये हुये निर्णय और दिये गये आश्वासन पर गौर नहीं कर रहा है। अतः इस पर शासन को ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो परमिट ट्रकों के लिये एलाट किये जाते हैं वे पूरे प्रदेश के लिये एलाट किये जाने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि १०० और १५० किलोमीटर तक ही उस परमिट को सीमित रखा जाय मान्यवर, उन्हें पूरे प्रदेश में आने जाने की छूट होनी चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि मान्यवर, हम अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उनसे कम रोड टैक्स नहीं लेते हैं। काफी लेते हैं। अतः उन्हें पूरे प्रदेश में घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि रोडवेज स्टेशनों पर यात्रियों की बहुत भीड़-भाड़ रहती है। रोडवेज के जो स्टेशन बने हुये हैं वे बहुत ही संकुचित बने हैं। इसकी मैं अगवानी करता हूं कि आज दिन-प्रति-दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है अतः इन स्टेशनों को संकुचित न रखकर इन्हें बढ़ाना चाहिए। इसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ ही साथ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेशन पर जो अनपढ़ लोग रहते हैं, बस का टिकट ले लेते हैं, बस छूट जाती है और उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कब बस छूटी। तो इस प्रकार उनका वह टिकट बेकार हो जाता है। अतः मैं यह चाहूंगा कि या तो उन लोगों के पैसे वापिस करवा दिये जायं या उन्हें किसी दूसरी बस में उनके स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी को करनी चाहिए। पंजाब में इसी प्रकार अनपढ़ लोगों के लिये व्यवस्था की गई है। बस और टिकट पर नम्बर दिये गये हैं। जैसे कि लखनऊ से बाराबंकी जाने के लिये नम्बर ४ रख दिया है। तो कोई भी यात्री यह पूछ कर नम्बर ४ की बस पर बैठ जायेगा। तो उसी प्रकार अनपढ़ों के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और उन माननीय सदस्यों के प्रति कि जिन्होंने परिवहन विभाग और वहां के कर्मचारियों के बारे में मेरा ध्यान दिलाया। कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे दिये हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में इतनी अधिक बातें कही हैं और कुछ सुझाव भी दिये हैं तथा साथ ही कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। किन्तु यदि मैं उनमें से हर एक का उत्तर देने लगूं तो शायद मेरे पास समय नहीं रहेगा समय के अभाव के कारण उनकी चन्द बातों का उत्तर ही दे सकूंगा। मान्यवर, सर्व प्रथम जो मुझे यहां पर चुनौती दी गई है मैं उसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। स्कूटर और गाड़ियों को परमिट देनेकी प्रथा रही है। जब से मैंने यह भार सम्हाला तो मैंने यह कहा था कि यह काम एक मिनिस्टर नहीं करेगा। मिनिस्टर के लिये यह बहुत ही गलत बात है। और उसके परिमिट और कोटे के लिये तीन आदमियों की एक कमेटी जो कि पहले से बनी हुई है और अधिकारी उस कमेटी में हैं उनको अधिकार दे दिया गया है। उसके लिये एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि इतना विधायकों के लिये दिया जायेगा, इतना राज्य कर्मचारियों के लिये दिया जायेगा और इतनी संख्या अन्य लोगों के लिये रख दी गई है। उसके लिये एक फार्म होता है। मैं समझता हूं मैंने अभी कोई स्कूटर या गाड़ी के परमिट पर हाथ नहीं लगाया है। पता नहीं उन्होंने यह कैसे कह दिया। मुझ से गांधी जी की भी बात कही गयी लेकिन मैं तो मामूली इंसान हूं और यह दावा भी नहीं करता कि मैं त्यागी तपस्वी हूं, माननीय मित्र हरिश्चन्द्र हों तो पता नहीं। इसलिये अगर वे पहले उस बात को जान लेते और फिर बात कहते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां कम चल पाती हैं और प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा चलती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि १,३०० गाड़ियां हमारी आफ रूट हैं। तेरह सौ नहीं ४९७ हैं जो आफ रूट हैं, आपने कुछ ज्यादा कह दीं और ५०० प्राइवेट गाड़ियां ७०० कि० मी० पर चलती हैं लेकिन उन्होंने ज्यादा कि० मीटर कह दिया। उनकी सूचना गलत है, कृपया उसको ठीक कर लें।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां बसों की कमी है। मैंने शुरू में ही इस बात को कहा था कि इस नये बजट में ७०८ नयी गाड़ियों को खरीदने का प्राविधान हमने रखा है। वह खरीद की जायेंगी। और जो पुरानी बसें हैं उनको नीलाम किये जाने का जो सुझाव रखा है उसकी देखभाल की जायगी। साधारण रूप से जो बस १०० माह या ५ लाख कि० मीटर चल लेती है उसको हम खत्म करते हैं। कुछ इससे ज्यादा चलती हैं लेकिन उनमें खतरा रहता है। जब तक काम करती रहती हैं तब तक चलती रहती हैं। यह सही है कि अगर हम उनको जल्दी से रिटायर कर देंगे तो लोगों को तकलीफ कम होगी लेकिन नयी गाड़ियों के अभाव में हमको यह करना पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामजी लाल सहायक]

विभाग के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये। आर० टी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों के बारे में कहा गया। हमारा यह विचार है विभाग के सुधार के लिये हम एक कमेटी का गठन करें जो हमें यह परामर्श दे कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको करके हम विभाग में सुधार कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने बोनस का सवाल भी उठाया। लेकिन यह एक सरकारी विभाग है, फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री होती तो बोनस का सवाल आ सकता था। उसके लिये हम यह विचार कर रहे हैं कि अपने श्रमिकों को काफी सुविधायें प्रदान करें। छुट्टी ही नहीं पैसे की सूरत में भी उनको सुविधा देने का हम सोच रहे हैं जिससे उनको इन्सेन्टिव मिले। जल्दी ही इस विषय में कोई निर्णय लिया जायगा।

स्थायी आदेशों की बात कही गयी। स्थायी आदेश कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। दिक्कत यह है कि हर रीजन से हमें लिखा-पढ़ी करनी पड़ती है, वहां से सूचना मंगाने में कुछ दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारा विश्वास है कि जल्दी ही आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे।

परमिट के सिलसिले में भी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैंने आरंभ में ही यह निवेदन कर दिया था कि परमिटों को उदारता के साथ दिया जा रहा है। जब हम परमिटों को उदारता के साथ देंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि अधिक प्राइवेट बसेज को परमिट मिल जायगा और मार्गों पर ज्यादा बसेज हो जायंगी। इसलिये बार-बार इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां जो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी कमी है। यह नीति का प्रश्न है, इस पर हम विचार करेंगे कि जो मामले पड़े रहते हैं वह जल्दी से जल्दी समाप्त किये जा सकें। इस संबंध में भी हम जल्दी कुछ कार्यवाही करेंगे।

कर्मशाला, कानपुर के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत जोर दिया। यह सही है कि वहां काफी खराबी है। कुछ माननीय सदस्यों ने सी० आई० डी० जांच की भी बात कही। हमारा भी विचार हो रहा है। लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं जिससे कर्मशालाओं में जो गड़बड़ी हैं वह रुक जांय। इस सिलसिले में हमने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित कर दी है जो जा कर कर्मशालाओं को देखेगी और जो सुझाव देगी कि क्या-क्या किया जाय जिससे कर्मशालायें अच्छी बन सकें। किराए में बृद्धि की बात कही गयी। मैं समझता हूं कि यह बात गलत है, कोई किराया बढ़ाया नहीं गया। केवल अन्तर इतना है कि हमारे वह मार्ग जो रेलवेज के पैरेलल हैं उन पर कुछ कम किराया लेते रहे हैं और वह मार्ग जो रेल के पैरेलल नहीं हैं उन पर ज्यादा किराया होता है। अब यह निश्चय हुआ कि उच्चतम और न्यूनतम सीमा के बीच में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को किराया बढ़ाने या घटाने का अधिकार है तो अभी तक तो सीमा के बीच में ही बढ़ाया गया है और यह अब नहीं बढ़ाया गया है बल्कि पहले से लिया जा रहा है। इसलिये यह कहना कि अब बढ़ाया गया, गलत है।

मान्यवर, एक बात आयी और जो सही है कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की विभाग में कमी है। मैं भी इस बात को मानता हूं। कुछ वर्गों में तो वह केवल ५ परसेंट हैं। एक आध वर्ग में, जो चौथा वर्ग है, उसमें १२ परसेंट हैं। फिर भी १८ परसेंट से कम हैं। १९,५७० में २,६९२ कुल अनुसूचित जाति के हैं चौथे वर्ग में जो १२ परसेंट होता है। हमारे यहां से एक राजाज्ञा चली गयी है ३० जनवरी, १९७० को जिसके अनुसार जो नयी भरती की जांय उनमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को ४५ प्रतिशत की दर से लिया जाय ताकि १८ परसेंट पूरा हो सके। हमारी कोशिश है इस तरफ और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस प्रश्न पर जागरूक हैं कि हमारी अनुसूचित जातियों का संरक्षण पूरा हो सके।

एक प्रश्न उठाया गया कर्मचारियों को पास दिये जाने का। यह सही बात है और मैं भी सड़क पर गया हूं तो अपनी ही रोडवेज बसेज में हमारे ही यहां के कंडक्टर्स, ड्राइवर्स वगैरह काफी बड़ी तादाद में बिना पास और बिना टिकट के पाये गये। उस रूप में तो उन्होंने गलती की लेकिन हमारा यह विचार है कि उन्हें पास दिया जाना चाहिये और हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लेंगे।

जांच के लिये स्क्वाड्स बढ़ा रहे हैं रोडवेज में भी, आर० टी० ओ० शाखा में भी ताकि जांच हो सके और जो सड़क कानून तोड़ते हैं उनको सजा दी जा सके।

सीधे भर्ती होती है विभाग में और अभी रघुनाथ सिंह जी बता रहे थे कि उसमें गड़बड़ी होती है, यह सही बात है। हमने विचार किया कि हर रीजन में हम एक समिति बना दें और उस समिति के द्वारा वहां पर भर्ती की जाय ताकि जो एक आध अधिकारी को अधिकार है और वह गड़बड़ी करते हैं वह न कर पाएं।

आपने सुझाव दिया प्लानिंग और डेवलपमेंट का। बहरहाल, इस नाम को तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारा विचार है कि एक कमेटी हम बनायें जो पूरे विभाग को देखे और हमें परामर्श दे कि किस तरह से कार्य करें कि अच्छा कार्य हो सके और जनता की सेवा हो सके।

कानपुर एक बड़ा शहर है और वहां कलेक्टरगंज में बस स्टेशन बनाने की पिछले ६–७ साल से कार्यवाही चल रही है। मुझे बताया गया कि इतने दिनों से नक्शा ही बन रहा है। हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर वह जिम्मेदारी रही है और मैंने विभाग से कहा कि वह जल्दी बनाये नहीं तो उस काम को अपना विभाग ले क्योंकि वह एक बड़ा शहर है और गन्दगी है, यह बात सही है।

एक-आध साथी ने टेंपो के बारे में कहा, अभी तक जो टेंपो चलते हैं उनमें म्युनिसिपल लिमिट लिखी हुई है। मैं भी समझता हूं कि अगर उसकी जगह "अरबन" शब्द लिख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि टाउन एरियाज बच जाते हैं, नोटिफाइड एरियाज बच जाते हैं। मुमकिन है वहां भी टेंपो चलने लगें और लोगों को सुविधा मिल सके। इस पर विचार किया जायगा और निश्चय लिया जायगा।

मान्यवर, कुछ और विधायक साथियों ने एक प्रश्न उठाया अपने कोटे का, तो मैं उस दिक्कत को भी मानता हूं। अभी तो नहीं कह सकता, कुछ दिन उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, पहले कुछ जायजा निकाल लें, फिर विश्वास रखिए कि आप तो पास की बात कहते हैं, हम ऐसी युक्ति निकालेंगे कि अधिक से अधिक सुविधा मिले और यह बोझा भी आपके ऊपर न रहे। विधायकों के लिये सीट संरक्षण की बात आई। पहले प्रथम श्रेणी थी। हमारे साथियों ने आवाज उठायी कि यह खत्म होनी चाहिये, संभवतः उस वक्त तक यह सुविधा नहीं थी, वह खत्म हो गई, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। यह भी एक नीति का सवाल है हम विचार करेंगे अगर फिर लागू कर सकें।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। केवल जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि हमने ३४९ कर्मचारियों को निलंबित किया जो भ्रष्टाचार में पकड़े गये। १३२ कर्मचारी सेवाओं से अलग कर दिये गये हैं। २२ कर्मचारियों के मामले विजिलेंस में चले और कहीं से भी कोई भ्रष्टाचार की हमारी जानकारी में कोई बात आयेगी तो हम कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय साथियों से निवेदन करूंगा कि वह कृपया इन अनुदानों को पास करें।

एक सदस्य—

एक स्पष्टीकरण चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब उसकी जरूरत नहीं है ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३७—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २९,७५,६६,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,४४,९१,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५६ तथा ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपके सामने यह सूचना देना चाहता हूं कि एक तो प्रश्न यह आया है नियम ५६ के अन्तर्गत, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी तथा अन्य का :—

"सरकार द्वारा नियुक्त जिला परिषदों के प्रशासकों द्वारा अपने अधीनस्थ अध्यापकों की सेवा मुक्ति के संबंध में"—मैंने यह कामरोको प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन नियम ५१ में परिवर्तित कर दिया है । इसके साथ और भी कल ६ आये थे, देवरिया का और अन्य दो चार जगह का प्रश्न था—बहुत से अध्यापकों को निकाल दिया गया है । वह सब एकत्रित करके सरकार वक्तव्य दे, यह कर दिया गया है ।

इसके बाद जो और हैं, ७ आये थे, उनमें से भी एक इसी तरह का है जो कि अध्यापकों के बारे में है । बाकी में से एक मैंने स्वीकार किया है —वह है मिर्जापुर के संबंध में । वहां पर जो एक ताजिया अभी तक दफनाया नहीं गया और जिले में चुनार के इलाके में कुछ झगड़ा भी हो गया है तो यह खतरा होने की वजह से कि कहीं हिन्दू मुस्लिम दंगा न हो जाय ऐसा हुआ । इस वास्ते मैंने उसको एक ध्यान आकृष्ट करने का स्वीकार किया है अकेले । बाकी किसी को स्वीकार नहीं किया है । जिनको स्वीकार नहीं किया है उनको पढ़ कर सुनाये देता हूं । एक तो श्री कल्पनाथ सिंह का है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के छात्रों ने परीक्षा

फार्म भरे हैं या नहीं भरे हैं उनको बैठने से प्रतिबन्धित कर दिया है इत्यादि । इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ११ तारीख तक कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है तो नियम ५२ में स्वीकार करूंगा, नियम ५१ में लेने से कोई फायदा नहीं होगा ।

दूसरा श्री सुरेन्द्र विक्रम का है । इसमें २१ / ६ लिखा है, मैं समझता हूं शायद यह २१ मई होगी । २१ / ६ तो हो ही नहीं सकती । यह थाना गुन्नौर (बदायूं) के अफसर दोयम, श्री त्यागी द्वारा ग्राम कला, थाना गुन्नौर के निवासी, श्री बाबूराम शर्मा की हत्या गुंडों द्वारा कराने के बारे में है । इसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एक ही हम स्वीकार कर सकते हैं और वह बहुत महत्व का था, कई रोज से चला आ रहा था, उसको मैंने स्वीकार किया मिर्जापुर में ताजिया वाला क्योंकि इस में बलवा का डर है ।

अगला श्री राजित राम पांडे, श्रीराम चरन त्रिपाठी और श्री राम पूजन पटेल का है थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद के क्षेत्रों में पुलिस वर्दीधारी डाकुओं द्वारा लूट-मार से आतंक के बारे में । इसको भी स्वीकार नहीं किया है । एक है श्री भगेलू सिंह का मथुरा शहर की दो लड़कियों को अगवा किये जाने के संबंध में । घटना की रिपोर्ट थाना में अंकित कर दी गई है । १९ अप्रैल का मामला है, अविलम्बनीय हो नहीं सकता । इसलिये मैंने स्वीकार नहीं किया ।

एक ग्राम सेखपुर, जिला आजमगढ़ में डकैतों द्वारा दो व्यक्तियों को मार डालने से स्थिति अत्यन्त खराब हो जाने के संबंध में है । इसको भी स्वीकार नहीं किया है । एक स्वीकार करना था वह स्वीकार कर लिया है । एक और है श्री राम विलास पांडेय का (बेवा) श्रीमती राजदेयी, जिला जौनपुर का ४,५०० रु० पुल्ली यादव द्वारा हजम किये जाने के बारे में । श्रीमती राजदेयी , पत्नी भैरों दीन, उर्फ मकाई यादव, मौजा भटपुरा, पोस्ट पटेल, जिला जौनपुर, श्री लक्ष्मी शंकर यादव, मंत्री सहकारिता की सगी मौसी की बहिन हैं । श्रीमती राजदेयी के पति काफी रुपया कमा कर लाये थे इत्यादि । वह रुपया जमा किया था । कहा जाता है कि श्री पुल्ली जो सहकारिता मंत्री के पिता हैं उन्होंने उसको निकालने का प्रयत्न किया और निकाल ले गये । यह इतना महत्व का नहीं मालूम हुआ इसलिये स्वीकार नहीं किया ।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद में १५ दिन से लगातार डकैतियां पड़ रही हैं । रौना, पैगम्बरपुर, सेरडी, उचराव, बरवा, करछना में डकैतियां पड़ीं, डाका डालने वाले पुलिस के भेस में आते हैं और घरों में चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तलाशी लेंगे और लोगों को मारते हैं और कत्ल कर देते हैं और डाका डालते हैं । इलाहाबाद में हालत खराब है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है । इस गरमी के समय में लोग मकानों के अन्दर सोते हैं । मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें । जब से स्वच्छ प्रशासन चला है चौधरी साहब का तब से चोरियां और डकतियां बढ़ गई हैं, ऐसा स्वच्छ प्रशासन चला है । अगर यही हालत रही तो इलाहाबाद बिलकुल लुट जायगा ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैंने नियम ५२ में एक सूचना दी थी । अध्यापक हजारों की संख्या में निकाले गये हैं । केवल मेरठ में १,५०० अध्यापकों को निकालने की नोटिस दी गई है ।

श्री अध्यक्ष--

उनको हम वक्तव्य में शामिल कर लेंगे ।

श्री मोहन लाल कपूर--

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का है, इसमें बहस स्वीकार करनी चाहिये । १५, २० वर्ष हो गये अध्यापकों को सर्विस करते हुए उनको निकाल दिया गया तो कहां जायेंगे । तो मैं चाहूंगा कि नियम ५२ के अन्तर्गत इसको स्वीकार करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सरकारी पक्ष की ओर पंखे चल रहे हैं और हम लोगों की ओर बन्द करा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह मालूम होता है डिस्क्रिमिनेशन है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, यह डिजाइन्ड है।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, एक और व्यवस्था का प्रश्न है। जो मंत्री दारुलशफा में रहते हैं उनके यहां कूलर लगा है और हम लोग जो उनके लिये नियम ५१ और ५२ का मसाला लाते हैं उनके यहां कूलर नहीं है जबकि हमको ज्यादा जरूरत है। इसके लिये माननीय तिवारी जी कुछ कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मोहन लाल जी ने नियम ५२ का दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुनर्विचार करूंगा और इजाजत देने की कोशिश करूंगा।

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

मैंने, मान्यवर, नियम ५१ में दिया है पुलिस की निष्क्रियता के बारे में। ११ अप्रैल, १९७० को मथुरा शहर में दो लड़कियों को अपहृत कर लिया गया। लता पुत्री, दीवान शंकर और मुन्नी, पुत्री राम नारायण कहार। १३ अप्रैल, १९७० को पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गई और १९ अप्रैल, १९७० को लता की बरामदगी के बाद लड़कियों के पिताओं ने पुलिस कप्तान के यहां २९ अप्रैल, १९७० को दरख्वास्त दी कि लड़कियों के दफा १६४ जा० फौ० के अन्तर्गत कलम बन्द बयान करा लिये जाएं। एस० पी० ने आदेश भी दिया। मान्यवर, नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह माननीय मुख्य मंत्री जी के दल के विधायक हैं। मान्यवर, पुलिस पर दबाव पड़ रहा है इस कारण मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें।

श्री श्याम लाल—

श्रीमन्, उससे काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, पूरा वक्तव्य आयेगा तभी काम चलेगा। श्रीमन्, जो कानून की साधारण गति है वह भी रुक गई है। मुख्य मंत्री जी के दल के विधायक का मामला है अगर किसी साधारण आदमी का मामला होता तो पुलिस तत्परता से कार्यवाही करती।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछ लें तो पता चल जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रश्न से पूरी तस्वीर नहीं आयेगी। विधायकों का नाम यह लेना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि सरकार ही बतावे। श्रीमन्, इतना सच है कि जो साधारण कानून की गति है वह रुकी हुई है। घटना अप्रैल की है और १६४ दफा में नामजद होने के बावजूद भी मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किये जा रहे हैं। चूंकि यह माननीय मुख्य मंत्री के दल से संबंधित विधायक हैं इसलिये अविलम्बिता नहीं खत्म हुई।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा। मैं विचार करूंगा और मैं आपको बता दूंगा।

आज सबसे ज्यादा महत्व का प्रश्न मुझको वह मालूम हुआ जिसमें मिर्जापुर में मारपीट हुई और ताजिया नहीं दफनाया जा सका। अभी तक यह समस्या कायम रहने के कारण और महत्व का होने से मैं ले लेता हूं। दूसरा और कोई प्रश्न मैं नहीं ले सका।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, वह भी तो कान्टीन्यूएशन का है। कल कृपा कर उसको ले लें।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था उसको आपने नहीं लिया और दूसरे आपके समक्ष नगन्य है। आजमगढ़ में ५ आदमी जो डाकुओं के खिलाफ थे उनको मार डाला गया। कोई रिपोर्ट तक उसकी आतंक के कारण दर्ज नहीं करवाने जा रहा है। आप कहते हैं कि वह कोई महत्व का नहीं है। एक थाने में दो-दो जगह पर डकैतियां पड़ीं और दो आदमी तो उसी समय मार डाले गये और रिपोर्ट को लिखवाने के लिये कोई नहीं जा सका। गांव भर को खदेड़ा गया और लूटा गया। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप इसको अवश्य ही स्वीकार करें नहीं तो हम लोग वहां पर रह नहीं सकते हैं। गांव वाले गावों को छोड़ कर भाग रहे हैं और शहरों में जा रहे हैं। इस प्रकार का आतंक वहां पर फैला है।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको दो तीन दिन तक लगातार दें।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद में भी मान्यवर, यही हालत है। डाकू पुलिस की वर्दी में आते हैं और लोगों को लूटते हैं। निश्चित रूप से इन डकैतों में पुलिस का हाथ है। आप कृपा कर इस विषय में मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य दिलवा दें। इसकी सूचना अविलम्ब टेलीफोन के द्वारा महंगाई जाय। यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

श्री हिम्मतसिंह—

इसका वक्तव्य अवश्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

श्री राजितराम पांडेय ने भी यही प्रश्न पूछा है। आप बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे उस समय तो तीन एक्सीडेंट्स हो गये थे जिस कारण उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया था। परन्तु मान्यवर, जब से चौधरी साहब मुख्य मंत्री हुए हैं लोगों ने अपने घरों से बाहर तक सोना छोड़ दिया है। आये दिन खून, लूट मार तथा डकैतियां पड़ा करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य दे दें ताकि यहां पर प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जाय। मान्यवर, यह बहुत महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृषि मंत्री अब अपना वक्तव्य दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मुझको एक मिनट और दें। कृषि मंत्री जी का जो वक्तव्य है वह हम लोगों को मिला है और उसको हम लोगों ने पढ़ा है। यह वक्तव्य ठीक वही वक्तव्य है जैसा कि उन्होंने माननीय असरार अहमद के प्रश्न पर कहा था। मान्यवर, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो परिपत्र आया है उसको सदन के सम्मुख पेश करना चाहिये। यह वक्तव्य असत्य है, सत्य से परे है। केंद्रीय सरकार ने जो सरक्यूलर भेजा है उसको यहां प्रस्तुत किया जाय। इनका वक्तव्य तो सत्य से परे है, यह गलत है।

(व्यवधान)

लघु कृषक विकास संस्था की स्थापना संबंधी केन्द्रीय योजना का उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री गिरजाशंकर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, इसको पढ़ा हुआ मना लिया जाय। विरोध पक्ष के हम सब लोगों का यह अनुरोध है कि इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

एक सदस्य—

हम लोगों को तो मालूम नहीं है श्रीमन् कि इसमें क्या लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सारा सदन तो यह बात कहता नहीं है। मैं नहीं मान सकता हूं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मैं भी तो उसको समझ लूं।

श्री शिवराज सिंह—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने यह अनुभव किया कि यद्यपि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन पर काफी बल दिया गया तथा इसके लिये बहुत धनराशि व्यय की गई एवं यद्यपि कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज देने वाले बीजों का अनुसंधान करके गेहूं के उत्पादन में एक क्रान्ति ला दी और देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है फिर भी इन सब प्रयासों से विशेष कर प्रगतिशील

तथा बड़े-बड़े किसानों को ही लाभ पहुंच पाया है। छोटे किसानों की आमदनी में पहले की अपेक्षा अन्तर तो अवश्य आया है, परन्तु कृषि उत्पादन में आधुनिक विज्ञान की देन के कारण जो क्रान्तिकारी प्रगति हुई है उससे बड़े किसानों को ही विशेष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचा है। इस असंतुलन के कारण एक ओर बड़े किसानों तथा छोटे किसानों के बीच अन्तर बढ़ गया है, दूसरी ओर शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि जब तक छोटे किसानों को कृषि विज्ञान में आधुनिक उन्नति का पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक बढ़ती हुई जन-संख्या को देखते हुये खाद्यान्नों में पूर्ण रूप से आत्म-निर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा एवं साथ ही साथ जनता का सबसे बड़ा हिस्सा पूर्ण आर्थिक विकास से वंचित रह जायेगा। यह समस्या केवल छोटे किसानों की व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति की समस्या नहीं है, वरन् व्यापक राष्ट्रीय हित की उपलब्धि की समस्या है। चूंकि देश के अधिकतम किसानों के पास बहुत छोटी जोतें हैं, राष्ट्रीय हितों की रक्षा तभी हो सकेगी जब छोटे किसानों की जोतों से जो अतिरिक्त खाद्यान्न में उत्पादन की विशाल सम्भावनायें हैं उनका पूर्णरूपेण उपयोग किया जाय।

२—इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर महत्व दिया। केन्द्रीय सरकार ने "लघु कृषक विकास संस्था" नाम की एक प्रयोगात्मक अग्रगामी योजना प्रस्तुत की है। समग्र भारत में ऐसी ४६ योजनायें होंगी एवं प्रत्येक योजना पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अनुमानित व्यय १.५० करोड़ रुपया होगा, जो राज्य सरकार की चतुर्थ योजना परिव्यय के बाहर शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में होगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक हैक्टर ढाई एकड़ से लेकर तीन हेक्टर (साढ़े सात एकड़) तक छोटी जोत वाले एक संहत क्षेत्र में रहने वाले लगभग ५० हजार से ६० हजार किसानों को कृषि उत्पादन सम्बन्धी समस्त विषयों में तकनीकी सहायता तथा आवश्यकतानुसार कृषि सामग्री को यथासमय उपलब्ध कराना तथा सहकारी एवं संस्थागत ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं में ऐसे ऐसे कृषकों को ऋण दिलाने के लिये समस्त प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करना है। यह संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार निबंधित स्वायत्तशासी संस्था होगी जिसे समय समय पर आवश्यकतानुसार धनराशि, ऊपर लिखित १.५० करोड़ रुपये की सीमा तक, भारत सरकार द्वारा सीधे दी जायगी। यह संस्था छोटे किसानों को स्वयं ऋण नहीं देगी परन्तु सहकारी समितियों, व्यवसायिक बैंकों, कृषि उद्योग निगम, भूमि विकास बैंक इत्यादि स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराने के लिये इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी तथा कृषकों की अर्थ व्यवस्था को उन्नत करने के लिये "कैटेलिटिक एजेन्ट" के रूप में कार्य करेगी। उक्त स्वायत्तशासी संस्था का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा एवं जिला स्तर पर कृषि, सिंचाई, विद्युत् पशुपालन इत्यादि विभागों के अधिकारीगण इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा परियोजना क्षेत्र मे आने वाले एक से तीन हेक्टर तक की जोत वाले दो छोटे किसान भी इसके सदस्य होंगे। इस संस्था का सचिव तथा परियोजना अधिकारी पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो संस्था के आदेशानुसार तथा जिलाधिकारी की निगरानी में इसका कार्य सम्पादन करेगा।

३—समग्र भारत के लिये निर्धारित ४६ ऐसी परियोजनाओं में से उत्तर प्रदेश को अब तक ४ परियोजनायें जिला फतेहपुर, राय बरेली, प्रताप गढ़ तथा बदायूं के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत में एक से तीन हैक्टर तक की छोटी जोत वाले किसानों का २४.४ प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है जिसके आधार पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बारम्बार विशेष रूप से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश को कम से कम ११ ऐसी परियोजनायें स्वीकृत की जांय। इस विषय में मैंने प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री से स्वयं मिल कर मौखिक तथा लिखित रूप से उनसे विशेष रूप से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों की सर्वाधिक संख्या को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार उत्तर प्रदेश को ११ जिलों में ऐसी परियोजनायें स्वीकृत करे। मुख्य मंत्री जी ने भी इस विषय में प्रधान मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह किया है कि ११ ऐसी परियोजनायें उत्तर प्रदेश को अवश्य दी जांय। केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे छोटे किसानों की

[श्री शिवराज सिंह]

संख्या को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा है ।

४—अब प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के लिये स्थान का चुनाव करने के लिये क्या आधार निर्धारित किया था । भारत सरकार से इस विषय मे जो सामान्य निर्देश प्राप्त हुये थे वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) ऐसे क्षेत्र जहां पर्याप्त संख्या में छोटे परन्तु उन्नति करने । सक्षम तथा सहायता के इच्छुक किसान उपलब्ध हों । भारत सरकार ने इसका यह स्पष्टीकरण किया है कि एक ऐसा संहत क्षेत्र होना चाहिये जहां लगभग ५० से हजार ६० हजार तक छोटे किसान एक साथ उपलब्ध हों । भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि छोटे किसान का अर्थ यह समझा जाय कि ऐसे किसान जिनके पास एक से तीन हैक्टर तक अर्थात ढाई एकड़ से साढ़े सात एकड़ तक की जोत उपलब्ध हो ।

(२) ऐसे क्षेत्र जहां सहकारी समितियां , केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक की संरचना समुचित रूप से शक्तिशाली हो एवं ऋण देने के लिये सक्षम हो ।

(३) ऐसे क्षेत्र जहां भूतल तथा भूमिगत जलीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों ।

५—उपरोक्त सब बातों का साथ साथ होना आवश्यक है । योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से बात चीत के दौरान उन्होंने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परियोजनायें, प्रयोगात्मक एवं अग्रगामी योजना होने के कारण उन्हें कार्यान्वित करने के लिये ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिये जहां छोटी जोत वाले किसान एक संहत क्षेत्र में होने के साथ साथ कृषि उत्पादन के विकास के लिये आवश्यक मौलिक संरचना । (बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध हो । ऐसा क्षेत्र जहां विकास की आवश्यकता होते हुये भी आवश्यक सिंचाई क्षमता बनाने के साधन, ऋण देने वाली शक्तिशाली संस्थायें इत्यादि न हों तो वहां ऐसी परियोजना को नहीं लिया जाना चाहिये, क्योंकि इन परियोजनाओं की उन्हीं क्षेत्रों में सफल होने की आशा है जहां कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों एवं इन अग्रगामी परियोजनाओं की सफलता के ऊपर भारत सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी और योजनायें विभिन्न क्षेत्रों में चलाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा ।

६—भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जब स्थान के चयन के बारे में विचार किया गया तब देखा गया कि पहाड़ी जिलों में किसी एक संहत क्षेत्र में ५० हजार से ६० हजार तक, एक हैक्टर से तीन हैक्टर जोत वाले छोटे किसान मिलना कठिन है । चूंकि इस बात को भारत सरकार ने एक मौलिक आधार माना था , अतः उनके परामर्श के अनुसार पहाड़ी जिलों में ऐसी परियोजना के लिये स्थान चयन करना सम्भव नहीं हो सका । इसके अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान मे रखा गया कि पश्चिमी जर्मनी की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से पूरे अल्मोड़ा जिले की सर्वांगीण विकास के लिये एक योजना शासन द्वारा पहिले ही स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका इस समय कार्यान्वयन हो रहा है ।

७—बुन्देलखंड क्षेत्र में उक्त परियोजना के लिये स्थान चयन करने पर जब विचार किया गया तब यह देखा गया कि भारत सरकार के निर्देश में, सिंचाई क्षमता बनाने के लिये आवश्यक भूतल तथा भूमिगत जलीय संसाधनों की उपलब्धि के बारे में जो मौलिक मापदण्ड रखा गया है, वह बुन्देलखंड क्षेत्र में पूरा नहीं होता ।

८—जहां तक किसी पूर्वी जिले में इस योजना के लिये स्थान के चयन करने का प्रश्न है, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है उनमें से प्रदेश के १५ जिले पूर्वी जिलों की परिधि में आते हैं जो निम्नलिखित हैं :—

देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद ।

इनमें से प्रतापगढ़ जिले की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है एवं गोंडा तथा बस्ती जिलों के लिये परियोजनायें बना कर भारत सरकार को विचारार्थ पहले ही भेज दी गई है। इलाहाबाद जिले के लिये परियोजना बन कर तैयार हो गई है एवं भारत सरकार को भेजी जा रही है। गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़ जिले के लिये परियोजनायें बनाने के हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। जैसा कि निवेदन किया जा चुका है, राज्य सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है कि भारत सरकार से और परियोजनायें उत्तर प्रदेश के लिये उपलब्ध हो जायं। यह प्रयत्न आगे भी जारी रहेगा। इसके लिये मैं आदरणीय सदस्यों के सहयोग का प्रार्थी हूं।

९---यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जिन चार जिलों के लिये परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं वे जिले भारत सरकार द्वारा निर्धारित मौलिक मापदण्डों की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो यह वक्तव्य दिया है उसके द्वारा उन्होंने केवल इस दिन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को धोखा दिया है....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछें।

श्री धर्मवीर---

उन्होंने जिन चार जिलों का चयन किया है उससे जाहिर है।

(व्यवधान)

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले उसमें फतेहपुर भी शामिल था लेकिन अब बदायूं प्रतापगढ़, व रायबरेली में यह कब और किस ने इसे आरम्भ कराया है?

श्री शिवराज सिंह---

केन्द्रीय सरकार को भेजे गये प्रस्तावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ से भारत सरकार के मंत्री श्री दिनेश सिंह का, रायबरेली से प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी का और बदायूं से इस राज्य के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह का सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष---

तो इससे क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जिले इस सूची में इसी विशेष सम्बन्ध के कारण शामिल किये गये हैं?

(व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, इसमें जिला बदायूं का जिक्र है तो क्या मुझे भी मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा उत्तर श्रीमन् दिला दें कि क्या इसी कारण से इन जिलों को शामिल किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके प्रश्न पूछें। अब श्री कृष्णानन्द राय प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह देखते हुए कि इस सदन में वे सदस्य जो इस प्रदेश के मान्य गरीब जिलों से आ रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, पर्वतीय जिले तथा बुन्देलखंड, उनका यह निश्चित मत है कि यह जो वक्तव्य आपने दिया है यह वक्तव्य गलत है, सत्य से परे है और केन्द्रीय सरकार ने जो मापदण्ड दिया है उसको इस ढंग से तोड़ मरोड़कर दिया है जिससे बदायूं, जो जिला आपका है, रायबरेली जो....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अध्यक्ष महोदय, क्या बदायूं उत्तर प्रदेश में है या नहीं ?

(व्यवधान व शोर)

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह देखते हुए कि इस विधान सभा के वे सदस्य जो कि इस प्रदेश के मान्य गरीब जिलों में से हैं उनका यह निश्चित मत है कि बदायूं जिले को अनुदान इसलिए दिया गया है कि वह कृषि मंत्री जी का जिला है, प्रतापगढ़ को इसलिये दिया गया है कि वह दिनेश सिंह का जिला है और रायबरेली को इसलिये दिया गया है कि क्योंकि वह प्रधान मंत्री का जिला है ? अतः क्या सरकार सदन की समिति बनायगी जो इस पर विचार कर कि केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में परिपत्र क्या है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्टटिस्टिक्स क्या है, गरीब किसानों का कान्सेन्ट्रेशन किन जिलों में है ?

श्री अध्यक्ष—

दोनों सवालों का एक साथ जवाब दीजिये। सदन जानना चाहता है कि किस कारण से ये तीन जिले चुने गये, यह बता दीजिये। गरीब किसानों की बात बताइये और कमेटी के लिये भी बताइये।

श्री शिवराज सिंह—

जहां तक छोटे किसानों का सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि पूर्वी प्रदेश के, पूर्वी अंचल के पिछड़े पन्द्रह जिलों से कहीं अधिक प्रतिशत छोटे किसानों का जिला बदायूं में है। आप श्रीमन्, मुझे अवसर दें।

(व्यवधान व शोर)

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी यह बिल्कुल झूठ है। यह इतना बड़ा झूठा स्टेटमेंट दिया है। इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने किन-किन जिलों को रुपया दिया था और क्या उसमें बदायूं जिला भी था ? अगर माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण कर दें तो स्पष्ट रूप से जाहिर हो जायगा कि पूर्वी जिले गरीब हैं या पश्चिमी जिले गरीब हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह बिल्कुल झूठ है। आज तक जितनी भी समितियों द्वारा जांच हुई है और उनकी जो रिपोर्ट मिली है उनमें सबने इस बात को माना है कि सबसे गरीब जिलों में पूर्वी जिले, पहाड़ी जिले तथा बुन्देलखंड के जिले हैं। उनमें बदायूं का कहीं नाम तक नहीं आया है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बना कर उसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप किसी रिपोर्ट से यह बतला सकते हैं कि किस-किस जिले का क्या परसेंट है छोटी जोत वालों का ?

श्री शिवराज सिंह—

मैं सरकारी बुलेटिन के आधार पर फीगर देता हूं कि छोटी जोत वाले किसानों का विभिन्न जिलों में क्या परसेंट है। बदायूं में ४७.७ परसेंट, बस्ती में ३७.४ परसेंट, गोरखपुर में ३२.५ परसेंट, देवरिया में ३४.२ परसेंट, आजमगढ़ में ३५.१ परसेंट, जौनपुर में ३३.६ परसेंट, बलिया में ४०.५ परसेंट, गाजीपुर में ३९.२ परसेंट, वाराणसी में ३८.९ परसेंट, मिर्जापुर में ४५.४ परसेंट, बहराइच में ४१.९ परसेंट,

(व्यवधान)

गोंडा ४०.३ परसेंट, बाराबंकी ४०.६ परसेंट, फैजाबाद ३५.६ परसेंट, सुल्तानपुर ३७.६ परसेंट और प्रतापगढ़ ३८.७ परसेंट है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

बुन्देलखंड का बतलाइये।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

श्रीमन्, आप ऐसी व्यवस्था तो करें जिससे एक आदमी जो पूछे उससे पता तो चले कि वह क्या पूछ रहा है और क्या जवाब दिया जा रहा है। यहां तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे आप भी सुनें और हम भी सुन सकें।

(व्यवधान)

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यह विषय श्रीमन, आज बड़ा ही गम्भीर है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ बातों को हम मंत्री जी से पूछ लें और वे उसका उत्तर दे दें। मंत्री जी ने पढ़ कर अभी बताया कि सब से अधिक कन्सेन्ट्रेशन बदायूं जिले में है जो गलत है। मान्यवर, इसमें एक यही केवल मापदण्ड नहीं था, ३—३ मापदंड रखे गये थे। कन्सेन्ट्रेशन वाली बात थी, फिर एक हेक्टेयर और ३ हेक्टेयर वाली बात थी, पानी का भी सवाल था और सब से मुख्य गरीबी वाली बात थी, इन सभी पर विचार करके जिले को छांटना चाहिये था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो यह ४ मापदंड केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किये थे उनके अन्तर्गत बदायूं जिला आता है? अभी माननीय गंगा प्रसाद जी ने बड़ा मुख्य सवाल किया कि पिछली सरकार न किन जिलों को चुना था। जहां तक मुझे याद है श्रीमन, पिछली सरकार ने गोंडा जिले को भी चुना था, इसके अतिरिक्त कुछ और जिले भी सोचे गये थे। मंत्री जी कृपया बतायें कि वह कौन से बुलेटिन में लिखा है या केन्द्रीय सरकार के परिपत्र में लिखा है कि वह कन्सेन्ट्रेशन केवल एक जिले तक ही सीमित हो? क्या जो मापदण्ड निर्धारित थे उनमें पहाड़ का जिला नहीं आता है? यहां यह भी लिखा है कि पूर्वी जिलों के बारे में दोबारा सोचा जायेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के हिस्से में केवल ४ योजनायें आयी हैं, अब कौन सी और योजना इनको मिलने वाली है जिसके लिये वे पूर्वी जिलों के प्रश्न पर विचार करेंगे?

(व्यवधान व शोर)

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

पहले में तो अपनी बात समाप्त कर लूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उसके बाद आप सुनेंगे मंत्री जी को भी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

हां, सुनेंगे। तो मैं यह कह रहा था जो जिले छांटे गये उसमें एक तो माननीय मंत्री जी का है, एक माननीय दिनेश सिंह जी का है और एक प्रधान मंत्री जी का है, इससे हम लोगों के मन में शंकायें पैदा हो गयी हैं। मैं यह चाहता हूं कि यदि सरकार अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहती है तो वह इस सदन की एक समिति गठित करे। इससे उसकी ईमानदारी में चार चांद लगेंगे। वह समिति इस पर ठीक तरह से विचार करे कि जो मापदण्ड निर्धारित थे उनके अनुसार यह जिले आते हैं या नहीं।

(शोर)

श्री धर्मवीर---

आप श्रीमन् उस कमेटी के चेयरमैन हो जायं।

(शोर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

हमारे यहां न तो कोई मेडिकल कालेज है...

(शोर)

आप मेरी बात सुनिये तो। रूहेलखंड में न तो मेडिकल कालेज है न कोई यूनिवर्सिटी। वहां पर मजदूरों की संख्या ५ डिवीजनों में सबसे ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र---

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सचमुच पिछड़े इलाके के लोग हैं, जो पिछड़े इलाके के प्रतिनिधि हैं, उनको आप अपनी बात कहने का अवसर देंगे या नहीं? जो वास्तव में उन जिलों के प्रतिनिधि हैं उनको डिफाल्ट कर दिया गया है। इस शोरगुल में हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपको समय मिलेगा, बैठिये।

कुछ सदस्य---

हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों को सुन लीजिये।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए, मैं आपके ही प्रश्नों का उत्तर दिलवा रहा हूं मंत्री जी से।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

लेकिन उसमें एक प्रश्न और शामिल कर लीजिए कि शासक दल के टुच्चेपन का इलाज क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

बैठिए, ऐसी बात मत करिये।

श्री शिवराज सिंह---

मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के समस्त नेताओं से करबद्ध यह निवेदन करूंगा कि चूंकि इस वक्तव्य से मेरा सम्बन्ध है और बदायूं जिला भी मुझ से सम्बन्धित है।

श्री कृष्ण चन्द्र---

यह विरोधी दल और सरकार के बीच का प्रश्न नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार की नैतिकता और ईमानदारी का प्रश्न है इसमें आप हम लोगों को मौका दें, जो पिछड़े इलाके यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने उन प्रतिनिधियों की जो पिछड़े इलाके से चुन कर आए हैं, उपेक्षा की है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह---

इसका सम्बन्ध मेरे वक्तव्य से है, क्योंकि बदायूं जिला भी इसमें है।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर---

सीधे आप यह जवाब दें कि आप सदन की कमेटी बनाएंगे या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

एक सीधा प्रश्न पूछा गया था, उसका सीधा उत्तर मिल जाय तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष---

आप बोल चुके हैं अब ५ मिनट उनको भी बोलने दें। उनको सुनें।

श्री शिवराज सिंह---

जैसा मैंने वक्तव्य में कहा है, जिन मापदण्डों को केन्द्र सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इन तीन मापदण्डों में से एक नहीं तीनों होने चाहिए।

मान्यवर, मैंने यह भी निवेदन किया कि यह परियोजनाएं प्रयोगात्मक और अग्रिम योजनाएं हैं, एक्सपेरीमेंटल पाइलट प्राजेक्ट्स हैं (घोर शोर के कारण आगे सुनायी नहीं दिया) .....छोटे किसानों को सुविधाएं सरकार की योजनाओं से नहीं मिली हैं, सरकार चाहती है कि इन योजनाओं के माध्यम से.....(घोर शोर के कारण आगे सुनाई नहीं दिया)। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वे मापदंड बदायूं के अन्दर उपस्थित हैं। मैं चार यार्डस्टिक

आपके सामने रखता हूं। उससे स्पष्ट हो जायगा कि बदायूं जिला पूर्वी अंचल के जो जिले हैं, उनसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। (घोर शोर के कारण आगे नहीं सुनाई दिया)। मान्यवर, सुनते क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

बस हो गया।

श्री शिवराजसिंह---

उसका सबूत सुनिए। (वक्ता बोलते रहे परन्तु घोर शोर के कारण सुनायी नहीं दिया)। मान्यवर, इस तालिका से स्पष्ट है कि बदायूं जिले में खेती की सघनता का प्रतिशत प्रदेश के पूर्वी अंचल के १५ जिलों.... (स्पष्ट सुनायी नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा---

श्री शिवराजसिंह---

मान्यवर, आप देखें, कितनी सड़कें प्रदेश के पूर्वी अंचल में हैं और कितनी बदायूं जिले में हैं। (घोर शोर के कारण आगे सुनाई नहीं दिया)।

श्री धर्मवीर---

अध्यक्ष महोदय, इनको इंगित कीजिये। यह मान नहीं रहे हैं। आपके कहने के बावजूद बोलते जा रहे हैं।

(श्री शिवराजसिंह आगे बोलते रहे जो घोर शोर और डेस्कों की थपथपाहट के कारण सुनाई नहीं दिया)।

श्री कृष्णचन्द्र---

मान्यवर,.....(शोर)

श्री अध्यक्ष---

इनको भी बोलने दीजिये।

श्री कृष्णचन्द्र---

मान्यवर, इस रिपोर्ट में जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है, उसमें बुन्देलखंड के सम्बन्ध में यह बताया गया कि जो तीन शर्तें, जिसको बताते हैं, मैं नहीं जनाता कि वह तीन निर्देश भारत सरकार के किस परिपत्र में हैं और न कोई ऐसा परिपत्र माननीय मंत्री ने यहां पर पढ़ा जिससे यह प्रकाश पड़ सकता कि ये तीनों शर्तें ये हैं और उनकी सीमा के भीतर उन जिलों का चयन होगा। लेकिन मैं मानता हूं ऐसा कोई निर्देश भारत सरकार से आया होगा जिसमें ये तीन शर्तें भी होंगी। माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह बात मानी है कि बुन्देलखंड क्षेत्र के जो इलाके हैं उन्होंने दो शर्तें पूरी कर दी है एक कसंट्रेशन की और दूसरी भी पूरी कर दी है कि वहां पर सहकारी समिति अथवा बैंक ऐसे हों जो कि किसान को कर्ज दे सकते हों। तीसरी शर्त यह है कि सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्र में उपलब्ध न हों। यह एक ऐसा टर्म है जिसमें मिसचीफ हो सकती है और मिसचीफ की गयी है ? बुन्देलखंड के जिलों में ऐसे अंचल हैं जहां पर उपरोक्त दोनों शर्तों के साथ भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा के विशेषण के कारण बुन्देलखंड के चारों जिलों में से एक भी जिला नहीं लिया गया इसका हमको खेद है। तो क्या उन्होंने कोई जांच की या किसी से जांच कराई कि पर्याप्त मात्रा में चारों अथवा किसी

[श्री कृष्णचन्द्र]

एक जिले में बुन्देलखंड के सिंचाई के साधन हैं या नहीं हैं और अगर करवाई तो उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रत्येक वक्तव्य का अंश सरकारी आंकड़ों पर आधारित है, मनगढ़न्त नहीं है। प्रदेश के प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास हर प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में हम चार पंच-वर्षीय योजनाओं का निर्माण कर चुके हैं और तीन को कार्यान्वित कर चुके हैं। प्रदेश के समस्त अंचलों और समस्त जिलों के सम्बन्ध में हर प्रकार के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमने इन जिलों का चयन किया है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

इस प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं चाहे बुन्देलखंड के हों, पहाड़ के हों अथवा पूर्वी क्षेत्र के हों उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो मापदंड तय किया था वह उनके लिये ठीक नहीं है तो क्या प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को यह लिखा कि आपका यह मापदंड हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, हमारे प्रदेश के लिये दूसरा माप दंड होना चाहिये ताकि सबसे गरीब जिले उसमें आ जायं ?

श्री शिवराज सिंह—

मैं सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि यह मापदंड केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व सरकार के समय में आये थे और पूर्व सरकार ने इसपर कोई परिवर्तन के लिये लिखा-पढ़ी नहीं की। इसके अतिरिक्त जो मापदंड जिलों के चयन करने के लिये भारत सरकार ने निर्दिष्ट किये हैं वह समस्त भारतवर्ष के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं, एक प्रदेश के लिये नहीं। सदन में इस बहस ने गलत मोड़ ले लिया है। पिछड़े जिलों की उन्नति करने का इससे कोई प्रयोजन नहीं है। सारे प्रान्त का कल्याण भी इससे नहीं हो सकता। इस प्रदेश की चौथी पंच वर्षीय योजना लगभग एक हजार करोड़ रुपये की है। इस योजना का केवल एक उद्देश्य है। श्रीमन्, इस योजना का उद्देश्य यह है..... (व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मुख्य सवाल का जबाब नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि मैंने सवाल किया और माननीय मंत्री जी ने जवाब पढ़ा किन्तु इस शोर-गुल में कुछ नहीं सुना गया। और इसी बीच आपने दूसरे सदस्य को बोलने की इजाजत दे दी। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही इस सदन का रुख रहेगा तो म भी उनके किसी प्रश्न को नहीं करने दूंगा। जब तक कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता।

(व्यवधान)

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के जो २१ पिछड़े हुये जिले हैं इनमें से प्रायोरिटी के आधार पर सब से पिछड़े हुये ४ कौन-कौन से जिले हैं ? इसका मैं आपसे उत्तर चाहता हूं।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय इस प्रदेश के विभिन्न रीजनों में इस समय पूर्वी जिलों में २१ जिले पिछड़े नहीं हैं बल्कि १५ जिले हैं जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में जिक्र कर चुका हूं। अब प्रायोरिटी के अधार पर चार कौन से सबसे पिछड़े जिले हैं इसके लिये मुझे श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी विवाद हो चुका है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० जून, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के ९वें बुधवार के लिये निर्धारित श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के दूसरे भाग में उल्लिखित तालिका:—

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम
१	श्री बैज नाथ पाण्डेय
२	श्री आश नारायण सिंह
३	श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी
४	श्री राजेन्द्र प्रसाद
५	श्री दिनेश कुमार सिंह
६	श्री छोटे लाल गुप्त
७	श्री मुहम्मद अली
८	श्री किशुन राम
९	श्री जय नारायण सेठ
१०	श्री शारदा नंद
११	श्री राम केवल सिंह
१२	श्री मुनि राम
१३	श्री राम आसरे राम
१४	श्री विश्वनाथ तिवारी
१५	श्री राम ललित
१६	श्री अबू हुरेरा
१७	श्री अहसानुल्लाह
१८	श्री ओंकार नाथ
१९	श्री सरदार सिंह
२०	श्री छंगा मल
२१	श्री प्यारे मोहन
२२	श्री जगत नरायन सिंह
२३	श्री साह मुहम्मद
२४	श्री हबीब उल्लाह
२५	श्री राज नारायन तिवारी
२६	श्री अमर सिंह
२७	श्री डी० सी० डी० एफ० बांसी
२८	श्री सूर्य नाथ पांडेय
२९	श्री नरसिंह सहाय
३०	श्री नरमदेश्वर प्रसाद पांडेय ।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २६(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९७० के नवें बुधवार के लिये श्रीमती मसाली देवी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११ का संलग्नक।

जहां तक १ जनवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक शिकायती-पत्रों का प्रश्न है विभिन्न स्तरों पर इस सम्बन्ध में कुल ७ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जिनकी स्थिति निम्नलिखित है :—

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	पत्र का दिनांक	पत्र का सारांश	कार्यवाही का विवरण
१	श्री फिरंगी लाल, सदस्य विधान सभा।	२३—१—७०	ग्राम करवल में धोबी घाट छोड़े जाने की प्रार्थना	चकबन्दी अधिकारी, गोरखपुर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
२	श्री केदार नाथ दुबे, ग्राम सभा तिलसर, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर।	५—३—७०	चकबन्दी में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की गयी है तथा यह भी कहा है कि ग्राम तिलसर में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु। ४ प्रतिशत की कटौती करके जो जमीन बची हैं वह लगभग १० या १२ स्थानों पर इस प्रकार छोड़ी गयी हैं जिससे किसानों को लाभ नहीं है। चकमार्ग नीची जमीन से निकाले गये हैं जहां पानी भर जाता है।	ग्राम तिलसर का चकबन्दी कार्य सामान्यतया सन्तोषजनक पाया गया। जिन कुछ लोगों को अपने चकों से सन्तोष नहीं था उनके चक उप-संचालक ने ठीक कर दिये। ग्राम में दो त्रुटियां मिलीं। एक तो यह कि बचत की जमीन आठ जगह छोड़ी गयी और दूसरे चक मार्ग नीची जमीन से निकाले गये जहां पानी भर जाता है। २—चकबन्दी आयुक्त ने सहायक चकबन्दी अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश दिये हैं और यह भी कहा है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जहां तक सम्भव हो, इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें।
३	श्री विश्वनाथ दुबे, ग्राम तिलसर, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर।	१५—३—७०		
४	श्री राम लखन यादव, मंत्री, चकबन्दी भ्रष्टा चार उन्मूलन समिति, गांव बेलादार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर।	१४—३—७०	चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम बेलादर में लोगों के झोपड़े, चरन तथा खलिहान आदि चकों में दे दिये जाने की शिकायत।	क्षेत्रीय उप-संचालक चकबन्दी द्वारा जांच कराने पर यह शिकायत निराधार पायी गयी।

क्रमांक	प्रार्थी का नाम	पत्र का दिनांक	पत्र का सारांश	कार्यवाही का विवरण
५	श्री लखन शाही, प्रधान आदि, ग्राम उज्जरषार, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर ।	..	सारे ग्राम के गाटों का विनिमय अनुपात गलत है तथा सार्वजनिक आबादी और अन्य जनहित के कार्यों हेतु छोड़ी गयी जमीन की चकबन्दी सदस्यगण आदि सहायक चकबन्दी अधिकारी से मिलजुल कर सब कार्य कर रहे हैं ।	उप-संचालक, चकबन्दी ने यह शिकायत सही नहीं पायी कि सारे ग्राम के गाटों का विनियम अनुपात गलत है । अधिकतर काश्तकार अपने चकों से सन्तुष्ट हैं । ग्राम के एक भाग में विनियम अनुपात लगाते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी कतिपय प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आ गये थे और उन्ही के प्रभाव में आकर विनियम अनुपात लगा दिया जो सही नहीं था । इस कमी को दूर करने के लिये उप-संचालक, चकबन्दी ने आदेश दे दिये हैं कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी विनियम अनुपात की जांच करके गलतियों को ठीक करे । सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी को चेतावनी दी गयी है ।
६/७	प्रार्थी गण, ग्राम बलुआ, डा० कौड़ीराम, जिला गोरखपुर । (दो प्रार्थना-पत्र)	..	हरिजनों को आबादी हेतु भूमि छोड़ने विषयक प्रार्थना-पत्र ।	जिलाधिकारी, जिला उपसंचालक चकबन्दी, गोरखपुर को निस्तारण हेतु दिनांक ९ जनवरी, १९७० को भेज दिये गये ।

नत्थी 'ग'

[देखिय नियम २९(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर]

सूची

लेटरल रोड के निर्माण हेतु विभिन्न जिलों में ली गई भूमि

जिला	स्थाई भूमि	अस्थाई भूमि
	एकड़	एकड़
बरेली	२०३.१९०	४७८.९५०
पीलीभीत	५०८.८९०	६३४.९९०
शाहजहांपुर	२७०.६३०	३६४.७९०
सीतापुर	..	५७.५७०
बहराइच	९८७.८७९	८९०.००२
गोंडा	५९५.०००	४९०.०००
बस्ती	५५६.३७२	६७१.१५१
गोरखपुर	१०७.८८०	१८४.८६०
देवरिया	२२३.४९०	१५२.२७०
खीरी	९६०.१९०	१३०८.९४०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर]

जिला गोरखपुर में मार्च, अप्रैल, १९७० में जिन स्थानों में अग्नि दुर्घटनायें हुईं उनकी सूची—

गांव का नाम	तहसील का नाम
१—खडबड़िया	फरेंदा
२—लोहरपुरवा	,,
३—भगवानपुर	,,
४—सेमरहवा	,,
५—नौतनवा	,,
६—बनकटा	,,
७—भगतनगर परचिया	,,
८—उदितपुर	,,
९—एकडगंवा	,,
१०—अहिरौली	,,
११—जेवनीहिंवा	,,
१२—शाहाबाद	,,
१३—सोनपियरी खुर्द	,,
१४—खोनवरसा कहरिया	,,
१५—ढखवा	बांसगांव
१६—चपरहट	,,
१७—गौरा निषनियां	महराजगंज
१८—रूदरापुर	,,
१९—बरवादिह्वापति	,,
२०—उसका	,,
२१—सौहरौना	,,
२२—पकड़ी	,,
२३—सिसवा बुजुर्ग	,,
२४—औरहिवा	,,
२५—बढ़या मुस्तकिल	,,
२६—रजवल	,,
२७—बेतवा काजी	,,
२८—मटियारिया	,,
२९—कनवा दोयम	,,
३०—अहिरौली	,,
३१—निचलौल	,,
३२—बरवा खालिकराम	,,
३३—बन्दी	,,
३४—हेमछापर	सदर
३५—रामपुर	,,
३६—डुमरीखास	,,
३७—जंगल-रसूलपुर नं० २	,,
३८—राघोपट्टी उर्फ भड़री	सदर
३९—डोमीनगढ़	,,
४०—महिरा	,,
४१—भोपा	,,
४२—सुमनीखुर्द भोपा	,,
४३—डुमरीखुर्द	,,
४४—झुगहा	,,
४५—टिकरिया	,,
४६—असरक्यूर	,,
४७—मिनवा	,,
४८—जंगल-बेनीमाधो नं० १	,,
४९—चौरी	,,
५०—भोराबारी	फरेंदा
५१—जंगल अगही	,,
५२—तेंदुवाविशम्भरपुर	,,
५३—नैतनवा	,,
५४—सिरसिया मसरकी	,,
५५—चक्कड़	,,
५६—फरेंदा बुजुर्ग	,,
५७—राजबन्दिल खुर्द	,,
५८—पोखर भिन्डा	,,
५९—आराजी सरकार उर्फ केवटिलिया ।	,,
६०—रानीपुर	,,
६१—कुल मनहा	,,
६२—मिश्रोलिया	,,
६३—सुकरौती उर्फ अरधा	,,
६४—करीमनगर	,,
६५—कौलपुर	,,
६६—हथिगढ़वा	,,
६७—कुवोलिया	,,
६८—मनिकापुर	,,
६९—कोहार गड्डी	,,
७०—गनेशपुर	,,
७१—सुकरौली	,,
७२—बरवाभोज	,,
७३—धुलमनहा	,,

नाम गांव	तहसील का नाम
७४—वरगढ़वा	फरेन्दा
७५—देव घटी	,,
७६—पिपरा	,,
७७—हरैवा	बांसगांव
७८—बाडी तरवा	,,
७९—धनौडा खुर्द	,,
८०—मलांव	,,
८१—कोलखास	,,
८२—वधाड	,,
८३—नौनेवना	,,
८४—उचेर	,,
८५—मठिया	,,
८६—दोवोली गहरवार	,,
८७—भरोह	,,
८८—पटना	,,
८९—धुरियाडीह	,,
९०—वनकटा	,,
९१—भीटी	,,
९२—सोहरा	,,
९३—बड़ावन	,,
९४—भवदुरवा	,,
९५—झुड़िया	,,
९६—रामपुर	महराजगंज
९७—रायपुरवा	,,
९८—मैदनीपुर	,,
९९—मंगलपुर	,,
१००—भिठौरा	,,
१०१—मढकोपा	,,
१०२—सीबबरसा	,,
१०३—पतरगवां	,,
१०४—बेहलीवा	,,
१०५—बड़हरा घरइंकार	,,
१०६—नउनीया	,,
१०७—मोहनपुर उर्फ खोनकटियां	,,
१०८—बांसपार	,,
१०९—मुहिलातिवारी	,,
११०—मधुवनी	,,
१११—बीजापार	,,
११२—सोहांस	,,
११३—भोमुखा	,,
११४—गडहरा बरईपार	,,
११५—इमीलया	,,
११६—सिसवां बाजार	,,
११७—वस हीजा	,,
११८—मोरनए	,,

नाम गांव	तहसील का
११९—कोहड़ाल	महराजगंज
१२०—समरा	,,
१२१—रमपुरवा	,,
१२२—करोता उर्फ निधुहवा	,,
१२३—वजहा उर्फ अहिरौली	,,
१२४—अगवा	,,
१२५—बरौली	,,
१२६—गिदहा	,,
१२७—चन्दन चाकी	,,
१२८—मंसूर गंज	,,
१२९—छितौना	,,
१३०—कोठीमार	,,
१३१—पिपरपाती	,,
१३२—बढ़ैया	सदर
१३३—वनगांवां	,,
१३४—बनौली	,,
१३५—जंगल रामगढ़	,,
१३६—जंगल कहा	,,
१३७—जगदीशनपुर	,,
१३८—वसहीया	,,
१३९—गौनार	,,
१४०—तेंदुवा खुर्द	,,
१४१—रामूडीहा	,,
१४२—शिवपुर	,,
१४३—मोहीउद्दीनपुर	,,
१४४—जंगलतुलसीराम	,,
१४५—लालपुर ठिकरी	,,
१४६—राजधानी	,,
१४७—राजाबारी	,,
१४८—सरार मझगावां	,,
१४९—जदुपुर	,,
१५०—डोहरिजा	,,
१५१—मीरपुर	,,
१५२—जदुपुर	,,
१५३—जदुपुर	,,
१५४—सहोरवा	,,
१५५—डुमरिखास	,,
१५६—राजधानी	,,
१५७—जदुपुर	,,
१५८—राधोपट्टी	,,
१५९—राधोपट्टी	,,
१६०—रावगंज	,,
१६१—झगौंवा	,,
१६२—सरैया	,,

नत्थी 'ड०'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर)

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	तहसील		ब्लाक		नाम ग्राम
१	जौनपुर	..	बक्शा	..	सुजियाऊ
२	जौनपुर	..	बक्शा	..	हसरौली
३	जौनपुर	..	धर्मापुर	..	मिसिरपुर (रामदास-पुर)
४	मड़ियाहूं	..	मड़ियाहूं	..	रामपुर बरैरी
५	मड़ियाहूं	..	रामनगर	..	सीठपुर
६	मड़ियाहूं	..	रामनगर	..	पदमपुर
७	मड़ियाहूं	..	रामनगर	..	परेवा
८	मड़ियाहूं	..	रामनगर	..	रसुलहा
९	मड़ियाहूं	..	बरसठी	..	पाली
१०	मड़ियाहूं	..	बरसठी	..	कान्हपुर
११	मछलीशहर	..	मछलीशहर	..	जरोना
१२	मछलीशहर	..	मछलीशहर	..	कमासिन
१३	मछलीशहर	..	सुजानगंज	..	रामगढ़
१४	मछलीशहर	..	सुजानगंज	..	फरीदाबाद
१५	मछलीशहर	..	सुजानगंज	..	सुजानगंज
१६	मछलीशहर	..	सुजानगंज	..	सबीती
१७	मछलीशहर	..	सुजानगंज	..	मीरपुर
१८	मछलीशहर	..	बादशाहपुर	..	कमालपुर
१९	मछलीशहर	..	बादशाहपुर	..	इटहरा
२०	केराकत	..	डोमी	..	मौरसा
२१	केराकत	..	डौमी	..	अटहरपार
२२	केराकत	..	केराकत	..	कवहरा
२३	शाहगंज	..	शाहगंज	..	मानीकला
२४	शाहगंज	..	शाहगंज	..	खेतासराय
२५	केराकत	..	केराकत	..	मढ़ी
२६	केराकत	..	केराकत	..	कैराकत
२७	केराकत	..	जलालपुर	..	प्रधानपुर
२८	जौनपुर	..	धर्मापुर	..	बफराबाद
२९	जौनपुर	..	बबोश	..	बक्शा
३०	जौनपुर	..	धर्मापुर	..	हुसैनाबाद
३१	शाहगंज	..	बदलापुर	..	मुरादपुरकालिता

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

सूची

नई सड़कों का निर्माण		लम्बाई	अनुमाति लागत
		(कि०मी०)	(रु० लाखों में)
१—गजनेर—मूसानगर	..	१६.०	९.९५२
२—पारस-कोरिया-बैरीपाल	..	१३.०	८.०८६
३—रूरा-शिवली	..	२०.०	२०.६०
पुनर्निर्माण—			
१—मौंझक-रसूलाबाद	..	१६.०	९.५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

नलकूपों की संख्या जो निर्माण हेतु स्वीकृत हुये तथा बने

क्रम-सं०	जिलों के नाम	१९६७-६८		१९६८-६९		१९६९-७०		१९७०-७१
		स्वीकृत सं०	बने हुए की सं०	स्वीकृत सं०	बने हुए की सं०	स्वीकृत सं०	बने हुए की सं०	स्वीकृत सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	नैनीताल	—	२	—	—	९	—	९
२	देहरादून	—	—	१	१	६	३	६
३	सहारनपुर	५	५	१८	१८	१०	२२	३०
४	मुजफ्फरनगर	२	५	१३	१३	१८	२०	२०
५	मेरठ	६	६	२०	२०	१२	१४	१०
६	बुलन्दशहर	२	१	११	११	१०	२१	१०
७	अलीगढ़	—	—	२३	२३	२३	३०	१०
८	आगरा	२	१	६	६	१५	१५	२०
९	एटा	—	—	१९	१९	१५	२२	१५
१०	मैनपुरी	—	—	७	७	१५	१२	१५
११	फर्रुखाबाद	—	२	२३	२३	२५	२५	२०
१२	इटावा	—	—	—	—	१५	५	१५
१३	बिजनौर	५	५	१५	१५	८	८	१०
१४	मुरादाबाद	४	४	१५	१५	१५	२२	१०
१५	बरेली	३	३	—	—	५	६	५
१६	शाहजहांपुर	—	—	६	६	६	१०	५
१७	बदायूं	—	—	८	८	१५	२८	१८
१८	रामपुर	५	५	८	८	८	१४	१०
१९	मथुरा	१	२	३	३	१०	३	५
२०	कानपुर	—	—	२	२	१०	४	१०
२१	खीरी	—	—	—	—	१०	१५	१०
२२	सीतापुर	—	—	६	६	५	५	१०
२३	हरदोई	२	—	२	२	५	९	५
२४	लखनऊ	४	२	३	३	५	५	१०
२५	बाराबंकी	५	—	—	—	५	३	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२६	फतेहपुर	—	—	—	—	९	२	१०
२७	बाराणसी	८	८	२६	२६	६०	६६	४०
२८	मिर्जापुर	६	८	१५	१५	१०	१२	१६
२९	जौनपुर	९	१०	२२	२२	३०	३१	२५
३०	गाजीपुर	११	११	४२	४२	३०	३०	२५
३१	बलिया	—	—	१०	१०	१२	१२	१०
३२	गोरखपुर	३	४	२	२	१०	१३	५
३३	देवरिया	४	४	१५	१५	२	२	५
३४	बस्ती	३	३	३	३	४	४	५
३५	आजमगढ़	—	—	१०	१०	२८	२८	१०
३६	गोंडा	५	३	११	११	११	९	५
३७	फैजाबाद	३	३	१२	१२	१३	१३	१०
३८	सुल्तानपुर	२	१	७	७	२०	१९	२०
३९	इलाहाबाद	१२	१२	२८	२८	६०	६०	४०
४०	बहराइच	—	—	—	—	५	३	५
४१	प्रतापगढ़	—	—	—	—	६	९	१०
४२	बांदा	—	—	—	—	—	२	३
४३	हमीरपुर	—	—	—	—	—	—	३
४४	जालौन	—	—	—	—	—	—	३
	योग ..	११२	११०	४१२	४१२	६००	६३६	५६३

पो० एस० यू० पी० --ए० पी०—१०७ एल० ए०—१९७१—८४५ ।